हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

2 सितम्बर, 2008

खण्ड - 2, अंक - 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 2 सितम्बर, 2008

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(2) 18
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	
कपास की फसल में मिलिबग बीमारी सम्बन्धी	(2) 22
सदस्यों का नाम लेना	(2) 22
वक्तव्य--	(2) 26
कृषि मन्त्री द्वारा कपास की फसल में मिलिबग बीमारी सम्बन्धी	(2) 26
राज्य में बी०पी०एल० सर्वेक्षण सम्बन्धी मामले को उठाना	(2) 29
बी०पी०एल० सर्वेक्षण सम्बन्धी मामले पर मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य	(2) 30
सदस्यों के नाम लेने के निर्णय को रद्द करना	(2) 31
वर्ष 2008-2009 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(2) 32
वर्ष 2008-2009 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(2) 47
विधान कार्य—	(2) 75
पण्डित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ एण्ड साईंसिज, रोहतक (अमैंडमैंट) बिल, 2008	(2) 75

दि इण्डियन स्टाम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2008 (2)
दि हरियाणा रैगूलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्ज एण्ड कंसलटैंटस बिल, 2008 (2) 78
(2) 83
बैठक का समय बढ़ाना
दि हरियाणा रैगूलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्ज एण्ड कंसलटैंटस बिल, 2008 (पुनरारम्भ)
दि हरियाणा सेलरीज एण्ड अलांऊसिज ऑफ मिनिस्टर्ज (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2008 (2)
(2)
सदस्य का नाम लेना (2) 9
दि हरियाणा सेलरीज एण्ड अलांऊसिज ऑफ मिनिस्टर्ज (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2008 (पुनरारम्भ)
दि हरियाणा अण्डरग्राऊंड पाईपलाईन (इक्वीजिशन ऑफ राईट ऑफ यूजर इनलैण्ड) बिल, 2008 (2) 91
(2) 94
बैठक का समय बढ़ाना
दि हरियाणा अण्डरग्राऊंड पाईपलाईन (इक्वीजिशन ऑफ राईट ऑफ यूजर इनलैण्ड) बिल, 2008 (पुनरारम्भ) (2) 94
विशेषाधिकार समिति का विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना (2) 94
सदस्यों का नाम लेना (2) 98
वाक-आऊट (2)
सदस्य का नाम लेने का निर्णय को रद्द करना
विशेषाधिकार समिति का विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना (पुनरारम्भ) (2)
बैठक का समय बढ़ाना (2) 99
विशेषाधिकार समिति का विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 2 सितम्बर, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ में 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the questions hour.

Upgradation of C.H.C. of Ateli Mandi

***1002. Shri Naresh Yadav :** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the Community Health Centre of Ateli Mandi upto 50 beds; and

(b) if so, the time by which the construction work of the Community Health Centre referred to in part (a) above is likely to be started togetherwith the total estimated amount to be incurred thereon ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी। यद्यपि 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अटेली को भारतीय जन स्वास्थ्य मानक के अनुरूप सुदृढ किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अटेली के नए भवन के निर्माण हेतु नक्शे बनाए जा रहे हैं। और निर्माण कार्य वर्ष 2009 में शुरू होने की सम्भावना है। भवन निर्माण पर लगभग 6.90 करोड रुपए खर्च होंगे।

स्पीकर सर, इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि भारत सरकार के नार्म्ज के मुताबिक इस सी०एच०सी० को स्ट्रैथन करने की संभावना जरूर है। इस सी०एच०सी० का नक्शा बन गया है और इसको बनाने का कार्य वर्ष 2009 के शुरू में कर दिया जायेगा और इसके निर्माण पर 690 लाख रूपये खर्च होंगे। इस सी०एच०सी० में स्पैशलिस्टस आदि की सारी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छः महीने पहले 50 बैड का हॉस्पिटल बनाने की एनाउंसमैंट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहां पर मण्डी के बीच में चार एकड जमीन उपलब्ध है जिस पर यह हॉस्पिटल बनाया जा सकता है क्योंकि इस सी०एच०सी० की बिल्डिंग पूरी तरह से टूटी हुई है। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि यहां पर 50-बैड का हॉस्पिटल बनाया जाए क्योंकि यहां पर सी०एम० साहब ने घोषणा की हुई है। इस बारे में पहले गलत रिपोर्ट विभाग के पास आ गई थी कि वहां जमीन

नहीं है लेकिन अब वहां पर चार एकड़ जमीन उपलब्ध है, इसलिए इस हॉस्पिटल को बनाने के कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए।

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, अगर सी०एम० साहब ने इस बारे में कोई घोषणा की है तो उसको जरूर पूरा किया जायेगा लेकिन विभाग के पास सी०एम० कार्यालय से इस घोषणा के बारे में लिखित रूप में अभी कुछ नहीं आया है। इस सी०एच०सी० में अब तक इन-डोर पेशैंट्स की संख्या बहुत कम रही है, लगभग 41.95 प्रतिशत से ज्यादा कभी नहीं रही है। 30 बैड के हॉस्पिटल जिसमें है भी 7-8 आदमी से ज्यादा पेशैंट्स वर्ष 2007-2008 में कभी दाखिल नहीं हुये। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उनकी मांग इस 30 बैड हॉस्पिटल बनने से पूरी हो जायेगी क्योंकि 30 बैड की सी०एच०सी० में भी 5 स्पैशलिस्ट्स जरूर लगाये जाते हैं और इसमें ब्लड बैंक की सुविधा भी दी जाती है और लैब को भी स्ट्रैंथन किया जायेगा। इसके इलावा 24 घण्टे की एमैरजैंसी की सुविधा भी प्रदान करवाई जायेगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कोई घोषणा की है तो उसको पूरा करना हमारा फर्ज है लेकिन उनके कार्यालय से अभी लिखित रूप में हमें कोई सूचना नहीं मिली है। अगर वहां से लिखित रूप में आता है तो उस पर जरूर विचार कर लिया जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने जमीन के बारे में कहा है कि वहां पर चार एकड़ जमीन उपलब्ध है, लेकिन मेरे पास जो विभाग की सूचना है उसके हिसाब से वहां पर 26 कनाल और 18 मरला जमीन है तथा उस जगह पर बनी सी०एच०सी० की बिल्डिंग में सफेदी और पेन्ट करवा दी है, छत को दोबारा से बदलवा दिया गया है और इसकी रिपेयर पर दो करोड़ 70 लाख रुपये खर्च किए गये हैं।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसा कि मंत्री महोदया जी ने बताया है कि उस सी०एच०सी० की वर्षों से खस्ता हालत थी लेकिन जो नेशनल हैल्थ स्टैण्डर्ड है उसके मुताबिक उसकी रिपेयर पर 690 लाख रुपये सरकार खर्च कर रही है यह थोड़ा पैसा नहीं है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि हालांकि वहां पर पेशैंट्स की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, परन्तु दक्षिणी हरियाणा जोकि पिछड़ा इलाका है, हम यह मानते हैं और इसीलिए वहां पर सी०एच०सी० बनाने के लिए 690 लाख रुपये मंत्री जी ने दिए हैं जिसमें पांच स्पैशलिस्ट्स डाक्टर, 24 घण्टे की एमरजैंसी सर्विस आदि की हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जायेगी। एक बार यह सुविधा वहां पर क्रिएट हो जाए और भी जो अपग्रेडेशन की जरूरत होगी वह प्रदान की जाऐगी। दक्षिणी हरियाणा के लिए यह सरकार सजग है। हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जायेगी, चाहे वह शिक्षा जगत हो, चाहे स्वास्थ्य जगत हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे नहरी पानी को सुदूर दक्षिणी हरियाणा अन्तिम छोर तक पहुंचाने की बात हो।

श्री भूपेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, तकरीबन अढाई साल हो गए हैं हमारे यहां मुख्यमंत्री महोदय 50-बैड के अस्पताल की घोषणा करके आए थे लेकिन उसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। इस अस्पताल के लिए हमने जमीन भी दे दी है लेकिन इस बारे में अभी तक कोई प्रोग्रैस नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि इस बारे में कब तक विचार किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : भूपेन्द्र जी, मंत्री जी के लिए सारे हरियाणा के बारे में तो यहां बताना सम्भव नहीं है इसलिए आप इस बारे में लिखकर दे दें।

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहती हूं कि वे इस बारे में लिखकर दे दें इस बारे में जरूर विचार किया जाएगा।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, गोहरा कैथल का सबसे बड़ा गांव है और कैथल से दूर पड़ता है। इस गांव में पी०एच०सी० खोलने के लिए मैंने इनको लैटर भी लिखा था और मंत्री जी ने पिछले सैशन में जवाब देते हुए कमिट भी किया था कि वहां इस साल पी०एच०सी० जरूर बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या इस साल गोहरा में पी०एच०सी० खोल रहे हैं ?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहती हूं कि जो नई जनगणना हुई है उसके हिसाब से नई सी०एच०सीज भी और नई पी०एच०सीज० भी बनाई जाएंगी। जनगणना के हिसाब से इनका गांव अगर नार्म्ज पूरे करेगा तो वहां पी०एच०सी० जरूर बनाई जाएगी।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार करनाल के ट्रॉमा सैंटर में सीटी स्कैन और न्यूरो सर्जन लगाने के बारे में विश्वास दिलाया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहती हूं कि इस ट्रॉमा सैंटर में सीटी स्कैन और न्यूरो सर्जन कब तक लगाएं जाएंगें क्योंकि इनकी वहां बहुत जरूरत है।

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहती हूं कि सीटी स्कैन के लिए परचेज पावर कमेटी को आर्डर दे दिया गया है। यह बात मैंने इनको व्यक्तिगत तौर पर भी बता दी थी। जहां तक न्यूरो सर्जन की बात है तो न्यूरो सर्जन की बहुत कमी है। पी०जी०आई० में भी न्यूरो सर्जन नहीं है और वहां पर कंट्रैक्ट पर न्यूरो सर्जन लगाए जाते हैं। न्यूरो सर्जन मिल जाएंगें तो करनाल के ट्रॉमा सैंटर में उनको जरूर लगा दिया जाएगा।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, लोहारू में पहले सी०एच०सी० थी। मुख्यमंत्री महोदय दिसम्बर में वहां 50 बिस्तर के अस्पताल की घोषणा करके आए थे लेकिन उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इस पर कब तक विचार किया जाएगा ?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय जहां-जहां अनाउंसमैंट करके आए हैं उनको पूरा किया जाएगा और उनकी अनाउंसमैंट को पूरा करना हमारा फर्ज है। जहां तक माननीय साथी ने लोहारू की बात की है तो इस बारे में हमारे पास अभी लिखित रूप में नहीं आया है, जैसे ही हमारे पास लिखित रूप में आ जाएगा हम इनके यहां 50-बैड के अस्पताल को बनवा देंगे। नई जनगणना के अनुसार नई पी०एच०सीज० और नई सी०एच०सीज० बनाई जाएंगी। अध्यक्ष महोदय मैं सभी सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि नार्म्ज हम नहीं बनाते बल्कि भारत सरकार बनाती है। 25 हजार की आबादी पर पी०एच०सी० और एक लाख 20 हजार की आबादी पर सी०एच०सी० और इसके बाद सब-डिवीजन लैवल पर अस्पताल बनाया जाता है। जिला लैवल के सभी अस्पतालों को 100 बैड का कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथियों ने जहां तक अनाउंसमैंट की बात की है तो मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि हमने यह अनाउंस किया था कि जो पी०एच०सी० या सी०एच०सी० सारे पैरा-मीटर्ज पूरा करेंगी, वहां अस्पताल जरूर बनवाया जाएगा।

Digging out of Canal in the villages of Banyal Area

***1017. Sh. Radhey Shyam Sharma :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) the number of the villages of Banyal area of Narnaul Constituency in which the canal has not been dug out so far;

(b) whether there is any proposal to construct canal in the villages referred to in part (a) above ; and

(c) the time by which the canal water will be supplied to Rai-Malikpur, Boodhwal and Mokhuta Bamanwas villages of Nizampur area ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) The Banyal area comprising of villages Panchnota, Banyal, Mosnota, Roper-Sarai and Goglari is hilly and does not fall under the command of J.L.N. Lift Irrigation Project. A canals is not feasible for this area.

(b) No, Sir.

(c) Canal water is likely to be supplied to villages Rai-Malikpur and Boodhwal by 31-3-2009. Village Mokhuta, Bamanwas of Nizampur area does not fall under the command of J.L.N. Lift Irrigation Project being hilly and undulating area.

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने बताया है कि पचनोता, बनयाल, मोसनोता, रोपड़-सराय तथा गोगलारी गांवों का एरिया इनके कमांन एरिया में नहीं आता। इसका मतलब ये इन गांवों में पानी नहीं देंगे। इसके अलावा और भी गांव बच गये जिनका इन्होंने जिक्र नहीं किया। जो गांव बनयाल क्षेत्र के बच गये वहां मंत्री जी क्या करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनकी मंशा क्या है ? ये पानी देंगे या नहीं देंगे ? नहर खुदवायेंगे या नहीं खुदवायेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बनयाल क्षेत्र के जिन गांवों का जिक्र मेरे माननीय साथी कर रहे है, ये सभी गांव अरावली पहाड़ी के क्षेत्र में पड़ते हैं। मेरे साथी चाहते हैं कि हम पहाड़ों में पानी चढ़ा दें। अध्यक्ष महोदय, पहाड़ों में पानी चढ़ाना पोसीबल नहीं है। इन गांवों में जहां तक पीने के पानी की समस्या है, यह काम पब्लिक हैल्थ विभाग का है। मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इनके क्षेत्र में जो सहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी है उसमें पहले पानी नहीं आता था, हमारी सरकार आने के बाद हमने पहली बार उसमें पानी पहुंचाने का काम किया है। यह बात मेरे माननीय साथी को भी मालूम है लेकिन जिन गांवों का मेरे साथी जिक्र कर रहे हैं वे गांव न तो हमारे कमाण्ड एरिया में आते हैं और न ही वहां पानी पहुंचाना पोसीबल है। पीने के पानी की व्यवस्था करना पब्लिक हैल्थ विभाग का काम है। ये चाहे पम्प सैट्स लगाकर पानी ले जायें लेकिन इन गांवों में नहरों का जाल नहीं बिछाया जा सकता । जहां तक राय-मलिकपुर और बूढवाल में नहरी पानी की आपूर्ति की बात है, इन गांवों में 31-3-2009 तक नहरी पानी उपलब्ध कराने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी को भी मालूम है कि हम इनके यहां नहरी पानी पहुंचाने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जानते हैं कि पहले नौलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी में

अकबरपुर और फौजापुर गांवों तक पानी जाया करता था और यह नहर अटी पड़ी थी लेकिन पहली बार हमने नौलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी में बणीयारी गांव तक पानी पहुंचाया है। अगर मैं किलोमीटर्स की बात करूं तो नौलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी में पहले 14 कि०मी० तक पानी जाता था जिसे अब हमने बढ़ाकर 28 कि०मी० तक कर दिया है। इसके लिए माननीय साथी को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, हम पहाड़ों पर पानी नहीं चाहते लेकिन उन गांवों के एरियाज में जो मैदानी एरिया है, जहां किसानों के खेत हैं उन खेतों तक मंत्री जी पानी पहुंचायेंगे या नहीं। नौलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी में 14 कि०मी० आगे तक मंत्री जी ने पानी पहुंचाया है इसके लिए हम हर जगह इनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। हम तो अब केवल खेतों में पानी चाहते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी जिन गांवों का जिक्र कर रहे हैं वे हमारे कमान एरिया में नहीं आते हैं। अध्यक्ष महोदय, सहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल पर आज तक पानी नहीं पहुंचा है। हमने सहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल पर पानी पहुंचाने के लिए 21 पम्पस वैरीयस कैपेसिटी के लगाये हैं और 23 पम्प और परीक्योर किए हैं। उनको लगाने के बाद इन मौजूदा नहरें हैं उनको ठीक करेंगे। हम पहले उन गांवों में पानी पहुंचायेंगे जहां आलरैडी नहरें बनी हुई हैं और पानी नहीं पहुंच रहा और पिछली सरकारों ने इन नहरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, जे०एल०एन० में पहले कुल 1600 क्यूसिक पानी चलता था और अब बढ़कर 2500 क्यूसिक पानी हो गया है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) हमने उन गांवों में भी पानी पहुंचाया है जहां 20-20 सालों से पानी नहीं पहुंचा था। अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों का जिक्र मेरे माननीय साथी ने किया है उन गांवों को हम एग्जामिन करवा लेंगे यदि संभव होगा तो हम वहां नहरों का जाल बिछा देंगे। हम उन नहरों की टेल पर पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर आज तक पानी नहीं पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार आई उस समय नारनौल के अंदर जो टोटल टेल्ज थीं उन टेल्ज पर पानी नहीं पहुंचता था और उनकी संख्या 75 थी। यह हमारी सरकार के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि अब कुल 90 टेल्ज में से जिन पर पानी नहीं पहुंचता उनकी संख्या अब 31 रह गई है। इससे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार ने कितना अच्छा काम इस क्षेत्र में किया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जो अच्छे काम किये जा रहे हैं उनकी सराहना भी माननीय सदस्यों को करनी चाहिए।

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले सैशन के दौरान यहां पर यह बात कही गई थी कि जहां पर नहर नहीं खोदी जा सकती वहां चारों कॉर्नरस पर कम से कम पीने के पानी की सप्लाई के लिए नहर बेस्ड स्कीम बनाई जाएगी। उनमें से एक तांवे के अन्दर, दूसरा कुतबापुर में और एक थैरूंडलादी गांव में बनाने के लिए प्लान बनी थी। बाकायदा उसका एक चार्टर भी बनाया गया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस नहर बेस्ड स्कीम के माध्यम से गांवों में पीने का पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था क्या सरकार कर रही है? जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी टेल्ज पर पानी पहुंचा है जिन पर पहले नहीं पहुंचता था, इससे जाहिर होता है कि पानी तो बढ़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा इस नहर बेस्ड स्कीम के माध्यम से हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जहां तक पीने के पानी की बात है, इस सवाल का सम्बन्ध पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट से है इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि अगर वे इस बारे में सैपरेट क्वैश्चन लिखकर सम्बंधित मंत्री के पास भिजवायें तो इन्हें उसका जवाब दे दिया जायेगा।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वह वाजिब है। जैसे ही कप्तान साहब पीने का पानी सुदूर हरियाणा के आखिरी छोर तक देंगे और जैसे ही वह पानी उपलब्ध हो जायेगा जिसके लिए वे प्रयत्नशील है; हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पीने के पानी की सारी स्कीमें इस दोबारा चालू करें।

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के नोटिस में यह बात भी लाना चाहता हूं कि इस योजना के ऊपर 200 से 300 करोड़ रुपये की योजनायें प्रस्तावित हैं लेकिन नहर का पानी न आने की वजह से अटेली और नांगल चौधरी दोनों इलाकों में ये योजनायें ठप्प पड़ी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह पानी कब पहुंचेगा और कब ये नहर बेस्ड स्कीमें चालूं होंगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 31 ऐसी टेल्ज हैं जिन पर अभी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उसका कारण यह रहा है कि न तो इनके लिए पहले बजट रखा गया था और न ही कोई रिहैबीलिटेशन हुई है। अब हम इसकी रिहैबीलिटेशन कर रहे हैं। पहले इस प्रकार की 75 टेल्ज थी मगर वह अब 31 रह गई हैं, जो बाकी बची हैं उनको भी ठीक करवायेंगे। माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें। सारे काम ठीक होंगे लेकिन होंगे थोड़ा धीरे-धीरे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है वह वाजिब है। माननीय मंत्री जी उपलब्ध साधनों के मुताबिक पानी दे ही रहे हैं और उससे भी ज्यादा 14 किलोमीटर से 28 किलोमीटर तक पानी हम लेकर गये हैं। नये पम्प सैट्स आ जाने के बाद हम पानी को और भी आगे लेकर जायेंगे। सच बात तो यह है कि पूरे दक्षिणी हरियाणा का इलाका जिसके अन्दर आप उसे जीन्द से शुरू करें और दक्षिणी हरियाणा के आखिरी छोर तक चले जायें, यहां इस सारे काम के अन्दर अगर कोई अड़चन है तो वह सामने बैठी हुई है। ये वहीं लोग हैं जो हांसी-बुटाना नहर पर गृह युद्ध तक चलाने की बात करते हैं, जो कि हरियाणा की लाईफ-लाईन है। इस नहर के माध्यम से हम दक्षिणी हरियाणा में आखिरी छोर तक पानी लेकर जायेंगे। मगर उसमें सबसे बड़ी अड़चन ये लोग हैं। ये लोग यह नहीं चाहते कि हरियाणा के ऐसे इलाके को जो इलाका सूखा है जहां के लोग सूखे से पीड़ित हैं उनकी पीड़ा दूर हो। सूखा पीड़ित लोगों की पीड़ा को दूर करने में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो यह इण्डियन नैशनल लोकदल के साथी हैं जो नहीं चाहते कि झज्जर, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, नारनौल, गोहाना, सोनीपत और जीन्द का जो इलाका है, उसके अन्दर आखिरी छोर तक लबालब नहरी और पीने का पानी हम दे सकें। जब भी ऐसी कोई चर्चा होती है तो उसमें किसी न किसी माध्यम से हरियाणा की प्रगति में, हरियाणा के ढाई करोड़ लोगों को, गरीब किसान और मज़दूर को पानी न मिले इन्होंने रोड़ा अटकाया है। इसीलिए हरियाणा के लोगों ने तो इनको यहां पहुंचा दिया है। मैं समझता हूं कि अब इन्हें यहां से भी बाहर निकालने की आवश्यकता है तभी इस बात का कोई हल निकल सकेगा।

आई०जी० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूँगा कि हमारे एरिया से सुन्दर ब्रांच जाती है जो कि भिवानी को भी आगे पानी देती है, इसी प्रकार से भिवानी ब्रांच भी है जो कि मेरे हल्के के बॉर्डर से जाती है। वहां पर उससे कुछ पानी हमें भी मिलता है लेकिन जब वहां पर बाढ़ आई तो ब्रॉन्च से वहाँ पानी ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए था। क्या नहरी विभाग के पास या माननीय मंत्री जी के पास इस प्रकार की कोई कंटीजैंसी प्लान है जैसे कि वहाँ फ्लड आ गया लेकिन पीछे

जहाँ पानी की जरूरत है उनके इलाकों को तो पानी दिया जाना चाहिए। वहाँ पर कोई गेट वगैरह या कंटीजैंसी प्लान बनाकर अपट् दैट एरिया पानी दिया जाना चाहिए। क्या भविष्य में कोई ऐसी प्लान सरकार बनाने जा रही है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, फ्लड कंट्रोल के तहत बहुत सारी स्कीम्ज हम बना रहे हैं। विशेष तौर पर जब फ्लड आता है तो काफी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है और इसीलिए हम घग्गर-भिवानी ड्रेन बना रहे हैं ताकि हम उसमें पानी को डाईवर्ट कर सकेंगे। उस पर कई करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस प्रकार से बहुत सारी ड्रेन्ज हम बना रहे हैं। घग्गर-भिवानी ड्रेन पर तो काम भी शुरू हो चुका है और भविष्य में हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि जब फ्लड आये तो उस पानी को रोक कर बाद में उसका उपयोग किया जा सके। दादूपुर नलवी भी एक रिचार्जिंग चैनल है। इसी प्रकार से जीन्द के इलाके का पानी जिसकी आई०जी० साहब बात कर रहे हैं, वह भी घग्गर-भिवानी ड्रेन में आ जायेगा ताकि इनके इलाके में फ्लड की स्थिति पैदा न हो सके। अध्यक्ष महोदय, पीछे जब फ्लड आई और जब भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये हमने उसी वक्त पम्पसैट भेजे और हमने पानी को ड्रेन-आऊट करवाया। हम पूरा ध्यान रखेंगे कि दोबारा से इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो सके।

आई०जी० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल दूसरा था। मंत्री जी ने कहा कि दादूपुर-नलवी नहर बना रहे हैं, आप उसे बनायें उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। दादूपुर-नलवी नहर का पानी भिवानी में जाना भी नहीं चाहिए। जिस जीन्द के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ जो मेन हैड है उस नहर को विभाग वाले बन्द कर देते हैं। जिससे उससे आगे फ्लड और दूसरी जगह ड्राऊट का माहौल हो जाता है। वहाँ पर जो फसलें बोई गई हैं, खास तौर से धान की, वे सूख न जायें। वह इलाका सूखा रह जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि नहर विभाग द्वारा वहां पर गेट बनाया जाये so that proper water can be given upto that point. That is my point.

श्री अध्यक्ष : आई०जी० साहब, आप लिख कर भिजवा दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उसके लिए माननीय सदस्य सैपरेट नोटिस दे दें। हम उसको एग्जामिन करवा लेंगे क्योंकि यह सवाल तो नारनौल का है और माननीय सदस्य जीन्द की बात कर रहे हैं।

श्री बलवन्त सिंह सहौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि दादूपुर से नारायणगढ़ तक रिचार्जिंग नहर का प्रोविजन मंजूर हो चुका है, वह कब तक बन जायेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नारायणगढ़ के बारे में जो जिक्र किया है उसको हमने सैन्ट्रल वाटर कमीशन को भेज रखा है। जैसे ही हमें उसकी अप्रूवल मिल जायेगी उसके बाद हम इस काम को करवा देंगे। यह एक बहुत अच्छी योजना है। दादूपुर नलवी नहर का काम पिछले 20 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा था। इनको तो माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए जिनके नोटिस के बाद यह काम शुरू हो पाया है। ये तो पत्थर रख कर चले गये थे। इन्होंने तो जमीन भी एक्वायर नहीं की थी। हमारी सरकार आने के बाद जमीन एक्वायर हुई है और बजट का प्रावधान भी किया गया है। इनको तो कम से कम माननीय मुख्य मंत्री का और सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। जैसे ही सैन्ट्रल वाटर कमीशन से स्वीकृति आयेगी हम इस काम को शुरू कर देंगे।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जो रिवाड़ी और खरखड़ा यानी की धारूहेड़ा के बीच में बिनौला गांव है जिस पर हरियाणा सरकार पैसा लगा रही है उसके शटर बन्द पड़े हैं। क्या सरकार का उनको चालू करने का कोई प्लान है ? मैं मसानी बैराज की बात कर रही हूं, सर क्या उसको भी ये चालू करवायेंगे। साथ ही साथ मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूं कि हमारे यहाँ मुडहाड़ा, अकेहड़ी और मूंदशा गांव में पानी नहर से ऊपर निकलता है क्या उसके लिए भी कोई स्थाई समाधान सरकार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : पानी ऊपर से निकलता है या सीपेज है ?

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, ओवरफलो हो जाता है जिसकी वजह से सैंकड़ों एकड़ जमीन खराब हो जाती है। क्या मंत्री जी इसका कोई स्थाई समाधान बतायेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या मसानी बैराज के बारे में कह रही हैं। मसानी बैराज तो सफेद हाथी है जो कि हमारे इनैलो के साथी बैठे हैं इनके शासन काल में यह बना था। उस समय तो इनकी पार्टी का नाम इनैलो नहीं, कुछ और ही था। इनकी सरकार ने बैराज तो बना दिया लेकिन बैराज सूखा पड़ा रहा । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह जो मसानी बैराज है उसके लिए 6 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से लाल बहादुर शास्त्री कैनाल माननीय मुख्य मन्त्री जी के निर्देश पर बन चुकी है और इसका केवल 5% काम बकाया रह गया है इससे हम मसानी बराज को भरेंगे। जिन शटरज़ का ये जिक्र कर रहे हैं और मसानी बैराज का जो बन्ध हम बना रहे हैं उसका करीबन 60% काम पूरा हो गया है। मैं समझता हूं कि मसानी बैराज इस इलाके के लिए बहुत कारगर साबित होगा और उससे वाटर रिचार्जिंग होगी। स्पीकर सर, यह जो सारा काम है इसको हमारे इन भाइयों की सरकार बिगाड़ कर गई थी और अब हमारी सरकार उन कामों को सुधार रही है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुण्ढेड़ा अकेड़ी के बारे में यह कह रही हैं कि वह ओवर फलो कर रहा है। तो हम उसको एग्जामिन करवा लेंगे और अगर इस प्रकार की कोई बात होगी तो हम उसको ठीक करवाएंगे और यह कोशिश करेंगे कि पानी टेल तक पहुंचे।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, इस बार जब गर्मियों का सीज़न था उस समय मई और जून के महीनों में सिरसा जिले के अन्दर पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा था। हमने गांवों के अन्दर जा कर दौरा किया तो लोग वहां पर शिकायत कर रहे थे कि वहां पर पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है और लोगों को कहीं दूसरी जगहों से टैकरों से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार सिरसा जिले के साथ राजनैतिक रूप से कोई भेदभाव तो नहीं कर रही है और क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि जिला सिरसा में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाए ?

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप क्वैश्चन आवर में सप्लीमैंट्री पूछने में भी राजनीति क्यों कर रहे हैं। आपका सवाल तो यह होना चाहिए कि वहां पर पीने का पानी आएगा या नहीं आएगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राजनीतिक भेदभाव की बात कर रहे हैं जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक बात कह सकता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने मैनीफैस्टों में एक बात रखी थी कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर करेंगे। ये अपनी सरकार का वक्त भूल गए हैं जब जिला महेन्द्रगढ़ में 7 दिन नहर में पानी चलता था जबकि 42 दिन नहर बन्द रहा करती

थी। हमारी सरकार ने आने के बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर किया है। स्पीकर सर, भाखड़ा में पानी की कमी थी। पहले बरसात नहीं हो पाई थी और वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया था जिसकी वजह से हमने चार की बजाय 5 ग्रुप कर दिये थे और जहां तीन ग्रुप थे वहां पर चार ग्रुप हमने कर दिये थे। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह कहां के लिए कह रहे हैं। जहां तक लोगों के पीने के पानी की समस्या का सम्बन्ध है, इस सरकार ने पीने के पानी को प्रायोरिटी पर रखा हुआ है और टेल तक पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। (विघ्न)अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी से यह कहना चाहूंगा कि वे स्पैसिफिकली उस गांव का नाम बताएं जिस गांव में पानी नहीं पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने यहां पर एक बात रखी थी कि हांसी-बुटाना ब्रान्च के अन्दर अगर कोई रोड़ा है तो ये भाई हैं। इन लोगों को इस बात की तकलीफ हो रही है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग पीछे लगे हुए हैं और इन लोगों ने बादल साहब को आगे किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि ये लोग स्पष्ट बताएं कि क्या ये बी०एम०एल० के हक में हैं या यह उसके खिलाफ हैं। (विघ्न) ये लोग इस बात को स्पष्ट करें कि इस बारे में इनका क्या स्टैंड है। डा०सीता राम जी यह बातएं कि की ये लोग बी०एम०एल० के हक में हैं या इसके खिलाफ हैं ? (विघ्न)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, नाकाम तो ये लोग खुद रहते हैं और आरोप हम पर लगाते हैं। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं फैक्ट्स की बात कह रहा हूं और इनसे यह कह रहा हूं कि ये स्पैसिफिकली बताएं कि कहां पानी नहीं पहुंचा है। यह बात ठीक है कि ये लोग फालतू पानी ले रहे थे लेकिन हमने इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ वाटर कर दिया है इसलिए इनको दिक्कत हो रही है।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, चुनाव से पहले ये लोग एस०वाई०एल० की बात किया करते थे लेकिन अब इन्होंने उसको भी कहीं गोल-मोल कर दिया है और अब तो ये एस०वाई०एल० का पानी लाने की बात ही नहीं करते हैं । (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, इस समय क्वैश्चन आवर चल रहा है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सिरसा जिले के बारे में पीने के पानी के प्रति चिन्ता जाहिर की थी और कैप्टन साहब ने जो बताया है उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। सिरसा जिले के अन्दर वाटर रिचार्जिंग स्कीम के तहत चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और माननीय कैप्टन साहब ने ओटू झील के लिए छः करोड़ रुपये पहली बार दिये हैं और जब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा तो पूरे सिरसा जिले में और मैं तो यहां तक कहूंगा कि पड़ोस तक के जिलों के साथ ही साथ राजस्थान तक को भी शायद उससे फायदा हो लेकिन सिरसा जिले को तो इसका फायदा होगा ही।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ओटू झील का जिक्र किया है। जो कैनाल अटी पड़ी थी हमने उसको साफ करवा कर उसमें पानी चलवाया है। यह बताएं कि क्या हमने वहां पर पानी नहीं चलवाया है ?

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला में 32 करोड़ रुपए की लागत से पीने का पानी देने की योजना चल रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है।

श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन्होंने कहा है कि ये साहबी नदी में और पानी लाएंगे जबकि राजस्थान ने उस पर बांध बना कर पानी को रोक रखा है। ये कहां से और पानी लाएंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में पहले भी कहा है कि हम इसको जवाहर लाल नेहरू कैनाल से जोड़ देंगे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनके समय से 75 टेल्ज़ शार्ट थीं और अब 31 ही बची हैं। वह शार्ट क्यों थीं क्योंकि विपक्ष के भाई अपनी सरकार के वक्त में वहां पर पानी नहीं दे रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह (फरमाणा) : अध्यक्ष महोदय, इस बार ज्यादा बरसात होने की वजह से मेरे हल्के में पानी खड़ा होने से झीलें बन गई हैं और उसकी वजह से फसलें खराब हो गई हैं।

श्री अध्यक्ष : आप नाम बताएं कि कहां पर फसलें बर्बाद हुई हैं।

श्री सुखबीर सिंह (फरमाणा) : अध्यक्ष महोदय, थानाकलां और मदोड़ा दोनों गांवों में 400 से लेकर 500 एकड़ में पानी खड़ा है और जिसकी वजह से वहां पर फसलें खराब हो गई हैं। क्या मंत्री जी वहां पर लोगों को मुआवजा देने की कृपा करेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, हमने स्पेशल गिरदावरी के आर्डर कर दिए हैं और उसके बाद ही वहां पर मुआवजा दिया जाएगा।

श्री बख्शन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के सफीदों में जे०डी० नम्बर 1 रजबाहा निकलता है। पिछले 10 सालों में वास्तविकता यह रही है कि विपक्ष की सरकार होने की वजह से वहां पर कम से कम 20 गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि उस सरकार के लोग पहले ही वहां से पानी चोरी कर लेते थे। मैं इस सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस सरकार के बनने के चार-पांच महीने में ही वहां पर पानी प्रोपर पहुंचने लग गया था। मुझे पता चला है कि इस रजबाहे की कपैस्टी बहुत कम है। मेरे ख्याल से शायद 500 क्यूसिक ही है। क्या मंत्री जी इसकी कपैस्टी बढ़ाने की कृपा करेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि यह जो पानी की चोरी होती है इसको रोकने के लिए एक बटालियन क्रिएट की जाएगी। वह इरिगेशन और पॉवर डिपार्टमैंट की मदद से काम करेगी और उस बटालियन को पुलिस की पॉवर भी दी जाएगी। जहां तक इन्होंने जे०डी० नम्बर 1 रजबाहे की कपैस्टी बढ़ाने की बात कही है तो मैं इनको यह कहना चाहूंगा कि हम उसको एग्जामिन करवा लेंगे और अगर उसकी कपैस्टी बढ़ाने की प्रपोजल हुई तो हम जरूर उसकी कपैस्टी बढ़ाएंगे।

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्के बड़ौदा क्षेत्र की कुछ नहरों की टेलों तक पानी नहीं जाता है, क्या मंत्री जी वहां पर टेलों तक पानी पहुंचाने का कष्ट करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चिड़ाना जी, आप माईनर्ज का नाम बताएं, हल्के का नाम लेने से बात नहीं बनेंगी। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनको जो भी बात कहनी चाहिए वह तथ्यों पर आधारित ही कहनी चाहिए। इनके समय में रोहतक सर्कल में 39 टेलें शार्ट थीं और आज कुल तीन टेल

शोर्ट हैं। अध्यक्ष महोदय, या तो ये मुझे स्पैसिफिक नाम लेकर बताएं कि इनके यहां की कौन सी टेल पर पानी नहीं पहुंचा है। अननैसेसरी ऐसे ही कहना ठीक नहीं है। इनकी केवल तीन टेल ही शोर्ट हैं। इनको ठीक ढंग की बात कहनी चाहिए या फिर रजवाहों के नाम बताने चाहिएं। (विघ्न)

श्री रामफल चिढ़ाना : स्पीकर साहब, मैंने पिछली बार भी अखबारों में इस बारे में बयान दिया था लेकिन आज तक भी उन रजवाहों में पानी नहीं पहुंचा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप इनको सवाल पूछने का तरीका समझाया करो, बताया करो। कल भी आपकी पार्टी के नेता जब शोक प्रस्ताव पर श्रद्धांजली अर्पित कर रहे थे तो वे सदन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे जबकि उनको अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, हम सभी हाउस के मैम्बर्ज हैं इसलिए वे ऐसा कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, अगर मैम्बर हैं तो आप उनको बताया करो कि सदन के नेता ने सदन की तरफ से श्रद्धांजलि दे दी थी। वे तो जो किताब में लिखा है उस पर ही लगे हुए थे। आप इनको सवाल पूछने का तरीका बताया करो।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, क्या इसका मतलब दूसरा कोई मैम्बर श्रद्धांजलि सदन की तरफ से नहीं दे सकता ? (विघ्न)

डॉ० सुशील इंदौरा : स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि हम सदन के साथ-साथ सदन के पार्ट हैं इसलिए कल उन्होंने कहा था कि हम अपने आपको सदन की भावनाओं के साथ जोड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, ऐसा है मैं रिकार्ड निकलवाता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं सदन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। (विघ्न)

डॉ० सुशील इंदौरा : स्पीकर साहब, भावनाएं भी तो समझी जानी चाहिएं।

श्री अध्यक्ष : क्या भावनाएं समझी जानी चाहिए ?

डॉ० सुशील इंदौरा : स्पीकर साहब, सदन की भावनाएं समझी जानी चाहिएं। यह तो अंडरस्टुड है। हम सदन के साथ अपनी भावनाएं जोड़ रहे हैं। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। ***

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, वे तो पुरानी रटी रटायी बात पढ़ देते हैं। (विघ्न) डॉ० साहब, आप इनको बताया करो। (विघ्न) Nothing is to be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, पुरानी रस्सी जल गयी लेकिन उसके बल अभी तक टूटे नहीं हैं। इनके नेता की यही समस्या है। (विघ्न)

डॉ० सुशील इंदौरा : स्पीकर साहब, * * * (विघ्न)

श्री नरेश कुमार प्रधान : स्पीकर साहब, मेरे हल्के के छारा माईनर भदाना-भदानी माईनर और आसाराखेड़ी माईनर की टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इनकी सफाई करवाकर पानी पहुंचाया जाए। इसी तरह से जहांगीरपुर माईनर की 8 नम्बर ड्रेन तक अगर दो तीन किलोमीटर तक सफाई करवाकर और उसे खुदवाकर बढ़ा दिया जाए तो उससे मेरे हल्के बादली के चार पांच गांवों के किसानों को पानी मिल सकता है। इसी तरह से पासोर माईनर को यदि 8 नम्बर ड्रेन तक खुदाई करवाकर उसमें मिला दिया जाए तो इससे भी मेरे हल्के के 6-7 गांवों के किसानों को लाभ हो सकता है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, हर एक माईनर के बारे में रिप्लाई देना संभव नहीं है इसलिए आप इनके बारे में लिखकर मंत्री जी को भिजवा दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये इनके बारे में मेरे पास लिखकर भिजवा दें।

श्री नरेश कुमार प्रधान : ठीक है सर।

श्री रामकिशन फौजी : स्पीकर साहब, डा० सीता राम जी हमारे पुराने साथी हैं। मुझे आज इनकी बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। (विघ्न) सीता राम जी ने पानी की बात कही, बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष जी, आप भी पुरानी सरकार के समय में हमारे साथ बैठते थे इसलिए आपको भी पता ही है कि चौटाला साहब की पिछली सरकार तानाशाह की सरकार थी। उस समय मैंने पानी की मांग करी थी लेकिन वह सुनी नहीं गयी । (विघ्न)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने मंत्री जी बैठे हैं। यह उनका ही बयान है। मेरे पास यह अखबार है इसमें इस सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि पानी की कमी है। (विघ्न) यह हम नहीं कह रहे हैं। आपकी सरकार के जो हैड हैं ये उनसे भी पूछ सकते हैं कि पानी की कमी है या नहीं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, आप बैठिए। You must understand the seriousness of the question. फौजी साहब, आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछिए। (शोर एवं व्यवधान) Ask your specific supplementary (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने अपने हल्के के लिए मुख्यमंत्री जी से पानी की मांग की थी और पानी भेजा भी गया था उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा। अब की बार भिवानी में बाढ़ आई थी। पिछली चौटाला जी की सरकार के शासनकाल में पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी लेकिन इस बार बरसात की पौ बारह हो गई है। (शोर एवं व्यवधान)। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भिवानी के अंदर जो बाढ़ आई थी, उसमें जो गांवों में पानी भर गया था, मुख्यमंत्री जी ने रात-दिन एक करके भरपूर प्रयास करके उस पानी को निकलवाया और लोगों को राहत दी। इससे पहले इतनी जल्दी कभी बाढ़ का पानी नहीं निकाला गया था। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के के कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जिनमें से बाढ़ का पानी अभी नहीं निकल सका है जिसकी वजह से बाजरा,कपास, ग्वार, ग्वांर आदि की फसल तबाह हो गई है। उसके लिए तो मुख्य मंत्री जी ने मुआवजे की बात कह ही दी है लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के के गांव खेड़ी दौलतपुर, अलखपुरा, सियाना, जाटू लोहारी, कुंगड़ बड़ा पाना, कुंगड़ छोटा पाना, भैणी जटटान, भैणी ठाकरान, सिवाड़ा, बड़सी, बवानी खेड़ा, मुंढाल व तालू इन गांवों में से पानी कब तक निकलवा दिया जाएगा ? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन गांवों का जिक्र किया है उनमें से 15 सितंबर से पहले पहले बिजाई होने से पहले पहले पानी निकलवा देंगे।

Number of new Districts, sub-Divisions, Tehsils and sub-Tehsils

***1011. Sh. Ram Kumar Gautam :** Will the Minister of State for Revenue & Disaster Management be pleased to state the number of new Districts, Sub-Divisions Tehsils, Sub-Tehsils created by the Government since April, 2005 ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : श्रीमान् जी,

सूचना निम्न प्रकार से है :--

नये जिले	2 (मेवात, पलवल)
उप-मण्डल	4 (तोशाम, बराडा, बिलासपुर, गुड़गांव (दक्षिण)
तहसील	4 (बिलासपुर, सांपला, फारूखनगर, मातनहेल)
उप-तहसील	2 (साहलावास, बालसमन्द)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से और विशेष तौर से मुख्यमंत्री महोदय से क्योंकि आमतौर से वे ऐलान करते हैं, जानना चाहता हूं कि हालांकि मुझे कोई ईर्ष्या नहीं कि मेवात को जिला बना दिया, पलवल को जिला बना दिया और तोशाम जो बांगड़ लाइन का है उसको भी उप-मंडल बना दिया, बराड़ा, बिलासपुर और गुड़गांव (दक्षिण) को भी उपमंडल बना दिया। मुझे बहुत अफसोस है कि नारनौंद जैसा चुटंग का इलाका जहां कभी कोयल कूका करती थी और यहां पर फिरोजशाह तुगलक ने भी इतनी पवित्र धरती समझकर इस इलाके में नहर निकाली थी, उसको कुछ नहीं बनाया। नारनौंद सारे हरियाणा में सबसे पुराना और नम्बर एक का गांव है। मैं सरकार से इस बारे में कितनी ही बार गुजारिश कर चुका हूं। यह कसूर हमारा तो नहीं है यह तो जनता का कसूर है कि उन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी का एम०एल०ए० बना दिया।

श्री अध्यक्ष : आपने क्या इसके बारे में कभी सरकार को लिखकर भी दिया है ?

श्री रामकुमार गौतम : स्पीकर सर, कई बार क्या हर बार लिख कर दिया है। मुख्यमंत्री जी एक बार खड़े होकर इस बारे में ऐलान कर दें, आज तो दरियादिली दिखा दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इस बारे में सर्वे करा लें और अगर क्राईटेरिया पूरी करते हों तो इसको करवा देना।

श्रीमती सावित्री जिन्दल : अध्यक्ष महोदय, नारनौंद के बारे में सर्वे करवा लेंगे और उसकी जो भी रिपोर्ट आयेगी उस हिसाब से उस पर विचार कर लिया जायेगा।

Entry of Big Industrialists/Capitalists in Retail Trade

Reply to the Starred Assembly Question No. 1029 asked by Dr. Sushil Indora, MLA regarding entry of big industrialists/capitalists in retail trade.

*1029. **Dr. Sushil Indora :** Will the Industries Minister be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the entry of big Industrialists and capitalists in the retail trade is adversely affecting the business of small shopkeepers; if so, the steps taken by the Government to protect the interest of small shopkeepers ?

Industries Minister (Sh. Lachhman Dass Arora) : Sir, Reply is placed on the Table of the House.

Reply

There is no ban/restriction on entry of big industrialists or capitalists in retail trade in Haryana. In fact, no permission is required to setup retail business in the State except for sale, purchase, storage of agricultural produce for which, a licence is issued by the Haryana State Agricultural Marketing Board under Section 10 of the Punjab Agricultural Produce Market Act, 1961. It is true that some big industrial houses/ supply & marketing chains are entering in the retail trade in the State and opening retail outlets. This leads not only to a competitive environment but also greater choice with assured quality of goods to the common consumers at large. There is no evidence as yet to point towards any adverse effect of the retails sale outlets on the business of small shopkeepers.

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दो बातें बताई हैं। सामाजिक न्याय और व्यापार को बढ़ावा देना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। आज क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है और यह बात सरकार ने भी मानी है कि प्रतिस्पर्धा के युग में बड़ी मुश्किल हो जाती है क्यों कि एक छोटे दुकानदार को जो बड़े माल बने हुए हैं या बड़े उद्योगपति हैं और व्यापारी घराने हैं उनसे उनके लिए प्रतिस्पर्धा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बारे में मेरा यह सवाल था। मैं सरकार की सोच के बारे में बताना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Indora Sahib, ask your specific supplementary. दो मिनट तो आपने बैकग्राउंड बनाने में ले लिए हैं। क्वैश्चन आवर में ask Specific question and get specific answer and the matter will be over. आप बाद में बोल लेना।

डॉ० सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, मैं सरकार की सोच बता रहा हूं। माननीय मंत्री जी के जवाब में आया है कि इससे न केवल प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार होगा क्योंकि खुदरा व्यापार में बड़े उद्योगपति आते हैं बल्कि उपभोक्ता के लिए भी अधिक अच्छी गुणवत्ता की उत्तम चुनी हुई वस्तुऐं उपलब्ध होंगी। एक आम दुकानदार है वह बड़े उद्योगपति से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है, उसे सुविधाएं देना जरूरी है। बड़े माल रविवार को भी खुले रहते हैं और उन पर शॉप टैक्स भी नहीं लगता । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या छोटे दुकानदारों को सुविधा देने के लिए शॉप एक्ट को खत्म करेंगे ताकि छोटी दुकानें भी रविवार को खुली रहें।

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं उनको बताना चाहता हूं कि सदियों से हमारे भारतवर्ष में यह रिवाज चला आ रहा है छोटे दुकानदार का भी माल उतना ही बिकता है जितना बड़े दुकानदार का बिकता है। जो बड़े महंगे स्टोर हैं वहां पर महंगी चीज लेने वाला जाता है। आम आदमी तो उस जगह पर जाता है जहां उसको ठीक लगता है।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब की जानकारी में यह नहीं है कि हरियाणा में सभी शॉपिंग माल सप्ताह में एक दिन बन्द रहते हैं। एक दिन छुट्टी अगर छोटी दुकान पर होती है तो एक दिन की छुट्टी बड़े माल हैं वहां पर भी होती है। इनकी यह बात तथ्यों से परे हैं।

डॉ० सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, सरकार ने जवाब में यह कहा है कि खुदरा व्यापार में नये प्रतियोगियों को लाईसैंस दिया जाता है जैसे बिक्री, खरीद और रख-रखाव के लिए भी लाईसैंस दिया

जाता है। मेरी जानकारी में कुछ ऐसे व्यापारियों के तथ्य भी हैं जो लाईसैंस नहीं लेते और एच०आर०डी०पी० की चोरी करते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं। जैसे कारगिल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, रूचि, अम्बुजा आदि हैं जो सरकार के टैक्स की चोरी करते हैं और एच०आर०डी०पी० की चोरी करते हैं। क्या सरकार इनके लिए कोई सख्त कदम उठायेगी ताकि जो सरकार के टैक्स चोरी करते हैं उनको नियंत्रित किया जा सके और जिससे सरकार को भी इसका फायदा मिल सके।

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चरल आइटम्स के लिए लाइसैंस लेना पड़ता है। चाहे कोई चीज छोटी हो या कोई चीज बड़ी हो, लाइसैंस लेकर ही उनको बेचा जाता है। यदि कोई बिना लाइसैंस लिए कोई चीज बेचता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। इनको वहम है कि जो बिना लाइसैंस लिए कुछ बेचते हैं हम उनको छेड़ते नहीं । मैं इनको बताना चाहूंगा कि हम उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं और उनके चालान होते हैं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि जो बड़ी-बड़ी मल्टीनैशनल कम्पनीज स्टोर्ज खोलने जा रही हैं, इससे रिटेल वाले छोटे दुकानदारों के बिजनैस पर फर्क पड़ेगा। आज एक-एक रिटेल खुल रहे हैं और आगे 10-10 कम्पनियां ऐसे रिटेलस खोलने के लिए तैयार हैं। जब बड़े-बड़े फाइनैंशियल स्ट्रोंग आदमी स्टोर खोल देंगे तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि छोटे दुकानदार उनको कम्पीट कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई सर्वे करवाएगी कि इन बड़े-बड़े मॉल्स के खुल जाने से हरियाणा के कितने रिटेलर्स, कितने रेहड़ी वाले, कितने छाबे वाले, कितने सब्जी वाले और कितने परचून वाले दुकानदारों के बिजनैस पर इफैक्ट पड़ेगा।

श्री लछमण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने माना है कि हरियाणा में हर किस्म के दुकानदार हैं। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि बड़े-बड़े स्टोर खुल जाने से बहुत लोगों को रोजगार मिला है। इसलिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। छोटे दुकानदार एज इट इज चल रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वाजिब प्रश्न उठा है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम सरकार की तरफ से इस बात को लेकर सजग हैं। मैं सदन के माध्यम से हाउस को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय और सरकार दोनों इस बात को लेकर सजग हैं कि बड़े-बड़े शापिंग माल या रिटेल्स के आने से हरियाणा के छोटे दुकानदारों के व्यवसाय पर असर न हो। इसके दो पहलू हैं। एक तो जहां फौरन डारैक्ट इन्वैस्टमैंट आनी है यह केन्द्र का मुद्दा है और रिटेल्स पर आज तक भारत सरकार ने फौरन डारैक्ट इन्वैस्टमैंट परमिट नहीं किया। दूसरा जो लोकल कम्पनियों ने बड़े-बड़े रिटेल्स खोल दिए हैं जिससे छोटे दुकानदारों के व्यवसाय पर असर पड़ेगा, ऐसा सुरजेवाला और इन्दौरा जी दोनों ने कहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके अनुसार यहां एक लाख 360 ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनके पास लाइसैंस हैं और जो एक लाख से भी ज्यादा का काम करते हैं। इसके विपरीत जो नान-एग्रीकल्चर रिटेलर हैं, वे केवल 118 हैं। इसलिए हमारे आंकड़े के मुताबिक आज की तारीख में जो रिटेल शॉपस आई हैं वे बड़े शहरों में आई हैं और हरियाणा के ज्यादातर शहर दरमियाने या छोटी आबादी के हैं इसलिए उनके व्यवसाय पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा। 360 ट्रेडर्ज हैं जिनकी एक लाख रुपये से ज्यादा की टर्न ओवर हैं और केवल 118 नॉन एग्रीकल्चर रिटेलर्स यहां आए हैं। इसलिए इन्होंने जो चिन्ता जाहिर की है मुझे नहीं लगता कि आज के दिन इसकी कोई बुनियाद है। फिर भी हम सजग हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिए हैं कि छोटे दुकानदारों के व्यवसाय पर आंच नहीं आने देंगे। इस बात को लेकर यह सरकार सजग है।

Eastern Express Highway

***1023. Sh. Udai Bhan :** Will be PWD (B&R) Minister be pleased to state the present position of Eastern Express Highway leading from Palwal to Noida togetherwith the time by which the work is likely to be started thereon alongwith the time by which it is likely to be completed ?

Irrigation Minister (Captain Ajay Singh Yadav) : This work is with National Highways Authority of India (NHAI). It is learnt that NHAI is likely to start this work during the year 2009. The work is likely to get completed by the year 2012.

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने पलवल को जिला बना दिया। पलवल के लोगों की तरफ से भी मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा। पलवल के इस्ट साइड में इस्टर्न एक्सप्रैस हाइवे निकलना है और लैफ्ट साइड में कुण्डली मानेसर पलवल एक्सप्रैस हाइवे निकलना है। इस प्रकार पलवल के दोनों तरफ एक अच्छा कोरीडोर बन जाएगा। पलवल ऐसा जंक्शन है जहां पूरी तरह एन०सी०आर० रीजन है, नैशनल हाइवे हैं और मेन रेलवे लाइन है। एक तरफ इस्टर्न एक्सप्रैस हाइवे है और दूसरी तरफ कुण्डली मानेसर पलवल एक्सप्रैस हाइवे है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस इस्टर्न एक्सप्रैस हाई-वे की क्या प्रोग्रैस हुई है ? क्या इसके लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और इसके ड्राईंग वगैरा एप्रूव हो चुके हैं या नहीं हुए हैं तथा इस एक्सप्रैस हाई-वे के रास्ते कहां मिलेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पलवल को मानेसर की तर्ज पर डिवैल्प करने के लिए विचार कर रही है क्योंकि वहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ? क्या सरकार वहां पर कोई एस०सी०जैड० या मल्टी नैशनल कंपनी लाने के बारे में विचार कर रही है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस्टर्न एक्सप्रैस हाई-वे और वैस्टर्न एक्सप्रैस हाई-वे का सवाल है, इस बारे में 18-8-2005 को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आये थे जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांस्पोर्ट के सक्रेटरी इसको मोनीटर कर रहे हैं और यह कार्य जून, 2012 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसके प्रोग्रैस का सवाल है, इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस्टर्न एक्सप्रैस हाई-वे हरियाणा के अंदर टोटल 49 कि०मी० आयेगा जिसमें से 13 कि०मी० सोनीपत जिले में आता है जहां पर पूरी जमीन एक्वायर हो चुकी है और पैसे भी दिए जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस्टर्न एक्सप्रैस हाई-वे और वैस्टर्न एक्सप्रैस हाई-वे के लिए पहले जमीन अधिग्रहण के लिए 3 से 4 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजे के रखे गये थे और कई जगह पर तो डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा के रखे गये थे लेकिन हमारी सरकार ने किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए फ्लोर रेट निर्धारित किए जिसके तहत 22 लाख रुपये प्रति एकड़ जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये मेरे विपक्ष की तरफ बैठे भाई अपने आपको किसान हितैषी कहते हैं लेकिन इन्होंने तो किसानों को मिट्टी में मिला दिया था लेकिन हमने किसानों को फायदा पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त इस्टर्न एक्सप्रैस हाई-वे का 36 कि०मी० एरिया फरीदाबाद और पलवल के एरियाज में पड़ता है। वहां पर कुछ जमीन एक्वायर कर ली गई है और कुछ एरिया बाकी है। जहां तक यू०पी० का सवाल है, वहां लैंड एक्वीजीशन में प्रोब्लम चल रही है। हमारे यहां वैस्टर्न एक्सप्रैस

हाई-वे के लिए आलमोस्ट जमीन एक्वायर कर ली गई है। इसमें क्वालीफाईंग करने के लिए टोटल 24 बीडर्ज आये थे जिनमें से 8 बीडर्ज ने क्वालीफाई किया है। इन बीडर्ज के नाम इस प्रकार हैं, आई०एल०एंड एफ०एस० कुंज लायड सोहना, जे०पी० एसोसियेशन, एल० एण्ड टी०, जी०एम०आर०, रिलायंस एनर्जी, आई०जी०एम०, आई०डी०एफ०सी० और डी०एस० अपोलो। अध्यक्ष महोदय, इनको पूर्ण रूप से एक कमेटी मोनीटर कर रही है। इसको बनाने का टार्गेट जून, 2012 रखा गया है। इसमें कई जगह चार इंटरचेंजिज रखे गये हैं। जिसमें से एक दिल्ली बागपत रोड के पास, एक अटेली चौसा रोड के पास और एक एन०एच० 2 के ऊपर होगा। अध्यक्ष महोदय, पलवल के विधायक ने बात रखी थी कि इस एक्सप्रेस हाई-वे पर पलवल के पास दो इंटरसैक्शन होने चाहिएं। मैं मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि पलवल के पास दो इंटरसैक्शन हों लेकिन वे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। एक जगह है आदलपुर और दूसरी जगह हसनपुर के पास है जहां एन०एच० 2 से इंटरसैक्शन निकलकर आता है और इन दोनों जगहों पर हम इंटरसैक्शन बनवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।

श्री अमीर चंद मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं कि हांसी शहर के अंदर से सारा ट्रैफिक होकर आता है जिसके कारण वहां बहुत एक्सीडैंट्स होते हैं। वहां बाई-पास बनाना बहुत जरूरी है। क्या मंत्री जी वहां जल्दी से जल्दी बाई-पास बनवाने की मेहरबानी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मक्कड़ साहब, आपका अलग सवाल है इस बारे में आप मंत्री जी को लिखकर भिजवा देना।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस्टर्न एक्सप्रेस हाई-वे के लिए किसानों की जो जमीन एक्वायर की जा रही है क्या उन किसानों को भी 35 साल तक 15 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सालाना बोनस दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एन०एच०ए०आई० वाले इन हाईवेज के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए 16 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं क्या हमारे यहां किसानों को एन०सी०आर० के हिसाब से सरकार ने जो फ्लोर रेट निर्धारित किए हैं उसी हिसाब से 22 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमैंट के बाद जो जमीन एक्वायर की जायेगी उसको बोनस दिया जायेगा लेकिन पिछली सरकार के हमारे श्रीमान जी जो कर गये उसका हम क्या कर सकते हैं ? अध्यक्ष महोदय, हम तो अपने फ्लोर रेट के मुताबिक ही हमारे किसानों को मुआवजा देंगे और जो बोनस बनेगा वह भी उनको दिया जायेगा।

Mr. Speaker : Now, the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Repair and Desilting work of Minors/Distributaries

***1003. Sh. Naresh Yadav :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) the time by which the repair and desilting work of the Salimpur minor, Ratta Kalan minor and the distributaries of Mohammadpur, Bhojawas and Rambas is likely to be completed in district Mahendergarh ;

(b) the time by which the repair and construction work of water courses falling under the areas of the said minors and distributaries is likely to be completed ; and

(c) the time by which the canal water will be supplied in the minors and distributaries referred to in part (a) above ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) रत्ता कलां माईनर नाम की कोई माईनर नहीं है। यद्यपि रत्ता डिस्ट्रीब्यूटरी है। इस डिस्ट्रीब्यूटरी में बड़ी मरम्मत एवं गाद निकासी की आवश्यकता नहीं है। सलीमपुर माईनर, मोहम्मदपुर डिस्ट्रब्यूटरी, भोजावास डिस्ट्रीब्यूटरी और रामबास डिस्ट्रीब्यूटरी की मरम्मत एवं गाद निकासी का कार्य निम्नानुसार पूरा किया जाएगा :--

1.	सलीमपुर माईनर	-30-9-2008
2.	मोहम्मदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी	-31-10-2008
3.	रामबास डिस्ट्रीब्यूटरी	-31-3-2009
4.	भोजावास डिस्ट्रीब्यूटरी	-30-9-2008

(ख) जलमार्गों की मरम्मत एवं निर्माण का कार्य एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और यह कार्य आवश्यकता एवं धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

(ग) उपरोक्त वर्णित माईनरों एवं रजबाहों में अभी भी पानी प्रवाह कर रहा है। रत्ता डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तिम छोर पर पानी उपलब्ध है। शेष चैनलों के अन्तिम छोर पर पानी निम्नानुसार उपलब्ध रहने की संभावना है :--

1.	सलीमपुर माईनर	-31-10-2008
2.	मोहम्मदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी	-30-11-2008
3.	रामबास डिस्ट्रीब्यूटरी	-31-5-2009
4.	भोजावास डिस्ट्रीब्यूटरी	-31-5-2009

Embezzlement of Money by Manager/Secretary of Mini Bank

***1018. Sh. Radhey Shyam Sharma :** Will the Co-operation Minister be pleased to state —

(a) the number of persons whose money has been embezzled by the Manager/ Secretary of the Mini Bank, the Cooperative Society, Gawri Jat (Narnaul) from January, 2006 to April, 2008;

(b) the number of fictitious receipts issued in the said Cooperative society of Gawri Jat; and

(c) the action taken against the officer/officials who have issued the fictitious receipts ?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, संबंधित सूचना निम्न प्रकार से है :

(क) जनवरी 2006 से अप्रैल 2008 से दौरान गावड़ी जाट सहकारी समिति (नारनौल) के प्रबंधक/सचिव द्वारा किसी भी सदस्य के धन का गबन नहीं किया गया।

(ख) कोई जाली रसीद जारी नहीं की गई है।

(ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) के दृष्टिगत कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

Opening of New Government Colleges in the state

***1012. Sh. Ram Kumar Gautam :** Will the Education Minister be pleased to state the number of New Government Colleges opened in the state since April, 2005 together with the name of places and criteria thereof .

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : श्रीमान् जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

अप्रैल, 2005 से अब तक राज्य में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है:-

क्रमांक	राजकीय महाविद्यालय का नाम	खोलने की तिथि
1.	राजकीय महाविद्यालय सदक भाजरी (करनाल) (सरकार द्वारा प्रभार में लिया गया)	17-5-2005
2.	प्रियदर्शनी इन्दिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय, जीन्द।	31-10-2005
3.	राजकीय महाविद्यालय साहा (अम्बाला)	2-2-2007
4.	पं० नेकी राम शर्मा राजकीय महाविद्यालय भूतपूर्व यूनिवर्सिटी कालेज, रोहतक	31-5-2007

5.	राजकीय महिला महाविद्यालय, पंचकूला।	5-7-2007
6.	चौ0 बन्सी लाल राजकीय महिला महाविद्यालय, तोशाम (भिवानी)	17-10-2007
7.	डा0 भीम राव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, कैथल।	17-10-2007
8.	राजकीय महाविद्यालय जुलाना (जीन्द)।	17-10-2007
9.	राजकीय महाविद्यालय बिरोहड (झज्जर)	17-10-2007
10.	राजकीय महाविद्यालय मण्डी डबवाली (सिरसा)	17-10-2007
11.	राजकीय महिला महाविद्यालय, रेवाड़ी	22-4-2008
12.	राजकीय महाविद्यालय छछरौली (यमुनानगर)	9-5-2008
13.	राजकीय महाविद्यालय, पानीपत।	8-7-2008
14.	राजकीय महाविद्यालय बरवाला (हिसार)	7-8-2008
15.	राजकीय महिला महाविद्यालय, लाखनमाजरा (रोहतक)	20-8-2008

राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिये कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है। इस प्रकार के निर्णय समय-समय पर तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप लिये जाते हैं।

Steps taken for the Supply and Generation of Electricity

*1030. **Dr. Sushil Indora :** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) the concrete steps taken by the State Government for the supply and generation of electricity in the State;

(b) whether the increase in rates of electricity was necessary taking the steps as referred to in part (a) above ;

(c) the rates of electricity increased during the last three years; and

(d) whether the permission of the Haryana Regulatory Electricity Commission was mandatory under the rules; if so, whether the permission was obtained therefore ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : सूचना माननीय सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

सूचना

राज्य में वर्तमान समय में कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 4679.96 मैगावाट है जिसमें से 2187.70 मैगावाट राज्य के अपने पानीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर में स्थापित थर्मल उत्पादन प्लांटों से तथा जलीय विद्युत प्लांट यमुनानगर से है। शेष बचा हिस्सा केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र केन्द्र (सी०पी०एस०यू०),भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड (बी०बी०एम०बी०) तथा स्वतंत्र बिजली उत्पादकों का है।

राज्य सरकार ने राज्य में नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

1. 2X300 मैगावाट यमुनानगर थर्मल परियोजना की प्रथम यूनिट वाणिज्यिक रूप से 14-4-2008 को चालू हुई तथा दूसरी यूनिट 24-6-2008 को चालू हुई। सिंक्रोनाइजेशन से 26-8-2008 तक 300 मैगावाट यूनिट-I एवं II ने क्रमश: 897.97 मिलियन यूनिट तथा 473.79 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया।

2. 2X600 मैगावाट राजीव गांधी थर्मल विद्युत परियोजना, हिसार तेजी से प्रगति कर रही है। इस परियोजना की प्रथम तथा दूसरी यूनिट क्रमश: दिसम्बर 2009 तथा मार्च 2010 में चालू होनी निश्चित हैं। समग्र 37.50% प्रगति उपलब्ध हुई है।

3. एक कोयले पर आधारित 3X500 मैगावाट सुपर थर्मल विद्युत परियोजना, हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा राष्ट्रीय थर्मल पॉवर निगम लिमिटेड के संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में झज्जर में स्थापित की जा रही है। इस परियोजना में हरियाणा का हिस्सा 750 मैगावाट है। इस परियोजना से उत्पादन वर्ष 2010-11 के दौरान प्रारम्भ होना सम्भावित है।

4. जिला झज्जर में 1320 मैगावाट कोयला आधारित प्लांट स्थापित करके मामला-2 के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों पर आधारित टैरिफ द्वारा विद्युत अभिग्रहण भी प्रक्रियाधीन है। हरियाणा इस परियोजना के लिए भूमि, कोयला, एवं पानी लिंकेज प्रदान कर रहा है। इस परियोजना के लिए एल०ओ०आई० मैसर्ज सी०एल०पी० पॉवर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड पर 23-7-2008 को जारी की गई है तथा डिस्कोमज तथा मैसर्ज सी०एल०पी० के मध्य विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर 7-8-2008 को हुए हैं।

5. राज्य/केन्द्र विद्युत निगमों/आई०पी०पी०एस० द्वारा प्राप्त की जा रही सभी परियोजनाओं के लिये पी०पी०ए०/एम०ओ०यू०एस० पर हस्ताक्षर हो गये तथा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन सभी परियोजनाओं से हरियाणा को वर्तमान संकेतों के अनुसार लगभग कुल 6078 मैगावाट उपलब्ध होनी सम्भावित है। इस एम०ओ०यू०एस०/पी०पी०ए०एस० में से क्रमश: 25 मैगावाट वर्ष 2007-08, 122.5 मैगावाट वर्ष 2008-09, 583.5 मैगावाट वर्ष 2009-10 के लिये, 328 मैगावाट वर्ष 2010-11 के लिये, 867 मैगावाट वर्ष 2011-12 के लिए तथा 4152 मैगावाट 2012-13 के लिए है।

6. उपरोक्त 6078 मैगावाट की अतिरिक्त क्षमता में शामिल है :--

   (i) प्राइवेट सैक्टर में विकसित की जा रही परियोजनाओं से बिजली क्रय करने के लिए लैंको के साथ (389 मैगावाट) मैसर्ज ई०टी०सी०-जी०एम०आर० (300 मैगावाट) तथा मैसर्ज अडानी (1424 मैगावाट) समझौते/हस्ताक्षरित एम०ओ०यू०/एल०ओ०आई० जारी कर दी गई है।

   (ii) प्राइवेट सेक्टर में विकसित की जा रही सेसन, मुंदरा, उड़ीसा तथा झारखण्ड में 4 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं (प्रत्येक लगभग 4000 मैगावाट क्षमता) से 1450 मैगावाट।

   (iii) केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से /पी०टी०सी० के माध्यम से 2615 मैगावाट हिस्सा।

7. नवीनीकरण योग्य (रिन्यूवेबल) ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य में नवीनीकरण योग्य (रिन्यूवेबल) ऊर्जा के आधार पर विद्युत परियोजनाओं के स्थापित करने के लिए लगभग 700 मैगावाट के लिए एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

8. बिजली की मांग में कमी लाने के लिए राज्य में ऊर्जा कुशल लाइटिंग से सम्बन्धित डिमांड साइड प्रबन्ध अभियान प्रारम्भ किए गए हैं।

9. राज्य में बिजली की मांग को तुरन्त पूरा करने के लिए अल्प अवधि के आधार पर बिजली क्रय के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

बी.सी.डी. पिछले तीन सालों के दौरान बिजली की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। यद्यपि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने ईन्धन प्रभारों के समंजन करने के लिए दो बार अनुमति दी है।

Construction of Railway Over-Bridge

***1024. Sh. Udai Bhan :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a railway over-bridge on the Hodal-Hasanpur road near Hodal; if so, the action being taken in this regard ?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : हाँ, श्रीमान् जी। रेलवे के संयोजन से संभावता का संयुक्त अध्ययन किया जा रहा है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कपास की फसल में मिलिबग बीमारी संबंधी

12.00 बजे **Mr. Speaker :** Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Dr. Sita Ram, MLA, regarding mealy bug disease in the cotton crop. Dr. Sita Ram, may read his notice.

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, मैं इस महान् सदन का ध्यान हरियाणा राज्य में इस मानसून ऋतु में मलेरिया, डेंगू, वॉयरल बुखार इत्यादि के बढ रहे मामले सम्बन्धी एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) राज्य में बहुत अधिक संख्या में मामलों का पता चला है तथा मौतें भी हुई हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि ऊपर वर्णित बीमारियों के होने को रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सदस्यों का नाम लेना

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, श्री करण सिंह दलाल कालिंग अटेंशन मोशन पर बहस शुरु होने से पहले किसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि कितनी अच्छी प्रकार से मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आप इस सदन का संचालन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह वहीं सदन है जो कि आपने भी देखा है कि जिस तरह से यहां इस सदन में फटीचर सोच के मालिक, श्री ओम प्रकाश चौटाला सदन की मर्यादाओं का

किस तरीके से उल्लंघन किया करते थे। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, यह वही सोच है जो ये लोग यहां दिखा रहे हैं। जो इनके नेता के लिए .....(शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : *******

श्री बलवन्त सिंह : *******

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. Shri Karan Singh Dalal you may speak.

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान) मेरा निवेदन यह है कि यहां हरियाणा की जनता यह देख रही है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री ओम प्रकाश चौटाला न किसी कानून का सम्मान करते हैं और न ही किन्हीं मर्यादाओं का पालन करते हैं। वे जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं जिनकी एक साधारण और गिरे हुए आदमी से भी उम्मीद नहीं की जा सकती। स्पीकर सर, लोग हमें यहां विधायक चुनकर इसलिए भेजते हैं कि हम कानून बनायेंगे और उन कानूनों की पालना करेंगे लेकिन अगर कानून बनाने वाले ही कानूनों की पालना नहीं करेंगे तो आम लोगों के मन में इन विधायकों यानि कानून बनाने वालों के प्रति क्या रवैया बनेगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें समझाइए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा हूं।

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, I have allowed you to read your notice. (Noises and interruptions) Dr. Indora, please listen. (Noises and interruptions) डॉ० इन्दौरा, मैंने डॉ० सीता राम को बोलने के लिए अलाऊ किया था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : *****

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. आप पार्लियामैंट्री लैंग्वेज यूज करें। अनपार्लियामैंट्री लैंग्वेज यूज न करें। (शोर एवं व्यवधान) डॉ० इन्दौरा मैंने डॉ० सीता राम को अपना कालिंग अटैंशन नोटिस पढ़ने के लिए अलाऊ किया था। आपने उनको अपना नोटिस पढ़ने से रोका फिर भी उन्होंने अपना नोटिस पढ़ दिया, then I allowed the Hon'ble Member Shri Karan Singh Dalal to speak. (शोर एवं व्यवधान) आप उनकी बात सुनें। इनके बाद मैं आपको बोलने के लिए अलाऊ करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, I want your protection. मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। आप इनको समझाइए। ये तमाम लोग फ्यूचर सोच के संचालक हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ० सीता राम, आपने अपना नोटिस पढ़ दिया है। अब आप बैठें।

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, आप मुझे बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : डॉ० इन्दौरा, जब एक मैम्बर द्वारा कालिंग अटैंशन मोशन दिया जाता है और जब मोशन असैप्ट हो जाता है and the Hon'ble Member has also been allowed to read his notice then you are interrupting the House unnecessarily without any reason. (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : ******

श्री बलवन्त सिंह : ******

श्री ईश्वर सिंह पलाका : ******

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, मेरे पास इसका एक सुझाव है। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर शोर-शराबा करने लगे।)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक नहीं है। इस प्रकार हम हाउस को नहीं चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपके साथी का कालिंग अटैन्शन मोशन एक्सैप्ट हुआ है। Hon'ble Member had already read his notice but you are interrupting the proceedings of the House unnecessarily. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहले इसी सदन में एक मैम्बर ने हाऊस की वैल में आकर ऑफिसर की कुर्सी पर बैठकर सदन के दस्तावेज को फाड़ा था। क्या वह हाऊस की अवमानना नहीं थी ? (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसका एक समाधान है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सदन की मर्यादा भंग करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है।

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, Please take your seat. (Interruptions) Dr. Indora please take your seat.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : अध्यक्ष महोदय, ये खुद ही शोर कर रहे हैं। ये न ही तो किसी को बोलने देते और न ही अपने आप बोल पा रहे हैं। यह क्या तानाशाही नहीं है ? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your seats.

श्री नरेश कुमार प्रधान : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर तानाशाही है। ये हाउस की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ये लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, इनको सैन्स ही नहीं है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय सहन नहीं किया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री महोदय जवाब देंगे। इन्दौरा जी, आप जवाब तो सुन लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) : डॉक्टर इन्दौरा जी, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत हो रही है और आप अपने साथी को ही नहीं बोलने दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर अन्याय है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ० इन्दौरा, आपके साथी को कालिंग अटेन्शन मोशन नोटिस अलाऊ हुआ है। Don't interrupt the proceedings of the House unnecessarily. It is not a way. आप उसका जवाब सुनना चाहते हैं या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हम जवाब तो सुनना चाहते हैं लेकिन आपने बीच में ही दलाल साहब को अलाऊ कर दिया। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your Seats.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): It is their calling attention motion but they are making running commentary during the Minister's reply. This is a complete breach of parliamentary practice. They cannot hold this house to ransom in this fashion. एक आदमी जोर से बोल कर इस पूरे हाउस की कार्यवाही में विघ्न कैसे डाल सकता है?

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, ******

Mr. Speaker : Dr. Indora, Please take your seat.

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, ****

Mr. Speaker : Dr. Indora, I warn you. Please take your seat.

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, ****

(At this stage, Dr. Sushil Indora continued arguing with the Speaker)

Mr. Speaker: I name Dr. Sushil Indora. He may please leave the House. Nothing is to be recorded.

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir,*****

(At this stage, Dr. Sushil Indora continued arguing with the Speaker and did not withdrew from the House.)

Mr. Speaker : Dr. Sushil Indora you have been named. You may please leave the House.

(At this stage Dr. Sushil Indora withdrew from the House.)

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनें। (विघ्न एवं शोर).

श्री अध्यक्ष : सढौरा साहब, आपके ऑनरेबल मैम्बर की कॉलिंग अटैंशन मोशन लगी हुई है। (विघ्न एवं शोर) Nothing is to be recorded. (Interruptions) please take your seats. (Interruptions)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Agriculture Minister will make a statement. (Interruptions) Please take your seats. (Interruptions)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***(विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : कोई बात कहने से पहले आप रिप्लाई तो सुन लें। ऑनरेबल मन्त्री जी रिप्लाई दे रहे हैं, आप रिप्लाई सुन लें उसके बाद आप अपनी बात कह लेना । (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

श्री अध्यक्ष : बलवन्त सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) सढौरा साहब मैं आपको वार्न करता हूं, (शोर एवं व्यवधान) आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें। डॉ० सीता राम जी, आप इनको समझाएं कि यह बहुत ही इम्पोर्टैन्ट ईशू है और मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं। सढौरा साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, *** *** ***

Mr. Speaker : Sadhaura ji, please take your seat. (interruptions) Please take your seat. (Interruptions and noises) Mr. Sadhaura, I warn you. (Interruptions) Nothing is to be recorded. Mr. Sadhaura, Please take your seat. (Interruptions) I warn you. Mr. Sadhaura, I warn you. (Interruptions) I name Shri Balwant Singh Sadhaura. He may please leave the House.

(At this stage, Shri Balwant Singh Sadhaura withdrew from the House)

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, आप हमें सदन में कोई बात कहने ही नहीं दे रहे हैं, यह हाऊस इस प्रकार से नहीं चलेगा। (विघ्न एवं शोर)

(इस समय इण्डियन नैशनल लोक दल के सदस्य हाउस की वैल में आकर शोर शराबा करने लगे)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें (शोर एवं व्यवधान) आपके साथी की कॉलिंग अटैंशन मोशन चल रही है। (शोर एवं व्यवधान) आपके व्यवहार को हरियाणा प्रदेश की सारी जनता देख रही है। आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें। डा० साहब, आपकी कॉलिंग अटैंशन मोशन पर रिप्लाई आ रहा है। (शोर एवं व्यवधान) Please take your seats. (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इण्डियन नैशनल लोक दल के सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए।)

वक्तव्य-

कपास की फसल में मिलि बग बीमारी संबंधी कृषि मंत्री द्वारा

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) : Mealy bug is a small insect. The female and young ones of this pest are wingless whose body is covered with a white cotton like waxy substance and are harmful to crops. Adult male is winged and is not harmful to the crops. It is polyphagous pest and feeds on number of host plants including weeds.

The attack of Mealy bug was observed in the last Kharif season on cotton crop in the districts of Sirsa and Fatehabad. Its minor incidence was also reported from Hisar, Sonipat and Jind districts. The incidence was reported in patches of the above districts. The incidence was controlled by spraying recommended pesticides.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Initially, the incidence of this pest was reported in the current Kharif season in the common lands i.e. on weeds along roadside, railway track and other common lands. The rains in the current kharif season started in April and continued till the third week of August. High humidity followed by high temperature was the most congenial atmosphere for its breeding. The pest multiplied and migrated to the cotton crop. About 40,000 hectare area of cotton crop has been reported affected in patches by the incidence of this pest, out of which 32,000 hectares have been affected in Sirsa district, whereas 8,000 hectares have been reported affected in the districts of Hisar, Fatehabad, Jind and Bhiwani. No loss has been reported in the crop so far from any part of the State. The farmers have successfully controlled this pest by spraying pesticides in their fields 3-4 times which has definitely increased the cost of cultivation.

The CCS HAU, Hisar has recommended the control of this pest by spraying 800 gm Carbaryl 50WP or 250gm. Thiodicarb 75 WP or 800 ml Quinalphos 25 EC or 750 ml Profenophos or 50EC or 500 ml Methyl Paration 50 Ec per acre. All the above pesticides are quite effective for controlling this pest and sufficient quantity of above pesticides is available in the market. It is wrong to say that the Department was unsuccessful in suggesting remedy to the menace of this pest and insecticides were found less effective.

Department of Agriculture in collaboration with CCS HAU, Hisar launched an awareness campaign for educating the farmers to control Mealy bug incidence in the current Kharif season. The adverstisement were issued in the prominent Hindi newspapers of this region namely; Amar Ujala, Dainik Tribune, Dainik Jagran and Dainik Bhaskar Advising farmers to undertake spraying of infested crop for controlling the menace of Mealy bug.

The Department of Agriculture organized 1400 farmers' Training Camps at village level and organized 160 farmers' Field School of 20 weeks' duration in the 11 cotton growing districts and educated the farmers for controlling Mealy bug Besides, as many as 3.00 lakh posters and pamphlets were distributed amongst the farmers and 200 flex boards were also got installed at strategic points giving information for the control of Mealy bug. The electronic and print media has also been used for educating the farmers.

It may be pertinent to mention here that the average yield of cotton during the Kharif, 2007 season was 663 Kg (lint) per hectare, which was the highest despite the attack of Mealy bug in certain pockets. It is estimated that the productivity level in the current Kharif season due to the attack of Mealy bug will not fall from this level.

It will, therefore, be seen that the State Government is fully aware of this situation and has taken appropriate measures for controlling this pest.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जो कपास ग्रोईंग एरिया है उसमें नरमा कपास के अन्दर इस बार बहुत ज्यादा मिलीबग का असर पड़ा है ? यह प्रकोप हरियाणा में पिछले दो सालों से है। यह बात ठीक है कि इस बार बारिश होने की वजह से यह प्रकोप पहले से कम हुआ है। लेकिन जो वहां पर कीटनाशक दवाईयां छिड़की जाती हैं वे कम प्रभावी हैं तथा कीटनाशक दवाईयों के बार-बार छिड़काव करने की वजह से किसानों की फसल की लागत

[डॉ० सीता राम]

बढ़ जाती है और किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ जाता है। इसकी वजह से किसानों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि यह खरपतवार की वजह से है। मुझे पता है कि यह खरपतवार कांग्रेस घास की वजह से मिलीबग की बीमारी फैलती है। अध्यक्ष महोदय, मिलीबग से हमारे जो पुराने पीपल के पेड़, बड़ के पेड़ और दूसरे पेड़ हैं उन पर भी प्रभाव पड़ा है। मंत्री जी ने जो जवाब में कहा है कि मिलीबग का प्रभाव कम हुआ है, इनकी यह बात सही नहीं है। आज भी किसानों को फसलों पर दो-तीन दिन के बाद छिड़काव करना पड़ता है। मंत्री जी जिस तरह से अमरीकन सूंडी का ईलाज करते हुए नया सीड तैयार किया गया था, क्या उसी तरह से इस बीमारी से निजात पाने के लिए कोई नया सीड तैयार करने के बारे में विचार करेंगे ?

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मिलीबग का अटैक पिछले साल हरियाणा में पंजाब से हुआ था और पंजाब में पाकिस्तान से आया था। हरियाणा सरकार ने वक्त पर इसके लिए दवाईयों का इन्तजाम किया था जिससे इसकी रोकथाम की जा सकी। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक हफ्ते में या दो हफ्ते में दोबारा से स्प्रे करना पड़ता है लेकिन यह बात सही नहीं है कि अल्टरनेट-डे पर स्प्रे करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यह कीड़ा एक महीने में जवान हो जाता है और एक साथ 500-600 अंडे दे देता है। जब हम स्प्रे करते हैं तो वह मिलीबग तो मर जाता है। लेकिन उसके अंडे बच जाते हैं और वे कुछ समय बाद फुट जाते हैं और उनसे बच्चे बन जाते हैं। मिलिबग कंट्रोल करने के लिए जो दवाईयां यूनिवर्सिटी ने सुजैस्ट की है वे फार्मर्ज को देने के लिए बेस्ट हैं।

डा० सीता राम : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने माना है कि दो तीन हफ्ते बाद स्प्रे करना पड़ता है लेकिन हकीकत के अंदर यह स्प्रे तीन-चार दिन में जरूर करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जब इतनी बार स्प्रे करना पड़ता है तो इससे किसान का लागत मूल्य बढ़ जाता है। जो नुक्सान किसान का आलरेडी हो चुका है और जो आर्थिक नुक्सान बार-बार स्प्रे करने की वजह से दवाईयों के रूप में अब किसान का हो रहा है उसके लिए क्या सरकार उनको कम्पनसेट करेगी ?

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर साहब, पिछले साल स्प्रे हुआ लेकिन कॉटन की प्रोडक्शन भी बढ़ गयी इसलिए जब प्रोडक्शन बढ़ गयी तो फिर कम्पनसेट करने की जरूरत नहीं होती है, इतनी बात तो डाक्टर साहब को भी पता होगी। स्पीकर साहब, इस साल में मिलिबग से कॉटन की क्रॉप का नुक्सान बहुत कम है। इस साल ज्यादा नुक्सान नहीं हुआ है। इस बार बारिश भी अच्छी हुई और इसके अलावा किसान ने भी बहुत मेहनत की इसलिए एक तरफ जहां इस बार कॉटन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है वहां दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ क्राप भी बढ़ी है क्राप कम नहीं हुई है। इसलिए डाक्टर साहब को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है।

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह है कि इनपुट कॉस्ट किसान की बढ़ गयी है। क्राप जितनी होनी है वह तो उतनी होगी इसलिए क्या किसान की बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट को देखते हुए सरकार उनको कम्पनसेट करेगी ?

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर साहब, मैंने यह बात कही है कि प्रोडक्शन बढ़ी है। प्रोडक्शन के साथ-साथ कॉस्ट ऑफ क्राप भी बढ़ी है। जब क्राप बढ़ गयी तो फिर उसके बाद कम्पनसेट करने वाली

बात भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसान का नुक्सान ज्यादा हो गया तो सरकार का फर्ज बनता है और सरकार का धर्म है कि सरकार उनकी सहायता करे लेकिन वह सहायता आपकी तरह से नहीं करे।

डा० सीता राम : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। एक तरफ तो ये मानते हैं कि इनपुट कॉस्ट कॉटन क्राप की बढ़ी है वहीं दूसरी तरफ ये कम्पनसेट की बात से मुकर जाते हैं। कॉस्ट तो बढ़ी है इसलिए मैंने किसान को कम्पनसेट करने की बात कही है लेकिन मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। स्पीकर साहब, सेल प्राइस तो तब बढ़ती है जब किसान अपनी फसल को बेच चुका होता है और जब कॉटन नहीं होती है।

Shri Phool Chand Mullana : I would like to raise an important issue of public importance. हरियाणा की सरकार गरीबों की हमदर्द सरकार है। गरीब की सहायता के लिए इस सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं।

डा० सीता राम : स्पीकर साहब,मंत्री जी किसानों को कम्पनसेट करने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, आपकी बात आ गयी है। आप बैठे।

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कभी खेतों में तो जाते नहीं है इसलिए इनको इस बारे में पता नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर साहब, जो बात हमारे साथी ने कही है और जिसका जवाब मंत्री जी ने दिया है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार किसानों के हित की सरकार है। जहां तक मिलिबग और ग्रास हूपर की बात है, एक स्टेट लेवल का स्प्रे अगले सीजन से पहले शुरू करवा देंगे क्योंकि अगर यह टाईमली होगा तो इसमें बचत हो जाती है। इस पैस्टीसाईडस पर भी अतिरिक्त सबसिडी देने का हमारा विचार है।

राज्य में बी०पी०एल० सर्वेक्षण संबंधी मामले को उठाना

श्री फूलचन्द मुलाना : स्पीकर साहब, मुझे एक बहुत ही जन महत्व का मुद्दा उठाना है। इस सरकार ने गरीब और किसान के लिए बहुत सारे काम किए हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बहुत सारे लोग हरियाणा प्रान्त में अंदर हैं। हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से बी०पी०एल० में शामिल करने के लिए कुछ नोर्म्ज में ढील दी है लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रान्त भर से कई प्रकार की बातें उठ रही हैं कि जिन गरीब लोगों के पहले बी०पी०एल० कार्ड बने थे वे बहुत सारे कार्ड कट गए या जो शामिल होने थे वे शामिल नहीं हुए। मेरा मुख्यमंत्री जी से और हरियाणा सरकार से निवेदन है कि इस बारे में जरूर कोई कदम उठाया जाए ताकि गरीबों की पूरी सहायता हो सके।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, हमने भी बीपीएल के बारे में अपना एक कालिंग अंटेशन मोशन दिया था लेकिन वह आपने रिजैक्ट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, यह कोई कालिंग अंटेशन मोशन नहीं है। इन्होंने कोई प्वायंट उठाया है।

बी०पी०एल० सर्वेक्षण संबंधी मामले पर मुख्यमन्त्री द्वारा वक्तव्य

मुख्यमन्त्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी चौधरी फूलचंद मुलाना जी जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने जो यह सवाल उठाया है उसके बारे में मुझे भी इस बात की शिकायतें आई हैं। कई साथियों ने मुझे इस बारे में कहा है। कई गांवों के लोग भी मुझे मिले हैं और कुछ लोग शहरों के भी मिले हैं। मैं कुरुक्षेत्र गया था वहां भी मुझे कई आदमी मिले थे। मैं इस बारे में सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की पहचान हेतु वर्ष 2007 में किये गये सर्वे के आधार पर बी०पी०एल० लिस्ट 2008 तैयार की गई है उसे अंतिम रूप देने से पहले गांववासियों और शहरवासियों को अपनी अपील एवं अपने ऐतराज दर्ज कराने के लिए दो महीने का समय दिया गया था। उस पर जिन परिवारों की अपीलें एवं ऐतराज ठीक पाये गये हैं, उनका बी०पी०एल० लिस्ट में शामिल किया गया है। यदि किसी परिवार को इस बारे में अब भी कोई शिकायत है तो ऐसे परिवार संबंधित उपायुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त को अपने प्रतिवेदन दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष के सर्वे के मुताबिक किसी परिवार के पास पीले रंग का राशन कार्ड था और अब नयी बी०पी०एल० सूची में से किसी कारणवश उसका नाम कट चुका है, ऐसे परिवार अपने आवेदन संबंधित अतिरिक्त उपायुक्त अथवा बी०डी०पी०ओ० को दे सकते हैं। इस प्रकार जिन अपात्र व्यक्तियों का नाम इस सूची में शामिल हो गया है तो उसके विरूद्ध भी शिकायत करें। सरकार की मंशा है कि किसी अपात्र परिवार का नाम इस सूची में शामिल न हो और पात्र व्यक्ति कदापि वंचित न रहे। यदि प्रशासन के ध्यान में सुओ मोटो संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है कि कोई अपात्र व्यक्ति उस लिस्ट में है तो मौका देखकर इस बारे में यथागत निर्णय लिया जाएगा। ऐसे सभी प्रतिवेदन व ऐसी शिकायतें 30 सितंबर, 2008 तक अतिरिक्त उपायुक्त तथा बी०डी०पी०ओ० को दी जा सकती हैं। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे हैं। कि ऐसे सभी प्रतिवेदनों तथा शिकायतों का निपटारा 15 अक्तूबर, 2008 तक कर लिए जाए । मैं सदन की सूचना के लिए यह बात ऑन रिकार्ड बताना चाहता हूं वर्ष 2003 में जब इन साथियों की सरकार आई थी उस समय भी ऐसा सर्वे हुआ था उस समय 6.38 लाख ग्रामीण परिवार व 2.34 लाख शहरी परिवार उस सूची में शामिल किये गये थे और जो हमारे समय में सर्वे हुआ है उसमें पूरे प्रदेश में 47.59 लाख परिवार शामिल हैं जिसमें से 31.59 लाख परिवार देहात से व 16 लाख परिवार शहर से शामिल हैं। इनके समय में पूरे प्रदेश में 6.38 लाख परिवार थे, हमारी लिस्ट में 8.58 लाख परिवार गांव में बी०पी०एल० सूची में अंकित किए गए जो कि कुल 27.17 प्रतिशत बनता है और 4.38 लाख परिवार शहरों में अंकित किए गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 12.96 लाख परिवार बनाए गए हैं (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) इसमें जो बी०पी०एल० लिस्ट आई है उसमें एस०सी० के गांव में 4.30 लाख परिवार जिसका प्रतिशत 50.20 बनता है और शहरों में 1.25 लाख परिवार जो कि 28.54 प्रतिशत बनता है। बी०सी० के जो हैं वो रूरल एरिया से हैं वे 2.67 लाख परिवार हैं इसका 31.17 प्रतिशत बनता है और शहरों में 1.41 लाख परिवार हैं यह 32.26 प्रतिशत बनता है। यह जो मैंने आंकड़े दिये हैं यह सभी आंकड़े लाखों में हैं जो मैं बता रहा हूं, परसैंटेज को छोड़कर। जैसा कि मैंने पहले कहा अध्यक्ष महोदय, इनके सर्वे में कुल गांवों में 6.38 लाख परिवार थे और शहरों में 2.34 लाख परिवार थे। प्लानिंग कमिशन का जो टारगेट है वह गांवों में 6.71 लाख परिवार हैं और शहरों में 1.70 लाख परिवार हैं। बी०पी०एल० की फैमिलिज़ टोटल जो हमने बताई हैं वह गांवों में 8.58 लाख है और शहरों में 4.38 लाख है जोकि प्लानिंग कमीशन के पैरामीटर से एक्सैस है क्योंकि प्लानिंग

कमीशन के पैरामीटर के हिसाब से गांवों में 1.87 लाख परिवार है और शहरों में 2.68 लाख परिवार हैं। हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो प्लानिंग कमीशन के पैरामीटर से एक्सैस फिगर हैं उन परिवारों को भी हरियाणा सरकार वहीं सुविधाएं देगी जो केन्द्र सरकार से बी०पी०एल० परिवारों को मिलती हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि पिछली सरकार के आंकड़े से तो ये दुगुने आंकड़े हैं और जितने बी०पी०एल० परिवारों का एडीशन होगा उनके खर्चे का वहन भी हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार के पैरामीटर के हिसाब से करेगी। जैसा मैंने कहा कि एक मौका सब को फिर से दिया गया है जिसकी जो शिकायत है वह दूर हो जायेगी।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की समस्या को दूर करने के लिए जो तुरन्त प्रभावी कदम उठाया है उसके लिए मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं लेकिन जो परिवार इस के बिना रह गये हैं उनको इसमें शामिल किया जाए और जो अधिकारी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : डॉ० सीता राम जी, आप बैठ जायें।

सदस्यों का नाम लेने के निर्णय को रद्द करना

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी पार्टी के डिप्टी लीडर डॉ० सुशील इन्दौरा जी को सदन में वापिस बुला लिया जाए।

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, अपोजीशन के हमारे साथी इसके लिए निवेदन कर रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि डॉ० सुशील इन्दौरा जी को सदन में वापिस बुला लिया जाए लेकिन उनको कहें कि वे सदन की गरिमा में रहें।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा सुझाव है लेकिन मेरा निवेदन है कि वे सदन की गरिमा में रहें।

डॉ० सीता राम : माननीय मुख्यमंत्री जी के वे साथी रहे हैं, मैं तो बाद में सदस्य बना हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम भी विपक्ष में रहे हैं लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। वे हर-बार हर बात पर बोलने के लिए खड़े है वे बोलते समय किसी रूल या गरिमा में नहीं रहते।

श्री अध्यक्ष : अगर आगरेबल मैम्बर किसानों की चिन्ता करते हैं और उन्होंने कालिंग अटैंशन मोशन दिया है तो सरकार ने भी उस कालिंग अटैशन मोशन को अलाऊ किया है फिर भी रिप्लाई के समय क्यों शोर-शराबा कर रहे हैं ?

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, कहीं उनकी बात की अनदेखी हुई होगी तभी वे शोर मचा रहे थे। सर, आगे से ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो उनको बुला लिया जाये

आवाजें : ठीक हैं जी

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, you can call Dr. Indora.

वर्ष 2008-2009 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Supplementary Estimates (First Instalment) 2008-09 will take place.

As per past practice and in order to save the time of the House, demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand. They are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 33,28,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 11-Urban Development.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 10,38,16,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 17-Agriculture.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 211,95,50,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 21-Community Development.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 5,89,35,000/- for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 22-Cooperation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 78,00,00,000/- for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 25-Loans & Advances by State Government.

श्री रामकुमार गौतम (नारनौंद) : स्पीकर सर, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में और उनकी कार्यवाही करने के लिए लाना चाहता हूं। मैंने पिछले सैशन में भी यह इश्यू उठाया था।

Mr. Speaker : I have already requested you to indicate the demand No. on which you want to raise discussion. Gautam ji please indicate the demand No. on which you want to raise discussion.

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मेरी संस्कृत टीचर्स के बारे में डिमांड है।

श्री अध्यक्ष : संस्कृत टीचर्स के बारे में कोई डिमांड नहीं है।

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी डिमांड है।

Mr. Speaker : Gautam Sahib, I have allowed you to participate in the discussion on the Supplementary Estimates (First Instalment) 2008-09.

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांडस पर नहीं बल्कि जनरल बात करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप इस समय जनरल बात नहीं कर सकते।

श्री एस०एस०सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड संख्या 17 जो कृषि से सम्बन्धित है उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले हरियाणा सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने पूसा 1121 जो पैडी की वैरायटी है जिसका एक्सपोर्ट बन्द कर दिया गया था, इसको खुलवाने के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, कृषि मंत्री और कॉमर्स मंत्री से बात की और इसका एक्सपोर्ट खोल दिया गया है। हरियाणा, पंजाब और नार्थ इंडिया के लोगों ने इस वैरायटी की इस बार काश्त की । 70 प्रतिशत किसानों ने इस वैरायटी की काश्त इस कारण से की क्योंकि पिछले साल इस वैरायटी का भाव 1500 रुपये क्विंटल से शुरू होकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक किसान को मिला। इससे किसानों को बहुत भारी लाभ हुआ था। इस बार सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने शुरू से ही इसके निर्यात पर पाबन्दी लगा दी। पूसा 1121 के साथ-साथ कुछ और वैरायटीज के एक्सपोर्ट पर भी पाबन्दी लगा दी गई थी कि व्यापारी इन वैरायटीज को देश से बाहर नहीं भेज सकते। जिस कारण किसानों और व्यापारी वर्ग में बहुत भारी नाराजगी थी। व्यापारी वर्ग को धन्धे में सैट बैक हुआ उसके काम में बहुत नुकसान हुआ, किसान को जो लाभदायक कीमत मिलनी थी, वह उस कीमत से वंचित हुआ। मुख्यमंत्री महोदय ने हमेशा की तरह प्रधानमंत्री महोदय, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से इस बारे में बात की और इस पूसा 1121 के एक्सपोर्ट पर भारत सरकार ने प्रतिबन्ध उठाने का फैसला कर दिया है। इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने कल सदन में अनाउंसमैंट भी की है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से श्री आनन्द सिंह ढांगी चेयर पर पदासीन हुए)** सभापति महोदय, एक और बात के बारे में मैं कहना चाहूंगा जो किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले दो साल पहले भारत सरकार ने गेहूं का और जौ का जो दाम बढ़ाया वह अपने आप में एक रिकार्ड है। जब से देश आजाद हुआ है कभी किसानों को एम०एस०पी० पर इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दी गई जो दो साल पहले यू०पी०ए० की सरकार में श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देशन में किसानों को दी गई है। सभापति महोदय, जब लोकदल के भाईयों का यहां पर साढ़े 5 साल तक राज था उस समय पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की अकाली दल की सरकार थी। हरियाणा में आई०एन०एल०डी० की सरकार थी। ये दोनों सरकारें जो अपने आप को किसान की हितैषी कहती थी, ये किसान की गर्दन पर पांव रखकर राज की गद्दी पर पहुंचें। इनकी अपनी कोई क्षमता नहीं थी। अगर किसान इनकी मदद न करता । एन०डी०ए० की सरकार जिसके सरगना अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनको इन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया। यह गलत बात थी। मैं इस बात पर जाना नहीं चाहता। इनकी शर्त यह थी कि दोनों को राज्य के परिवारों को लूटने का सरकार लाइसैंस देगी और कुछ नहीं कहेगी। अंदर से तो इनकी यह शर्त थी और ऊपर से ये कहते थे कि हमने बिना शर्त समर्थन दिया है। उस सरकार के समय में जब इनका राज था किसान को 10 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं में और 10 रुपये प्रति क्विंटल धान में बढ़ोतरी मिली । 5 साल में 50 रुपये गेहूं में बढ़ोतरी और 50 रुपये धान में बढ़ोतरी मिली, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। इन्होंने किसान के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हालांकि पोजीशन यह थी कि प्रकाश सिंह बादल और ओम प्रकाश चौटाला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को यह कहते कि इन्पुट मंहगा है किसान को

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

घाटा हो रहा है क्योंकि कीमतें बहुत कम हैं अगर ये केन्द्र सरकार को 100 रुपये गेहूं का रेट बढ़ाने के लिए कहते, 200 रुपये का रेट बढ़ाने के लिए कहते तो उस सरकार की मजाल नहीं थी कि वे न बढ़ाते क्योंकि इन दोनों पार्टीज की पार्लियामैंट के मैम्बर्ज में इतनी गिनती थी कि सरकार गिर सकती थी। लेकिन इन्होंने दूसरा लाईसैंस ले रखा था जिसके कारण ये नहीं बोले और किसानों का शोषण होता रहा। सर, जबकि यू०पी०ए० की सरकार ने एक ही साल में किसी फसल के 300 रुपये प्रति क्विंटल, किसी फसल के 250 रुपये प्रति क्विंटल और किसी फसल के 350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव बढ़ाये हैं और एक रिकार्ड कायम किया है। आज के दिन किसानों को 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का भाव मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि अगले साल इसमें 100रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से और बढ़ौतरी होगी लेकिन इस बार पैडी की फसल पर 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कोरस वैरायटी पर बढ़ाये हैं यानि जो माटो धान होता है उस पर 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव बढ़ाया है। इस वक्त 850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब किसानों को कोरस वैरायटी की धान का भाव मिल रहा है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें 150 रुपये की बढ़ौतरी कम नहीं है लेकिन धान बोने वाले किसान को, साऊथ और नॉर्थ इण्डिया के किसान के दिल के अंदर यह तड़फ जरूर है कि गेहूं बोने वाले किसानों को तो 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का भाव मिल रहा है और हमें 850 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। सर, धान की बुआई के ऊपर खर्चा ज्यादा आता है इसलिए कोरस वैरायटी की धान का भाव भी कम से कम 1000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से और इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से, प्रधान मंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षता से अनुरोध करूंगा कि इस साल पैडी की फसल आनी शुरू हो गई है इसलिए पैडी की कोरस वैरायटी पर 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट में बढ़ौतरी करके इसका रेट 1000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाये। इससे किसान खुश होगा और आज जो डीजल के तथा किसान जो दूसरे इनपुट्स यूज करते हैं उनके दाम बढ़े हैं उनकी भरपाई भी हो पायेगी। धन्यवाद।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर (नारनौल) : चेयरमैन सर, आपने मुझे सप्लीमैंट्री डिमांडज पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मैं कृषि के विकास से लिए सरकार के जो पैसे मंजूर किए हैं उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। चेयरमैन सर, खेती हमारे राष्ट्र के विकास की आधारशिला है, धूरी है। यदि खेती करने वाला किसान समृद्ध और मजबूत होता है तो हमार पूरा देश समृद्ध और मजबूत होता है। अगर हमारा किसान कर्जदार हो जाता है तो देश के विकास की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। सर, आज के दिन जहां किसानों को उनके फसल के उचित भाव दिए जा रहे हैं वहीं गरीब मजदूर लोगो को भी सस्ते रेट पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऐसा करने से किसानों और मजदूरों का संतुलन नहीं बिगड़ता और देश तरक्की की राह पर चलता है क्योंकि मजदूर और किसान अपना पूरा योगदान देश की तरक्की में दे पाते हैं। अभी कृषि विकास के बारे में डा० सीता राम जी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जो अधिक खर्च किसान को दवाईयों पर देना पड़ रहा है उसके लिए किसानों को सबसिडी दी जायेगी जिससे किसानों को लाभ होगा। चेयरमैन सर, जहां तक किसान को कृषि की सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं उनके साथ-साथ किसान को दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है। हमारे यहां निजामपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने पी०एच०सी० मंजूर की है इसलिए इस पी०एच०सी० को जल्दी से जल्दी बनवाया जाये

ताकि वहां के किसानों की बीमारियों का इलाज हो सके। चेयरमैन सर, किसानों का खिलाड़ियों के साथ भी विशेष संबंध रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों को विशेष सम्मान दिया है। हमारे यहां निजामपुर के स्कूल में चार एकड़ से ज्यादा जमीन है। वहां पर एक खेल स्टेडियम बनाया जाये ताकि वहां के किसानों के बच्चों को लाभ मिले और बच्चे मजबूत बनें। यदि किसानों के बच्चे मजबूत बनेंगे तो किसानों की खेती को भी लाभ मिलेगा। चेयरमैन सर, जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि शहरी विकास की जो सप्लीमैंट्री डिमाण्ड है उसमें जो पैसा मंजूर किया गया है उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देता हूं क्योंकि शहर और गांव का जब संयुक्त विकास होगा तभी विकास में संतुलन बनेगा और संतुलन से ही सारा राष्ट्र ठीक चलता है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नारनौल हरियाणा का एक ऐतिहासिक शहर है और उस नारनौल शहर के अन्दर नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के नाम से एक स्टेडियम बना हुआ है। नेता जी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वे हमारी आजादी के संग्राम के सर्वेसर्वा थे और महात्मा गांधी जी के सिद्धान्तों के आधार पर चलने वाले थे। उनके नाम से एक स्टेडियम नारनौल में बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब नारनौल गये थे तो तब उन्हें उस स्टेडियम के बारे में बताया गया था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेडियम में कबूतरों के होने के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया था कि पास में अनाज मंडी है और वहां पर जो दाना गिरता है वे उसी को वहां आकर चुगते हैं। मेरा निवेदन यह है कि शहर के विकास के कार्यक्रम के लिए आपने जो धनराशि मंजूर की है उससे इस स्टेडियम की दशा को सुधारने के लिए भी आवश्यक पग उठाये जायें। इसके साथ ही साथ नारनौल शहर के अंदर सीवर की जो समस्या है उसके लिए भी बहुत पैसा दिया गया है। यह शायद अब तक के हिसाब से सबसे ज्यादा है। इसके लिए मैं सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और माननीय वित्तमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी यह काम अधूरा है। सीवर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जो गलियां हैं वे भी लगभग 80-82 फीसदी ही पूरी हो पाई हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सप्लीमैंट्री डिमाण्डज के अंदर जो ग्रांट आपने मंजूर की है। उसमें से पैसा इन गलियों के लिए, सीवर के लिए, नारनौल शहर के लिए और नारनौल क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाये। इसके साथ ही साथ जो विकास की बात हम कर रहे हैं उस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे नांगल चौधरी के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बस स्टैंड मंजूर किया है। हम इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। लेकिन इस बारे में मैं एक अनुरोध यह करना चाहूंगा कि नांगल चौधरी में बस स्टैंड के लिए जिस जमीन को चुना गया है जिसका सैक्शन-4 भी किया जा चुका है उस जमीन के अन्दर मालिक का मकान बना हुआ है और उसकी मार्किट भी बनी हुई है। जिससे अब यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का झगड़ा हो जायेगा। यह काम चलेगा नहीं और फिर हमारी यह योजना भी अधूरी ही रह जायेगी। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नांगल चौधरी के अन्दर जो पंचायत की जमीन है वह कुछ कम रहती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहीं पर जो खाली जगह है उसको एक्वायर करके वहां पर बस अड्डा बनाया जाये जिससे कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर समाप्त हो जायें और जो हमारे गांव के विकास की योजना हैं वह पूरी हो सके। मेरा आपसे यही निवेदन है। दूसरी किसान के विकास की बात हम कर रहे हैं और नहरों की बात भी हम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया यह बात ठीक है कि हमने पानी को आगे बढ़ाया है। इस बात के लिए हम माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि पानी के बारे में जो काम बकाया रह गया है उसको भी हमें पूरा करना है। जो 14 किलोमीटर तक पानी पहुंचाने की बात थी यह भी ठीक है लेकिन 14 किलोमीटर से भी आगे पानी

[श्री राधे श्याम शर्मा अमर]

ले जाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए और वह भी नेचूरल ढाल के हिसाब से। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो नहरें बाकी रह गई हैं उनको भी यथासम्भव जल्दी पूरा किया जाये। डिमांण्ड में हमें इसके लिए पैसा दिया जाये जिससे किसान का विकास हो और हमारा जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसका भी विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो पीने का पानी है वह बहुत जरूरी है उसके बिना देहात का, शहर का, किसान का या किसी भी वर्ग का फायदा या भला नहीं हो सकता। मैंन कई बार इस बात को उठाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए सर्वे करने के आदेश भी दिए हैं कि निज़ामपुर और नांगल चौधरी के क्षेत्र के अन्दर पीने के पानी की विकट समस्या है। वहां पर हमें टैंकरों से पीने का पानी पहुंचाना पड़ता है। वहां पर नीचे का पानी खारा है। उसमें बहुत ज्यादा फ्लोराईड है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि जो सप्लीमैंट्री डिमाण्डज के अन्दर पैसा आपने मंजूर किया है उसमें लगभग 25 करोड़ रुपये का बजट हमारे इन दोनों प्रोजैक्ट्स का बनता है और जो नीचे से प्रपोज़ल आती है उसमें सारे क्षेत्र को जोड़ कर इस बजट को 200-300 करोड़ रुपये का बनाया जाता है। इस प्रकार के अधिकारियों को निर्देश दिये जायें कि इन दोनों क्षेत्रों को अलग करके जो मात्र छोटा सा 25 करोड़ का अमाऊंट है इसकी व्यवस्था की जाये। हमें इस बात की खुशी है कि सरकार का खजाना लबालब भरा हुआ है। मैं इस बात के लिए भी आपके माध्यम से सरकार को बधाई देता हूं कि पंजाब जिसको हम सबसे बड़ा मानते थे वह पंजाब हमसे हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज मांगता है। कर्ज हमेशा गरीब आदमी धनवान आदमी से मांगता है। इतना पैसा हमारे खजाने में है। मेरा यह निवेदन है कि इन दोनों प्रोजैक्ट्स के लिए आप जरूरी पैसा हमें दें। दूसरी बात शहरों के विकास की चल रही थी। हमारे शहर नारनौल के लिए सरकार ने ऑडिटोरियम के लिए पैसा मंजूर किया है लेकिन यह ऑडिटोरियम का काम किसी कारण से चल नहीं पा रहा है। शायद पी०डब्ल्यू०डी० विभाग की वजह से इस काम में बाधा आ रही है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस कॉलेज के ऑडिटोरियम का काम जल्द पूरा किया जाये।

श्री सभापति : शर्मा जी, आप समाप्त करें।

श्री राधे श्याम शर्मा : सभापति महोदय, आपने मुझे जो समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए तथा खिलाड़ियों के लिए जो ऐतिहासिक फैसले सरकार ने लिए हैं, उनके लिए मैं सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद सर।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (सोहना) : सभापति महोदय, सप्लीमैंट्री डिमान्ड्स पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, आज हर तरफ यह बात हो रही है कि पहली बार इस देश में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के रूप में ऐसा मुख्य मंत्री आया है जिसने किसानों के लिए अच्छे फैसले लिये हैं । जहां तक किसान की जमीन के रेट देने की बात है तो पहले हम मुआवजा बढ़वाने के लिए बहुत व्याकुल होते थे लेकिन सरकार जमीन के रेट नहीं बढ़ाती थी। हरियाणा सरकार ने किसानों की एक्वायर की गई जमीन के इतने रेट दिये हैं कि दिल्ली सरकार भी उतने रेट नहीं दे पाई है। जो जमीन एक्वायर की जायेगी उसके लिए 30 हजार रुपये+ 1000/-रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है तथा इसके साथ ही साथ 33 साल तक उसके लिए 15000/-रुपये+ 1000/-रुपये पट्टे के तौर पर भी दिये जायेंगे। यह एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं

सकता था। सभापति महोदय, सैक्शन 4 से पहले बने मकानों के बारे में मेरा कहना है कि पिछले मुख्य मंत्री को मकान बचाने के लिए थैलियां भेंट की गई थी लेकिन फिर भी लोग अपने मकान नहीं बचा पाये और उनको तोड़ दिया गया। अभी एच०एस०आई०आई०डी०सी० की तरफ से मेरे क्षेत्र के खोर और कासन गांवों में कुछ मकानों को तोड़ा गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि दरियादिली दिखाते हुए उन मकानों को टूटने से बचाया जाये। एन०एच० 8 पर जब सैक्शन 4 से पहले के मकानों को छोड़ा गया था तो इन मकानों पर भी कृपा कर दी जाये और इनको न तोड़ा जाये। इसके अलावा शिक्षा का ऐसा क्षेत्र है जिसका विकास किये बिना किसी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। चेयरमैन सर, कहां हम एक-एक कमरे के लिए घूमते थे तथा ग्रांट पाने के लिए मंत्रियों के चक्कर काटा करते थे लेकिन आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। न ही आज कमरों की कमी है और न ही रिपेयर के बिना कोई स्कूल बचा है। गैस्ट टीचर लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा करने का ऐतिहासिक फैसला किया गया ताकि हमारे बच्चे पढ़ें और प्रदेश खुशहाल हो। इसके साथ-साथ हमने देखा कि हमारे पड़ौसी जिले भिवानी में खिलाड़ियों को जो मान-सम्मान सरकार ने दिया है वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। पहले जब कोई पहलवान कुश्ती जीत कर आता था तो 10-10 रुपये दिये जाते थे। आज जैसे सुशील कुमार हमारे रैसलिंग में जीत कर आये हैं और देश का नाम रोशन किया है, उसी प्रकार बिजेन्द्र कुमार ने भी प्रदेश के लिए व देश के लिए बॉक्सिंग में मैडल प्राप्त किया है। जितेन्द्र और अखिल ने भी बॉक्सिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी दिल खोलकर खिलाड़ियों का सम्मान किया है। भिवानी में बॉक्सिंग अकादमी खोलने का फैसला लिया है और झज्जर में वीरेन्द्र सहवाग के सहयोग से क्रिकेट अकादमी बनाने का फैसला किया गया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मेरे गुड़गांव के भौंडसी में एक राज्य फुटबाल अकादमी बनाई जी रही है। जिस पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च होगा और हमारे क्षेत्र के बच्चे नैशनल और इंटरनैशनल लेवल पर फुटबाल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसी प्रकार से 40 साल पहले जो रोड बने हुए थे जिनके ऊपर चिट भी नहीं लगती थी वहीं पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने सोहना से अलवर रोड की 4 लेनिंग के लिए 238 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी से धन्यवाद देता हूं और मुख्य मंत्री जी ने हमें यह तोहफा दिया इसके लिए मैं अपने आपको भी सौभाग्यशाली मानता हूं। सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ सोहना से बल्लभगढ़, सोहना से तावडू, पलवल, रिवाड़ी एन०एच० 71 बी, गुड़गांव से फरीदाबाद सब के लिए करीब 532 करोड़ रुपये सरकार द्वारा मन्जूर किये गये हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सराहनीय कदम है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का बड़ा-बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ जाएगा। इस प्रदेश के विकास के लिए रोड्ज की जरूरत है और सरकार इस दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है। सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली की आपूर्ति के लिए सरकार कदम बढ़ा रही है लेकिन पीछे से यह विरासत चली आ रही है कि राज्य में बिजली उत्पादन कम रहा है। लेकिन आज हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश को एक ऐसा मुख्य मन्त्री मिला है जिसने इस दिशा में प्रभावपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिस प्रकार से फैसले लिए हैं वह काबिले तारीफ हैं। पिछली सरकारों में तो मौबस ऐसी थी कि यदि बिजली की कोई तार टूट जाए या कोई ट्रांसफार्मर फुंक जाए तो लोग छः-छः महीने तक घूमते रहते थे, जमींदारों की फसलें सूख जाती थीं और प्यासे लोग परेशान होते रहते थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, परन्तु आज हम बड़े फख्र से यह बात कह सकते हैं कि प्रदेश के अन्दर आज कोई भी एक्सियन यह नहीं कह सकता है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है या बिजली के कण्डक्टर की कोई कमी है या कहीं पर बिजली का खम्भा

[श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया]

उपलब्ध नहीं है। सभापति महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि 40 साल के अन्दर हमें सिर्फ 1587 मैगावाट बिजली मिली थी जबकि पिछले तीन साल के अन्दर हमें 600 मैगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने शासनकाल में 500 मैगावाट का जो और उत्पादन शुरू हुआ है यह एक ऐसा सराहनीय कदम है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। इससे पहले सरकारें थीं पता नहीं उस वक्त के मुख्य मन्त्रियों ने इस बात पर क्यों गौर नहीं किया। हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया जिसके कारण बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

श्री सभापति : अब आप वाईंड अप करिये।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : सभापति महोदय, अभी जो न्यूक्लीयर डील पर साईन हुए हैं मैं समझता हूं कि यह भी बहुत ही सराहनीय कदम है और आने वाले समय में इससे बिजली के उत्पादन में और वृद्धि होगी और लोगों को बिजली की अधिक आपूर्ति होगी जिससे देश के हर प्रदेश का विकास होगा। इससे सम्बन्धित सबसे बड़ी बात फसल की और मंहगाई की है जिनका मुद्दा कई बार सामने आता है। चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर फसल के रेट्स बढ़े हैं तो उसी हिसाब से महंगाई का भी जिक्र आता है। आज देश में 70% से ज्यादा किसान लोग रहते हैं। अगर गेहूं का रेट 650/- रुपये प्रति क्विंटल था तो उसको 1000 रुपये से 1200 रुपये कर दिया गया है तो आटे का रेट भी उसी रेशो से बढ़ा है। अगर सरसों का भाव 650/-रुपये पर क्विंटल से 3000/-रुपये पर क्विंटल हुआ है तो सरसों के तेल का भाव भी बढ़ा है। उसे महंगाई न मानते हुए आप यह मान कर चलें कि पूरे देश के अन्दर जमींदार को उठाया जा रहा है इसलिए जमींदार को उसी हिसाब से सबसिडी और महंगाई का फायदा मिलना चाहिए। सभापति महोदय, मेरी दो-तीन चीजें जरूरी हैं जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मेरा सोहना विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जो दो जिलों को क्रॉस करता है और दिल्ली और राजस्थान दो स्टेट्स को टच करता है। एक तरफ मेवात हो गया और दूसरी तरफ गुड़गांव हो गया । तावडू ऐसा क्षेत्र है जो सोहना में मिला दिया गया है लेकिन वह पड़ता नूंह में है। अब आप यह मान कर चलिए कि दो अधिकारियों से बात करना और दो अधिकारियों से बात करके काम करवाना आसान नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि तावडू को मेवात से निकाल कर गुड़गांव के साथ जोड़ दिया जाए पहले भी यह ऐरिया गुड़गांव का ही एक पार्ट था। चेयरमैन सर, सबसे बड़ी बात यह है कि एक विधायक और आम आदमी को भी अपने काम करवाने में सुविधा और आसानी होगी और दोनों तरफ न जा कर एक ही अधिकारी से काम करवाया जा सकता है। चेयरमैन सर, अभी स्वास्थ्य की बात आ रही थी। तावडू के अन्दर बहुत लम्बे समय से अंग्रेजों के समय की एक डिस्पैंसरी है जिससे वहां का काम चलाया जा रहा है । इस बारे में मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को लिख कर भी दिया है कि वहां पर कम से कम 100 बैड्ज़ का होस्पीटल होना बहुत जरूरी है ताकि वहां के क्षेत्र के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं सही तरीके से मिल सकें। (विघ्न) सभापति महोदय, वहां की सड़कों के बारे में भी मैंने लिख कर दिया है कि वहां की रोड्ज़ की हालत बहुत ही खराब है । एक तरफ से कर्ण सिंह दलाल जी हो गये और उधर कैप्टन साहब हो गए, ये दोनों ठाढे हैं और बीच में मैं कमजोर पड़ गया हूं। अब एन०एच० 71-बी तो बन गया है और पलवल से भी काम शुरू हो गया है दूसरी तरफ रिवाड़ी से भी काम शुरू हो गया लेकिन सोहना के ऐरिया का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। (विघ्न) इसलिए मैं चाहूंगा कि सोहना और तावडू का काम भी शुरू करवाया जाए, धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल (अम्बाला छावनी) : चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकाल में एक ऐसे तरीके से कार्य किया है कि जब से हरियाणा राज्य बना है तब से लेकर कभी नहीं हुआ था। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि अम्बाला छावनी में फ्री होल्ड की पॉलिसी को पूरा करने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने केन्द्र सरकार से हरियाणा के नाम जमीन करवा दी। इस जमीन का मामला तकरीबन सौ साल से पैंडिंग चला आ रहा था। इसमें अब मात्र इतनी रुकावट रह गई है कि यह जमीन अम्बाला कैन्ट की एम०सी० के नाम हो ताकि अम्बाला छावनी के तकरीबन चालीस हजार लोग जो पिछले करीब 100 साल से ज्यादा समय से तंग हो रहे हैं उन्हें आराम मिल सके और वे लोग अपनी प्रोपर्टी के मालिक बन कर अपनी प्रोपर्टी की 13.00 बजे | खरीद-फरोख्त कर सकें। चेयरमैन सर, मेरी यह एक रिक्वैस्ट है और उसको कुछ महीने में करवा दें क्योंकि कई महीनों से हमारा और जनता का जो संघर्ष चला आ रहा है, वह खत्म होना चाहिए। चेयरमैन सर, इसी तरह से अम्बाला छावनी में अनाज मंडी बाहर ले जाने की बात की गई थी और इस बारे में प्रोग्राम बन भी गया था। और उस पर कार्य होने भी लग गया था लेकिन किन्हीं कारणों से वह कार्य बीच में ही रूक गया है इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि उस कार्य को जल्दी से जल्दी किया जाए।

चेयरमैन सर, इसी तरह से हमारे अम्बाला कैंट में सीविल हास्पिटल की आज हालत बहुत ही खराब है। वहां पर जो बिल्डिंग है उसकी बहुत ही जर्जर हालत हो गई है। वहां पर न तो डाक्टर्ज हैं और न ही दूसरा स्टाफ है। स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठी हुई हैं मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस बारे में कोई स्टैप लिया जाए ताकि वहां पर लोगों को रोज जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वह न करना पड़े।

चेयरमैन सर, आज लोगों के सामने सबसे जो बड़ी समस्या आई है वह यह है कि जो सामान्य राशन कार्ड होल्डर्ज हैं उनके राशन कार्ड से कैरोसिन की फैसिलिटी को हटा दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह कहना है कि जो बी०पी०एल० या दूसरी कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको भी कैरोसिन की सुविधा राशन कार्ड पर दोबारा से दी जाए।

इसके साथ ही सरकार ने अम्बाला में जो पार्क्स हैं उनको कमर्शियलाईज कर दिया है और वहां पर टिकट लगा दी है। इस वजह से जो लोग सुबह शाम घूमने के लिए जाते थे उनको दिक्कत आ रही है और अब वे पार्कों में घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पार्कों की इस कमर्शियलाईजेशन को खत्म किया जाना चाहिए ताकि जो लोग वहां पर सुबह शाम सैर करने के लिए जाते थे उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

इसी तरह से अम्बाला छावनी में जो डी०डी०टी० पाउडर 10 रुपए के हिसाब से मिलता है उसको 50 रुपए के हिसाब से खरीदा गया है जिस वजह से वहां पर करोड़ों रुपयों की धांधली की गई है। क्या सरकार इस बारे में इन्कवायरी करवाएगी ?

इसी तरह से अम्बाला छावनी में गुरु गोबिन्द सिंह जी के नाम से एक ऑडीटोरियम के निर्माण का कार्य नहीं हुआ है, इसके निर्माण पर 30 लाख रुपए खर्च होने हैं वह निर्माण कार्य शुरू किया जाए। चेयरमैन सर, काफी लम्बे समय से यह मामला पैण्डिंग पड़ा हुआ है।

[श्री देवेन्द्र कुमार बंसल]

चेयरमैन सर, अम्बाला छावनी में कन्टोनमैंट बोर्ड का एरिया पड़ता है और वहां पर 20,000 के करीब लोग रहते हैं। कन्टोनमैंट बोर्ड, एरिया सैन्टर के अधीन आता है जिसकी वजह से आर्मी अफसर वहां पर लोगों के मकान या तो गिरवा देते हैं या उनका कब्जा ले लेते हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इस बारे में कोई न कोई कदम उठाकर जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उनको दोबारा से बनवाए या जिनका कब्जा आर्मी आफिसर्ज ने लिया हुआ है उनको उनके मकानों का दोबारा से कब्जा दिलवाया जाए। चेयरमैन साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री साहिदा खान (तावडू) : चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन, सर, मैं सबसे पहले किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। चेयरमैन सर, पहले टिड्डी नाम के जानवर का आतंक हुआ करता था लेकिन आज कल हमारे इलाके में सरौठ नाम के जानवर का आतंक है। यह सरौठ नाम हम अपनी देहाती भाषा में कहते हैं। हमारे इलाके में पिछले तीन साल से ये इतने आते हैं कि सारी की सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। ये जानवर ज्वार की लम्बी-लम्बी पत्तियों में पैदा होते है और उसकी पत्तियां बिल्कुल ही सूख जाती हैं। अब की बार तो हमने बाजरे की फसल पर भी इसका असर देखा है। चेयरमैन सर, मंत्री जी अपने जवाब में बता रहे थे कि मिलीबग 500 से 600 तक अण्डे देता है तो मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि सरौठ एक लाख अंडे एक साथ देता है। चेयरमैन सर, अगर शाम को कोई मोटरसाईकल पर चलता है तो सरौठ जानवरों की इतनी संख्या होती है कि वह आदमी बिना चश्मों के मोटरसाईकल नहीं चला सकता है।

चेयरमैन सर, आज प्रदेश में बाजरे की बहुत बुरी हालत है। यह बदकिस्मती की बात है कि उसका रेट 150 रुपए प्रति क्विंटल है। हमारी सरकार के वक्त में इसका रेट 300 रुपए से बढ़ाकर 505 रुपए प्रति क्विंटल देकर किसानों को बहुत फायदा पहुंचाया गया था। उस समय आढ़ती भाइयों ने भी उसका फायदा उठाया था लेकिन आज हालात यह है कि बाजरे का कोई रेट नहीं है। हमारी तरफ दो महीने पहले बारिश हो गयी थी जिसके कारण पहली बार रिकार्ड तोड़ बाजरे की पैदावार हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बाजरे की खरीद भी सरकार के लेवल पर होनी चाहिए। यहां पर पहले कहा जा रहा था कि गेहूं के रेट हजार रुपये क्विंटल हो गये, यह अच्छी बात है। हम भी किसान है हम भी खेतीबाड़ी करते हैं। लेकिन जो मजदूर आदमी है उसके लिए आज आटा खरीदना मुश्किल हो रहा है क्योंकि आज 15 रुपये किलो के हिसाब से आटा मिलता है। अगर वह लगातार एक महीने तक दिहाड़ी करेगा तो भी मैं समझता हूं कि उसको 22 दिन से ज्यादा काम नहीं मिल सकता क्योंकि कभी मिस्त्री बीमार हो जाता है कभी कुछ और बात हो जाती है। इस तरह से मैं समझता हूं कि 3032 रुपये दिहाड़ी में वह कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके चार पांच बच्चे हों और साथ में उसके मां बाप भी हों तो वह अपना गुजारा नहीं कर सकता इसलिए ऐसे लोगों के लिए भी सरकार को कुछ न कुछ जरूर सोचना चाहिए। सरकार को उनको सबसिडाइज्ड रेट पर गेहूं देना चाहिए। इसी तरह से *** की वजह से पूरे प्रदेश में रोड्ज पर हाहाकार मचा हुआ है।

श्री सभापति : ये घांधली वाली बात रिकार्ड न की जाए।

श्री साहिदा खान : सभापति महोदय, आप किसी भी टी०वी० चैनल को खोलकर देख लें पूरे प्रदेश में यही बात सामने आ रही है कि बी०पी०एल० के मामले में धांधली हो रही है।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री सभापति : थोड़ी बहुत कहीं पर कमी रह जाती है लेकिन आप जैसे राजनीतिक लोग उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं।

श्री साहिदा खान : सभापति महोदय, हमारे यहां पर रामकुंवर गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है वह अरबपति है लेकिन उसका नाम भी बी०पी०एल० की सूची में आ गया है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं कि जिनका गलत नाम इस सूची में आ गया है उस पर केस रजिस्टर करवाएंगे। सभापति महोदय, वह बेचारा गुप्ता ऐफेडेविट देने के लिए तैयार हैं कि मुझे इससे बाहर निकालो। इस तरह से जो बिल्कुल गरीब आदमी हैं जिनका इस सूची में नाम आने का हक बनता है उनको इस सूची में शामिल नहीं किया जाता है और जिनका हक नहीं बनता है उनको इस सूची में शामिल किया जाता है इसलिए बड़े दुख के साथ यह बात कही जाती है। सभापति महोदय, हमारी तरफ सरसों की बुआई की जाती है। सरकार ने राशन कार्ड पर डी०ए०पी० खाद देने का निर्णय किया हुआ है कि अगर आप राशन कार्ड दिखाएंगे तभी आपको यह खाद मिलेगी। इसकी वजह से तीन-तीन, चार-चार दिन तक किसानों को लाईनों में लगना पड़ता है। मैं तो इसे प्रदेश की बदकिस्मती ही कहूंगा कि राशन कार्ड पर खाद मिले और वह भी टाईम पर पूरी न मिले। इसी कारण सरसों की बुआई काफी लेट हो जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को डी०ए०पी० खाद का इंतजाम करना चाहिए। जितनी किसी को यह खाद चाहिए उतनी उसको मिलनी चाहिए। इसी तरह से यूरिया खाद के मामले में भी हो रहा है। इस तरह से आज प्रदेश की हालत बहुत गंभीर है। जौनपुरिया जी यहां पर रोड़ की बात कर रहे थे मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी तो ये सोहना के ही विधायक हैं इसलिए अभी ये तावडू का नाम न लें। तावडू में हम भी हैं। ये रोड की बात कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहूंगा कि नेशनल हाई-वे अथोरिटी की वह रोड है और प्रदेश का इससे कोई लेना देना नहीं है। बादशाहपुर से फिरोजपुर तक जो रोड बनी है वह एन०सी०आर० के तहत ही बनी है।

श्री सभापति : जौनपुरिया जी ने तो आपकी स्पोर्ट ही की है।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : सभापति महोदय, नेशनल हाई-वे अथोरिटी या एन०सी०आर० जो रोड बनाती है। उसका काम हम ही करते हैं। इनका बजट भी हमें ही मिलता है। इनके यहां पर तो कई करोड़ रुपये के काम मंजूर करवाए गए हैं लेकिन ये उसके लिए धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। इनको इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए।

श्री साहिदा खान : मंत्री जी बताएं कि इन्होंने अपनी सरकार के फंड्ज से कितनी रोड्ज बनायी हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : आपको इल्म होना चाहिए कि एन०सी०आर० में जो पैसा आता है वह हरियाणा सरकार का ही पैसा होता है।

श्री साहिदा खान : सभापति महोदय, आज भी हमारे हल्के में रोड्ज पर दो-दो फुट के गड्ढे हैं उनके बारे में इनका क्या कहना है ?

श्री सभापति : साहिदा खान जी, किसी भी प्रकार का डिवैल्पमैंट का काम यदि होता है तो वह स्टेट गवर्नमैंट का ही होता है।

श्री साहिदा खान : सभापति महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है तो मैं बैठ जाता हूं। मैंने बहुत समय पहले अपने गांव की एक रोड बनाने के लिए कहा था लेकिन उस पर आज तक काम नहीं हुआ। वहां पर दो-दो फुट तक पानी भर जाता है। सभापति महोदय, मैं मार्किटिंग बोर्ड में चला गया क्योंकि वह मार्किटिंग बोर्ड की सड़क है। उसके लिए मैंने

[श्री साहिदा खान]

ऐप्लीकेशन लिख दी। वहां से 20 गांवों के आदमी जाते हैं, एक तरफ तहसील की दीवार है, एक तरफ अनाज मंडी की दीवार है। आज तक उसमें मिट्टी तक नहीं डल सकी है,यह बड़े ही दुख की बात है। आम लोग क्या उम्मीद रखेंगे मैं मानता हूं कि हम विपक्ष के विधायक हैं लेकिन हमारा कुछ तो हिस्सा बनता होगा। क्या तावडू की इतनी बड़ी बदकिस्मती हो गई कि उन लोगों ने हमें वोट दे दिया ? अब तक पूरे साढ़े तीन साल के शासनकाल में मेरे हल्के के 165 गांवों के लिए मात्र 40 लाख रुपये की राशि मिली है। इस हिसाब से एक गांव के लिए 5 हजार रुपये की राशि भी नहीं आती है। (विघ्न)

श्री नरेश कुमार प्रधान : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि अभी माननीय साथी यह कह रहे थे कि ज्वार और बाजरे की सारी फसल को सुंढी लग गई और अब कह रहे हैं कि बाजरा 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है और चौटाला के समय में 450 रुपये प्रति क्विंटल में बिकता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : शर्मा जी, आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री साहिदा खान : सभापति महोदय, पंडित जी को मेरी बात से तकलीफ हो रही है।

श्री सभापति : आप डिमांड पर बोलिए।

श्री साहिदा खान : सभापति महोदय, मैं डिमांड पर ही बोल रहा हूं। कई चीजें बेकायदगी की हो रही हैं। नहरों के मामलों में दक्षिणी हरियाणा का जिक्र बार-बार आता है। मैं कहना चाहता हूं कि मेवात भी दक्षिणी हरियाणा में आता है लेकिन नहरों में सिर्फ रिवाड़ी तक पानी जा रहा है। रिवाड़ी से आगे पानी नहीं जाता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : चेयरमैन सर, मेवात कैनाल के बारे में हमने 326.40 करोड़ रुपये का बाकायदा प्लान बना दिया है और उसके लिए अगले साल के बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मेवात कैनाल के बन जाने से इनके एरिया की पानी की सारी दिक्कत दूर हो जाएगी और बरसात के दिनों में हम इस कैनाल को लगातार 60 दिन तक चलाएंगे। मेवात कैनाल के सपने को सरकार साकार करने में लगी हुई है। माननीय सदस्य साहिदा खान के हल्के में और आसपास होडल, गूंह, पटौदी, पटौदा रोड ठीक करवा रहे हैं और गुड़गांव, गूंह राजस्थान बार्डर तक भी ठीक करवा रहे हैं।

श्री साहिदा खान : मैं आज के हालात की बात कर रहा हूं। डेढ़ साल बाद करेंगे तो क्या फायदा होगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : जितने भी स्टेट हाईवेज हैं उन सड़कों की रिपेयर 15 अक्टूबर तक करवा देंगे और जितने गांव की खराब रोड्ज हैं उनकी 15 नवम्बर तक रिपेयर करवा देंगे।

श्री साहिदा खान : सभापति महोदय, मेरे पास हल्के के आदमी इक्ट्ठे होकर आते हैं और कहते हैं कि 5-4 आदमी इकट्ठे होकर पानी का टैंकर मंगवाते हैं और उस पर भी झगड़ा होता है कि उसने ज्यादा ले लिया मुझे कम मिला है।

श्री सभापति : इतनी बड़ी स्कीम लाने में लगे हुए हैं फिर भी आप खुश नहीं हैं। आप वाइंड अप करें।

श्री साहिदा खान : हमारे विधायक जी यहां बैठे नहीं हैं वे यदि बैठे होते तो इस बात का समर्थन करते । हमारे एरिया के कई गांव ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में भयानार आरेज कहते हैं जो कि मेवात में सोहना से आगे चलकर पड़ते हैं। वहां पीने के पानी की बात छोड़ दें जो पशुओं के नहाने के लिए पानी होता है वह भी मोल खरीदना पड़ता है। मैं कहना चाहूंगा कि जो रजबाहे बना रखे हैं गर्मी के समय में यदि तालाब सूख जाएं तो इनको भरवाया जाए किसी ढंग से चाहे नहर के माध्यम से भरवाया जाए। आप खुद जाकर देख सकते हैं। बादशाहपुर से सोहना क्रॉस करके आप देखेंगे कि तालाब का इतना गन्दा पानी होता है कि सफेद कपड़े आप तालाब में नहीं धो सकते। 15-15 दिन तक पानी वहां पर नजर नहीं आता। धन्यवाद।

श्री नरेश यादव (अटेली) : सभापति महोदय, आपने मुझे डिमाण्ड पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। चेयरमैन सर, हमारी जो अहीरवाल की साउथ हरियाणा की मुख्य मांगे थी, चिरकालीन मांग थी, विश्वविद्यालय बनाने की, वह पूरी हो गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। पिछले दिनों महेन्द्रगढ़ आगमन पर 17 फरवरी 2008 को अटेली आने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने महेन्द्रगढ़ में सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से जो हमारी चिरकालीन मांग थी, जो श्री आर०वी० वैंकटरैमन जब भारत सरकार के राष्ट्रपति थे तब से अहीरवाल में सैनिक स्कूल की डिमाण्ड थी, जिसका पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी और डिफैन्स मिनिस्टर जी ने उद्घाटन किया, जिसकी रेवाड़ी में एक होस्टल में क्लासिज शुरू हो जायेंगी। चेयरमैन सर हमारी बड़ी मांगें पूरी हो गई हैं फिर भी हमारे अहीरवाल की नांगल चौधरी का इलाका जो कोटपूतली राजस्थान से लगता है वह बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। उसके लिए मैंने पिछले सैशन में भी मांग की थी और आपके माध्यम से आज भी मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां पर कोई इंस्टीच्यूट नहीं है। वहां का वाटर लेवल भी 1400 फीट नीचे है। वहां पर लुजोला गांव की पंचायत ने जमीन देने के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है। पिछले दिनों अटेली में वोकेशनल संस्थान को अपग्रेड करके सुजापुर गांव में आई०टी०आई० बनाने का काम किया है। उसी के नजदीक भोजावास में आई०टी०आई० खोलने की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से की गई थी, जब वे कोसली के दौरे पर आये थे। पंचायत वहां पर उनसे मिली थी तब पंचायत को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। दूसरा चेयरमैन सर, कैप्टन अजय सिंह यादव जी बैठे हैं, पिछले दिनों इनके अटेली आगमन पर इन्होंने वायदा किया था कि वहां की सड़कें बना दी जायेंगी लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। नांगल चौधरी, निजामपुर, नारनौल, रेवाड़ी काठवास की सड़कों की हालत बहुत खराब हैं इस सरकार के कार्यकाल में उनकी एक बार तो रिपेयर हो चुकी है, यह भी सच्चाई है, लेकिन पिछले सैशन में भी मैंने सुझाव दिया था कि वहां पर बजरी की खानें हैं और सारे राजस्थान की गाड़ियां और सारे हरियाणा की गाड़ियां और बड़े-बड़े ट्रक चलते हैं और ये सड़कें ठीक होने के बाद महीने दो महीने में फिर टूट जाती हैं। इनके लिए कोई स्पैशल इंतजाम किया जाए चाहे टोल टैक्स लगाया जाए ताकि ये सड़कें दोबारा से नहीं टूटें। काठवास गांव के पास सड़क अब बन रही है और वह 4-5 दिन में बन जायेगी वहां पर पिछले 15 दिनों से काम चल रहा है। लेकिन इसके लिए कोई स्पैशल इन्तजाम किया जाए।

श्री सभापति : इन्तजाम के सुझाव भी आप दें ताकि सड़कें कभी नहीं टूटें।

श्री नरेश यादव : चेयरमैन सर, वहां पर ओवर लोडिड गाड़ियां दो नम्बर में चलती हैं उन पर कन्ट्रोल किया जाए। इस बारे में अधिकारी ध्यान दें और कर्मचारी वर्ग ध्यान दें ताकि इन पर कन्ट्रोल किया जा सके। ओवर लोडिड गाड़ियां इन सड़कों पर कम होंगी तो सड़कों को टूटने से बचाया जा सकेगा। सभापति महोदय, नहरों के बारे में आए हुए सवाल का आज ही मंत्री जी द्वारा जवाब दिया गया है। यह बात सच है कि अटेली और मांगल चौधरी में इस बार आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

श्री सभापति : नरेश जी, जवाब आने के बाद क्या रह जाता है। आप अपनी बात एक मिनट में खत्म करें।

श्री नरेश यादव : सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात कहूंगा। सभापति महोदय, मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया की पानी कितना क्यूसिक बढ़ा है। जब पानी बढ़ाने की बात होती है तो सभी लोगों का एक ही जवाब होता है हांसी बुटाना लिंक नहर। हांसी बुटाना लिंक नहर के बारे में यहां एक प्रस्ताव आना चाहिए कि इस नहर का सम्बन्ध केवल साउथ हरियाणा और अहीरवाल से नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लोगों से है। जिस तरह से पंजाब विधान सभा में प्रस्ताव पास किया गया है और तय हुआ है कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे और उस पर सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों ने दस्तखत किए हैं तो इसी तरह से इस हरियाणा की विधान सभा में भी एक प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। जो लोग इस हांसी बुटाना लिंक नहर के बनाने के खिलाफ हैं, जो हरियाणा प्रदेश में समान पानी बांटने के खिलाफ है वे इस बारे में साफ-साफ बताएं और जो समान पानी देने के हक में हैं वे सदन के अंदर 'हां' करें। प्रकाश सिंह बादल ने सुप्रीम कोर्ट में इस नहर के बनाने के विरोध में याचिका डाल रखी है। अगर हम हरियाणा के हितैषी है तो प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ भी एक प्रस्ताव आना चाहिए। ये लोग हरियाणा में राजनीति करते हैं और लोगों के बीच जाकर चुनाव से पहले वोट मांगकर कहते हैं कि पानी देंगे लेकिन जब उनकी सरकार आती है तो ये लोगों पर गोलियां और लाठियां चलाने का कार्य करते हैं इसलिए उनके खिलाफ सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव आना चाहिए। सदन को जानकारी मिलनी ही चाहिए कि कौन लोग इस नहर के हक में है, कौन लोग समान पानी का वितरण नहीं करना चाहते और कौन लोग हरियाणा प्रदेश में पानी देने से रोकना चाहते हैं, इस पर खुली बहस होनी चाहिए। आज एस०वाई०एल० कैनाल की भी बात आई। हमारे कई माननीय विधायकों ने कहा कि एस०वाई०एल० कैनाल पर आप कुछ करना नहीं चाहते। हरियाणा किसान संघर्ष समिति ने एस०वाई०एल० कैनाल के मुद्दे पर नारनौल की सड़कों पर मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने तय किया कि पंजाब की गाड़ियों को हरियाणा से गुजरने नहीं देंगे। जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय देवीलाल जी की मूर्ति का पंजाब में अनावरण हो रहा था उस दिन हम 27 लोगों पर लाठियां बरसाई गई और हमें जख्मी करके एस०वाई०एल० कैनाल के मुद्दे पर नारनौल की जेल में डाला गया था। वाजपेयी जी उस दिन पंजाब में थे और हम महेन्द्रगढ़ की जेल में सलाखों के पीछे बन्द थे। उस समय हम जेल में 11 दिन अनशन पर रहे थे लेकिन आज ये एस०वाई०एल० कैनाल की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) एस०वाई०एल० कैनाल की लड़ाई हमने लड़ी, लाठियां हमने खाई। (शोर एवं व्यवधान) सभापति जी इन में से कौन एस०वाई०एल० कैनाल के लिए लड़ा ? (शोर एवं व्यवधान) एस०वाई०एल० कैनाल के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाल रखा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सभापति महोदय, इस सरकार को बने हुए साढे तीन साल हो गए हैं लेकिन अभी तक एस०वाई०एल० नहर नहीं बनी। हम तो कहते हैं कि इसका पानी आना चाहिए। हम झूठी तारीफ नहीं करेंगे।

श्री सभापति : डॉ० साहब, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सभापति जी, इतनी बारिश होने के बाद भी बिजली की हरियाणा में किल्लत है, पानी की किल्लत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार इस बारे में ठोस इंतजाम करने में लगी हुई है। (शोर एवं व्यवधान) डॉ० साहब, आप बैठें।

श्री नरेश यादव : सभापति महोदय, ----------

श्री सभापति : यादव साहब, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश यादव : कांग्रेस की सरकार तो पानी देना चाहती है लेकिन आपकी पार्टी पानी नहीं देना चाहती। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सभापति महोदय, ये लोग एस०वाई०एल० बनवायें हम इनके साथ हैं। (शोर एवं व्यवधान) **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)**

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ प्रस्ताव आना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मैं प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ धरने पर बैठूंगा। डाक्टर साहब, आपका नेता अपना ब्यान दे कि वह हांसी बुटाना लिंक नहर के बनने के पक्ष में है। (शोर एवं व्यवधान) ओम प्रकाश चौटाला ब्यान दे कि वह नहरी पानी के समान बंटवारे के हक में है। (शोर एवं व्यवधान) वह हमारे साथ चले। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : हम साथ देंगे, आप राजनीति मत करो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, बादल और चौटाला ने हमारे हक का पानी रोका हुआ है। ये लोग प्रकाश सिंह बादल को सम्मानित करते हैं जिसने हमारा पानी रोका हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार प्रधान : अध्यक्ष महोदय, जो लोग प्रकाश सिंह बादल के साथ मिले हुए हैं, वे लोग हरियाणा के लिए **** । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : **** (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, ये लोग नहरी पानी का समान बंटवारा नहीं चाहते । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अमीर चंद मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे लेकिन सारी दुनियां को मालूम है कि पानी का दुश्मन कौन है ? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नरेश यादव जी बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं कि ये लोग पानी का समान बंटवारा नहीं होने दे रहे। (शोर एवं व्यवधान) पंजाब एस०वाई०एल० का अपोज करता है। यदि नरवाना ब्रांच की कैपेसिटी बढ़ानी हो तो पंजाब उसको भी अपोज करता है और यदि हांसी बुटाना लिंक नहर की बात हो तो उसको भी पंजाब अपोज करता है और ये लोग उनके साथ हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी और प्रकाश सिंह बादल पगड़ी बदल भाई हैं। (शोर एवं व्यवधान) ओम प्रकाश चौटाला जी के यहां गुरुद्वारा से लंगर का खाना आता है और दोनों मिलकर खाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : ****। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का क्या मुकाबला करेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने तो प्रधान मंत्री की कुर्सी को लोकर मार दी थी। (शोर एवं व्यवधान) जबकि तुम तो कुर्सी के साथ चिपकते हो।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, प्लीज आप बैठें। अब मक्कड़ जी सप्लीमैंट्री डिमांड्ज पर बोलेंगे।

श्री अमीर चंद मक्कड़ (हांसी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमैंट्री डिमांड्ज पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन हरियाणा सरकार सड़कों की रिपेयर के साथ-साथ बहुत सी नई सड़कें भी बनवा रही है और बजट में भी पैसे का प्रावधान किया हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में भी एक-दो सड़कें हैं जो बननी बहुत जरूरी हैं। इनकी तरफ मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हांसी के अंदर दो श्मशानघाट हैं। दोनों के दोनों श्मशानघाटों के रास्ते खराब हैं उनको बनवाया जाये। हांसी के लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे इसलिए उन दोनों श्मशानघाटों की सड़कें बनवाई जायें।

श्री अध्यक्ष : मक्कड़ जी, पहले आप यह तो इंडीकेट करें कि आप कौन सी डिमांड पर बोलना चाहते हैं ?

श्री अमीर चंद मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड पर ही बोल रहा हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं यह डिमांड्ज में ही आता है इसके अतिरिक्त कुछ नई सड़कें मेरे हल्के की हैं जो बनानी बहुत जरूरी हैं। मैंने प्रश्नकाल के दौरान भी इस बारे में प्रश्न किया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमारे हांसी शहर के अंदर से ट्राफिक होकर जाता है जिसके कारण वहां बहुत एक्सीडैंट्स होते हैं इसलिए वहां पर शहर

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

के बाहर से बाईपास बनवाया जाये ताकि वहां के लोगों को ऐक्सीडैंट से बचाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं पानी के बारे में भी कहना चाहूंगा।

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 2.30 P.M.

*13.30 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.30 P.M. and re-assembled at 2.30 P.M.)

वर्ष 2008-2009 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Yes, Mr. Makkar Sahib you were on your legs. Please continue your speech.

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : स्पीकर सर, मैं सड़कों के बारे में अपनी डिमाण्ड रख रहा था। मेरे हल्के की कुछेक सड़कें हैं जिन्हें बनाया जाना बहुत जरूरी है। एक सड़क ढाणा से जमावड़ी है। इस सड़क के लिए सरकार को जमीन ऐक्वायर करने की जरूरत भी नहीं है वहां पर सिर्फ सड़क ही बनाई जानी है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस सड़क का निर्माण शीघ्रता से किया जाये। इसके अलावा एक सड़क लालपुरा से कुलाणावाली है जो कि बहुत जरूरी है। यह बात ठीक है कि हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश की सड़कों के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रही है। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे हल्के की सड़कों की तरफ भी सरकार अधिक से अधिक ध्यान दे। इसके अतिरिक्त जहां तक खेलों का सम्बन्ध है खेलों के बारे में भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनेक कदम उठाये हैं। अभी हाल ही में सम्पन्न बीजिंग ओलम्पिक में जहां हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर संसार में देश और हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी उनको सम्मानित करने के लिए भिवानी में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करके उनको क्रमश: 25-25 लाख रुपए और 50-50 लाख रुपए बतौर इनाम भी दिये।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : हां जी डॉक्टर साहब, आपका क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है ?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण इश्यू पर बातचीत चल रही है और हाउस में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के मौजिज लोग जब डिस्कशन हो रही हो तब सदन में उपस्थित हों । आप स्वयं ही देख रहे हैं । सरकार सैशन बुलाती है, वह चर्चा के लिए बुलाती है और चर्चा इसलिए की जाती है कि लोगों तक अच्छी बातें पहुंच सकें और जो सदन में संख्या दिख रही है उससे तो लगता है कि सरकार लोगों के प्रति सीरियस नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, प्लीज टेक योअर सीट। ऐसा है अभी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और बाकी सदस्य भी आ रहे हैं। इसमें जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी की बात अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा बातें हो जायेंगी । It is a debatable point. Parliamentary Affairs Minister & Health Minister both are sitting here.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, जो हकीकत है वह तो आपके सामने है।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, अगर आपको कोई ऑब्जैक्शन हो और उसका जवाब नहीं मिल पाये तब तो आप कह सकते हैं। The quorum of the House is complete.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, कोरम तो हमारे हाथ में है अगर हम चाहें तो कोरम खत्म भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : कुछ तो आपके हाथ में है। अगर आपको गैर जिम्मेदारी करनी है तो वह आपकी मर्जी है। डॉक्टर साहब, कभी-कभी खोटे सिक्के भी काम आ जाते हैं। हां जी मक्कड़ साहब, आप बोलिए।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, हांसी शहर में एक स्टेडियम जरूर बनवाया जाये। रेलवे स्टेशन के पास ही जमीन भी मौजूद है और साथ में ही कॉलेज भी है, स्कूल भी है। बच्चे वहां पर अपनी तैयारी कर सकेंगे और अपने प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकेंगे। साथ-साथ हरियाणा सरकार ने घोषणा कर रखी है कि हर व्यक्ति को पीने के लिए स्वच्छ और पर्याप्त पानी मुहैया कराया जायेगा। हांसी में पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। जब तक हांसी में दूसरा वाटर वर्क्स नहीं बन जाता पीने के पानी की समस्या से निजात नहीं मिल सकती। कई सालों से यह डिमांड चल रही है। पिछली बार भी मैंने हाउस में यह मुद्दा उठाया था उसके जवाब में मंत्री जी ने कहा था कि यह वर्ल्ड बैंक की स्कीम है जब वर्ल्ड बैंक अप्रूवल दे देगा तो वाटर वर्क्स बनेगा। वर्ल्ड बैंक की टीम वहां का सर्वे कर चुकी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर दूसरा वाटर वर्क्स बना कर हांसी के लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, हांसी में बिजली की भी बड़ी भारी दिक्कत है। हालांकि बिजली की दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है और आने वाले सालों में मैं समझता हूं कि बिजली कि दिक्कत दूर हो जायेगी। आज जिस प्रकार से हरियाणा सरकार बिजली की समस्या से निपटने के लिए कदम उठा रही है अगर उसी प्रकार से पिछली सरकार काम करती तो आज यह समस्या पैदा ही न होती। लेकिन हुड्डा साहब की सरकार ने बागडोर सम्भालते ही बिजली के सुधार के लिए काम करना शुरू कर दिया था। हमारी सरकार बाहर से महंगी बिजली खरीद कर अपने लोगों को सस्ते रेट पर दे रही है। लेकिन जब तक अपनी स्टेट में बिजली का उत्पादन शुरू नहीं हो जाता तक तक बिजली की कमी दूर नहीं हो सकती। बिजली न मिलने से लोग सड़कों पर जाम भी लगा देते हैं और रास्ते रोक देते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि हांसी के लोगों की बिजली की समस्या का समाधान किया जाये। इसके साथ ही साथ कॉलेज के बारे में भी कहना चाहूंगा कि हांसी में जो कॉलेज बना हुआ है। वह काफी पुराना है। वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा हैं। एक साल से ऊपर हो गया आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पत्थर भी रखा था लेकिन वहां पर आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस काम को जल्दी शुरू करवाया जाये ताकि हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से कर सकें। जब हरियाणा सरकार पढ़ाई के लिए गरीब बच्चों के लिए, हरिजनों के लिए इतनी कोशिश कर रही है तो मैं समझता हूं कि हांसी में भी ज्यादा ध्यान देकर कॉलेज के विस्तार का भी पूरा काम करेगी। ताकि बच्चों को वहां पर बैठने के लिए आराम से जगह मिल सके। इसके साथ ही साथ मैं हांसी की कुछ दिक्कतों के बारे में भी यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। मीटिंग के समय भी हमने माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने इन दिक्कतों को रखा था। बी०पी०एल० के बारे में लोगों से काफी शिकायतें आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : मक्कड़ साहब, इस बारे में सदन के माननीय नेता की तरफ से जवाब आ चुका है। मैं इस बारे में आपको यह भी बता देता हूं कि अगर बी०पी०एल० की सूची में कोई गलत नाम आ गया है तो उसके बारे में बता दें और यदि किसी व्यक्ति का नाम छूट गया हो तो उसके बारे में भी बता दें।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरी जो छोटी-छोटी मांगे हैं मैं इस महान सदन का ध्यान उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हांसी एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और यहां के लोगों ने ऐतिहासिक कुर्बानियां भी दी हैं। अंग्रेजों के समय में यहां लोगों पर बड़े जुल्म हुए थे और लोगों पर गिरडियों को चढाया गया था। वहां पर लोगों का इतना खून बहा था जिसके कारण वहां की सड़क खून से लाल हो गई थी। उस सड़क को आज भी लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि हांसी शहर की गलियों और सड़कों की मुरम्मत की जाए और विकास के लिए जो भी काम बकाया हैं उनको करवाने की मेहरबानी करें। चाहे बिजली की दिक्कत है या फिर पानी की दिक्कत है उन सब दिक्कतों को दूर करने की मेहरबानी करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

डॉ० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सप्लीमैंट्री डिमाण्ड्ज़ पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं चेयर के हर आदेश की पालना करता हूं और आपकी विशेष अनुमति के तौर पर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये डिमाण्ड्ज़ तो सरकार की डिमाण्ड्ज हैं लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों की डिमाण्डज़ पर बोलना चाहूंगा। इसलिए मैं आपसे बोलने के लिए विशेष अनुमति चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उनके बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय फाईनैंस मिनिस्टर जी ने सप्लीमैंट्री डिमाण्ड्ज़ हाउस में पेश की हैं। पार्लियामैंट्री प्रैक्टिस और संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल ही इनको बोलना चाहिए। ये संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन करके बोलेंगे ?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बोलने के लिए आपसे विशेष अनुमति मांगी है।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, जो पार्लियामैंट्री प्रैक्टिसीज हैं उसमें स्पैसिफिकली मैंशन किया हुआ है कि--

> "As per past practice and in order to save the time of the House, demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand. They are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion."

या तो आप उस समय बोलते कि इसका दायरा बढ़ा दें।

Finance Minister (Ch. Birender Singh) : Either he should speak on the Appropriation Bill when it comes or he should be specific to the Demands only. This is not a way that he can speak about any topic.

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, कोई कायदा कानून तो होता है कि नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और अगर मैं किसानों के खेत की बात करूंगा तो उसके साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं किसान के खेत की बात करूंगा तो उसको बिजली की प्रोपर सुविधा मिले, यह बात भी इससे जुड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप डिमान्ड स्पैसिफाई करके बोलें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं डिमान्ड नम्बर 17 के साथ अपनी बात जोड़ कर कहना चाहता हूं जोकि कृषि से जुड़ी हुई है। स्पीकर सर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि प्रधान प्रदेश में जब सुख और शान्ति होगी तो किसान की ताकत भी बढ़ेगी। उस किसान को अगर सुविधाएं मिलेगी, चाहे वह बिजली की हो या पानी की हो तो उसं प्रदेश में प्रोसपैरिटी भी आएगी। स्पीकर सर, इसलिए मैं हर डिमाण्ड को उसके साथ जोड़ना चाहता हूं। अगर यहां की कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो किसान कैसे पैदावार ठीक से कर पाएगा।

Shri Karan Singh Dalal : I want to speak on a point of order. Dr. Indoraji, it is mentioned in the scope of discussion on supplementary grants under Rule 201 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly that--

"201. The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save insofar as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion."

स्पीकर सर, इनको बोलते हुए सप्लीमैंट्री ग्रान्टस पर डिमाण्ड नम्बर बोलते हुए बोलना चाहिए कि मैं इस डिमाण्ड पर बोलना चाहता हूं। ये इसके अलावा कहीं और नहीं बोल सकते हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि मैं सदन में आपकी परमीशन से बोलूंगा या माननीय सदस्य की परमीशन से बोलूंगा।

Ch. Birender Singh : Indora ji, he is helping the House.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, दलाल साहब प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोले हैं लेकिन ये मुझे हिदायत नहीं दे सकते हैं कि मैं इनकी परमीशन से बोलूंगा। (शोर एवं व्यवधान) क्या मैं इनके हिसाब से बोलूंगा। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं डिमाण्ड नम्बर 17 पर कृषि से जुड़ी बात पर बोलना चाहता हूं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमें प्रदेश में और देश में किसानों को सुविधाएं देनी चाहिए। आज प्रदेश का किसान ज्यादतर गांवों में रहता है। आज हमें ट्यूबवैल चलाने के लिए बिजली चाहिए । पशुओं को बचाने के लिए बिजली चाहिए और पानी की सुविधा भी चाहिए। आज मैं बिजली के हालात की बात करूं तो हरियाणा में बिजली के हालात यह हैं कि 2-2 और 3-3 दिन तक लगातार बिजली नहीं आती है। जबकि सरकार कहती है कि हमने बिजली की प्रोडक्शन बढ़ा दी है। आज हम टी०वी० में ऐड देखते हैं कि नम्बर वन हरियाणा, नम्बर वन हरियाणा। कभी सोनिया जी के साथ फोटो आती है और कभी प्रधान मंत्री जी के साथ फोटो आती है कि हरियाणा देश में नम्बर वन स्टेट है।

कभी किसानों के 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिलों के माफ कर दिए हैं। कभी कुछ कहते हैं। 1600 करोड़ रुपए माफ करने की वाह वाही तो लूट ली है।(शोर एवं व्यवधान) जबकि हालात यह है कि ये बिजली दे ही नहीं पा रहे हैं। जब किसानों को बिजली नहीं देंगे तो उन 1600 करोड़ के कर्जे माफ करने का क्या फायदा हुआ है। आज किसान के नाम पर केन्द्र की सरकार कहती है कि हमने 70,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं और इतने लोगों के कर दिए हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आज इस सरकार ने बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं और बिजली मंत्री जी का ब्यान आता है कि हमने बिजली अमीरों से लेकर गरीबों को दे दी है। ऐसा ब्यान देकर इन्होंने अमीरों और गरीबों में एक और खाई खोद दी है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह तथ्यों से विपरीत है। मैं सदन में तथ्यों पर आधारित बात कहना चाहूंगा कि हरियाणा में अध्यक्ष महोदय, यह बात सबको पता है कि हमारे पास जो हमारे खुद के रिर्सोसिज हैं वे हरियाणा की बिजली की मांग को पूरा नहीं कर सकते। हरियाणा में वर्षों से विभिन्न सरकारें आती रहीं लेकिन किसी भी सरकार ने बिजली उत्पादन की तरफ ध्यान नहीं दिया। हरियाणा प्रान्त के अंदर 1587 मैगावाट के करीब हमारे पास कुल बिजली का उत्पादन था लेकिन आज के दिन हरियाणा राज्य में पांच हजार मैगावाट बिजली की जरूरत है। हम बाहर के जो रिसोर्सिज हैं जहां पर हमारा हिस्सा है जैसे हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट हैं या जो हरियाणा के अंदर थर्मल पावर प्रोजैक्ट हैं, अगर उन सबको मिलाकर उनसे मिलने वाली बिजली को ले लें तो किसी भी गिवन डे पर इनको मिलाकर भी 2200 से लेकर 2800 मैगावाट के बीच बिजली ही हमें उपलब्ध होती है। विभिन्न सरकारें वर्षों तक इस प्रदेश में रहीं है। इनकी भी सरकार 6 वर्षों तक रही और उससे पहले बी०जे०पी० और हरियाणा विकास पार्टी की भी सांझा सरकार रही या उससे पहले कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही परन्तु इस प्रान्त में वर्षों से वास्तविकता और सच्चाई यह है कि बिजली की कमी हमेशा रही, पूरी बिजली हरियाणा में कभी नहीं मिल पायी। स्पीकर साहब, बिजली हवा में से नहीं आ सकती इसलिए मैं माननीय इंदौरा साहब को बताना चाहूंगा कि बिजली तो बिजली का कारखाना लगाने से ही आएगी और उसके लिए निवेश चाहिए, उसके लिए कोयले की लिंकेजिज चाहिए, उसके लिए आपको प्लांट लगाने पड़ेंगे तथा उससे उत्पादन लेकर बिजली की लाईंज के माध्यम से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन लाईनें चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने पहला 600 मैगावाट का थर्मल पावर प्लांट चौधरी दीनबन्धु छोटू राम के नाम से यमुनानगर में लगाया है यह इस समय चालू है। यह प्लांट अपने आप में रिकार्ड समय में लगाया गया है। इसके अलावा 1200 मैगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट हम खेदड़, हिसार के अंदर लगा रहे हैं। इसका जो काम है वह इस समय गति पर है। इसका साढ़े सैंतीस परसैंट काम हम पूरा कर चुके हैं। सितम्बर, 2009 तक इस प्लांट की पहली यूनिट से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी ऐसी हमें उम्मीद है और मार्च, 2010 तक इस प्लांट की दोनों यूनिट काम करना शुरू कर देंगी।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, ये सारी बातें मंत्री जी अपना जवाब देते वक्त बता दें। अब ये क्यों मेरा समय अननैसेसरी लें रहे हैं।

Shri Randeep Singh Surjewala) : I ann rising on a point of order and I am replying to your question.

Mr. Speaker : Dr. Indora, Parliamentary Affairs Minister is on his legs. Listen to him. He is replying to your question. डाक्टर साहब, आपका टाईम ऐसे ही इनटैक्ट है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : ठीक है सर, फिर कोई प्राब्लम नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, इसके अलावा हम 1500 मैगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट झाड़ली में आपके जिले में लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं क्योंकि वह आपका इलाका भी है। इससे हमें 750 मैगावाट बिजली मिलेगी। इसी तरह से 1320 मैगावाट का उसके सामने एक और पावर प्लांट लगाने के लिए हमने टैंडर इंवाइट किए हैं। सर, आप तो उस जिले से संबंधित हैं। इसलिए आपको तो पता है कि इस सम्बंध काम चालू हो गया है। इसके अलावा तकरीबन 2113 मैगावाट बिजली की जो विभिन्न अलग-अलग बिजली की परियोजनाएं हैं, उनसे टैंडर के माध्यम से लौंग टर्म 25 साल के लिए हमने खरीदी है। इस प्रकार से 6078 मैगावाट के करीब बिजली अतिरिक्त हरियाणा की किटी में जोड़ने का कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया है जिस पर बीस हजार करोड़ रुपए के करीब तो इन परियोजनाओं पर ही लगेगा। इसके अलावा 2113 मैगावाट बिजली जो हमने टैंडर के माध्यम से लौंग टर्म 25 साल के लिए खरीदी है उसका पैसा अलग है। अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब मुझसे उम्र में और तजुर्बे में भी बड़े हैं इसलिए ये इस बात को जानते हैं। जब एक नवम्बर, 1966 को हरियाणा बना था तब से लेकर आज 2 सितम्बर, 2008 तक ये हमें बता दें कि किसी सरकार ने 6078 मैगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाने की कभी पहल की हो। तीन सौल पहले केवल 1587 मैगावाट बिजली ही हरियाणा प्रान्त में बनती थी लेकिन इस सरकार के कार्यकाल के अंदर 7500 मैगावाट बिजली को बढ़ाया गया है। अब हरियाणा के ढाई करोड़ लोग इस बिजली के मालिक हैं। जैसा ये कह रहे थे कि तरक्की का पहिया आगे बढ़ाया जाना चाहिए तो अब खेती और उद्योग दोनों तरक्की के पहियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां तक बिजली की दरें बढ़ाने की बात इन्होंने कही मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये फिर तथ्यों के विपरीत बात कह रहे थे क्योंकि अभी तक तो बिजली की दरों में किसी प्रकार का कोई भी इजाफा नहीं हुआ है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे में एक मोटी सी बात कहना चाहता हूं कि हर बार इस सदन में यह कहा जाता है कि पिछली सरकार ने बिजली के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। यह मैं मान लेता हूं कि छह वर्ष पहले हमारी सरकार रही,उससे पहले जितनी पैदावार रही वह ऑन रिकार्ड है कि 1560 मैगावाट की या कितनी की। आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार है या कांग्रेस पार्टी लैड बाई चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार है। उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें रहीं, उनका भी प्रयास करना बनता था। कैप्टन साहब तो पिछली चौधरी भजन लाल जी की सरकार में भी मंत्री थे फिर उस समय इनके मंत्री बनने का क्या फायदा था। मैं बताना चाहूंगा कि यमुनानगर थर्मल पॉवर प्लांट की नींव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखी थी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर, माननीय साथी पुन: दोनों बातें तथ्यों के विपरीत कह रहे हैं। यमुनानगर थर्मल पॉवर प्लांट के बारे में हम कागजात दिखा सकते हैं कि उसकी जमीन कांग्रेस की सरकार ने ऐक्वायर की थी, इन्होंने वह प्लांट छह साल तक बनने नहीं दिया। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो हमें खाली सपाट जमीन वहां पर मिली, पहले वह जमीन लिटिगेशन में चली गई थी। इन्होंने जानकर भी वहां प्लांट बनने नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार

में आते ही वहां का अनुबंध दिया और 27 महीने की रिकार्ड अवधि में वह प्लांट बनकर तैयार हुआ। हम कटिबद्ध हैं, कांग्रेस की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों को बिजली के मामले में स्वावलंबी बनाएंगे और साथ ही यह भी सुनिश्चित करके जाएंगे कि वर्षों पुरानी जो समस्या है उस समस्या का जो आज तक कोई हल नहीं निकाला गया वह पूरा हल निकालकर जाएंगे। (विघ्न) पानीपत के थर्मल पॉवर प्लांट की भी हमने आधारशिला रखी । कांग्रेस के शासन काल के अंदर उसकी आधारशिला रखी गई थी और उसकी यूनिट नंबर 1,2,3,4,5,6, व यूनिट नंबर-6 यह सब कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर बनी।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि से जुड़ा हुआ हूं और मैं एक बात मानता हूं और उसमें मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूसा बासमती राइस की 1121 किस्म के निर्यात पर जो प्रतिबंध था उसे हटवाया है। यह किसान से जुड़ा हुआ मामला है। हो सकता है कि उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के दबाव में आकर ऐसा कहा होगा। किसान की लड़ाई हम लड़ते हैं। सबसे ज्यादा धान पैदा करने वाले करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिले हैं वहां आज भी जो राइस मिलर्स हैं वह खरीद नहीं करते जिससे किसान को नुकसान होगा। उसकी फसल नहीं बिक पाएगी। पिछले कई दिनों से किसान इस बारे में परेशान है आप उनके बारे में फैसला कीजिए।

शिक्षामंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : उसके बारे में आजकल में फैसला हो जाएगा।

डॉ० सुशील इन्दौरा : यह सदन भी तो इस बात की चर्चा के लिए है ताकि किसान से जुड़ा हुआ गरीब आदमी दाने दाने के लिए मोहताज न हो।

श्री रमेश कुमार गुप्ता (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने आज भी राइस मिलर्ज बुलाए हुए हैं। उनकी मांगों पर विचार करने का मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है।

15.00 बजे **डॉ० सुशील इन्दौरा :** सर, मेरी सरकार से मांग है कि चावल की कोई नीति बनाई जाए। ऐसी नीति बनाई जाए जिससे न तो किसान का नुकसान हो और न ही व्यापारी नाराज हों और न ही राईस मिल्लर नाराज हों।

श्री कर्ण सिंह दलाल : इन्दौरा जी, आप इस बारे में कोई सुझाव दें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, अगर दलाल साहब ने मेरी राय पूछनी है तो ये मेरे घर पर आ जाएं।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब,आप डिमाण्ड से साईड ट्रैक हो रहे हैं। यह सदन आपका भी है जितना कि सरकार का सदन है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, लगता तो ऐसे ही था लेकिन आप कह रहे हैं तो आपका धन्यवाद।

Mr. Speaker : Dr. Sahib, you are also part and Parcel of the House. आप डिमाण्ड पर बोलें क्योंकि दूसरे मैम्बर्स ने भी बोलना है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। आज गरीब आदमी दाने-दाने के लिए मौहताज न हों इसलिए एक स्कीम बनाई गई थी कि below poverty line लोगों को अनाज दिया जाए। उसके लिए सर्वे किया गया। उसकी हालत क्या है *****

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : यह जो बात इन्दौरा साहब कह रहे हैं यह रिकार्ड न की जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब क्या इस बारे में जानते हैं कि रिटायर्ड फौजियों ने यह सर्वे किया था ? आप देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले लोगों पर इस प्रकार का इल्जाम लगा रहें हैं। क्या ये राजनीति को इस स्तर तक लेकर जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, बी०पी०एल० के बारे में सदन के नेता ने क्लैरिफाई कर दिया है। उसी बात को बार-बार उठाना क्या बात होगी।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सदन के नेता ने तो दबाव में आकर बी०पी०एल० के बारे में बताया है क्योंकि इसके लिए हम तीन दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। सदन के नेता कुछ करने वाले होते तो वह पहले ही दिन हाउस में इस बारे में स्टेटमैंट लेकर आते।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, समाज में हर आदमी अपने कार्यों और क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार है। किसने क्या किया इस बारे में आप उनकी डेट ऑफ एपायेंटमेंट देख लें कि वे कौन सी सरकार में भर्ती हुए थे और उनको भर्ती किसने किया था। उनकी भर्ती की डेट आप देख लेना।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। इन्दौरा साहब बी०पी०एल० की सूची के बारे में कह रहे हैं इस बारे में ये जांच करा लें और विधान सभा की एक कमेटी बना दी जाए और इन्दौरा साहब को उस कमेटी का सदस्य बना दिया जाए। उससे इनको पता चल जायेगा कि चौटाला साहब की सरकार के समय में बी०पी०एल० के गलत कार्ड मन माने तरीके से बनाये गये थे और हरियाणा के गरीब आदमियों के साथ खिलवाड़ किया था।

श्री अध्यक्ष : किसी वर्ग का, पार्टी का कोई एम०एल०ए० इस बारे में इन्फर्मेशन दे सकता है कि बी०पी०एल० के कार्ड गलत बने हैं या कोई आदमी इससे छूट गया है वह इस बारे में भी इन्फर्मेशन दे सकता है।

संसदीय सचिव (श्री दिलू राम) : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब की पार्टी का जब राज था उस समय एस०सी० और बी०सी० के बिल्कुल भी कार्ड नहीं बनने दिए। आज इन्हें खड़े होकर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यह इस बारे में जवाब दें क्योंकि इनके समय में एस०सी० और बी०सी० कार्ड के लिए मारे-मारे फिर रहे थे। ये अपने आप को एस०सी० कहते हैं इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने किसी एस०सी० का किसी बी०सी० का कोई कार्ड नहीं बनाया बल्कि तानाशाह की सरकार चलाई। ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और हम इनकी बातें सुने जा रहे हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, माननीय सदस्य उस समय कहां थे जब मैंने खुद सदन में एस०सी० के लिए आवाज उठाई।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे दलित भाईयों की चर्चा आदरणीय इन्दौरा जी और माननीय चौधरी दिलू राम जी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 12 लाख 85 हजार के करीब नए बी०पी०एल० लोग आइडैंटीफाई किए गए हैं। इन्दौरा जी उस समय बैठे नहीं थे जब मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में बताया था। आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 12 लाख 85 हजार में से 10 लाख के करीब लोग केवल अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों से हैं। यह इस सरकार की कमिटमैंट को दर्शाता है कि 12 लाख 85 हजार के करीब कुल बी०पी०एल० कार्ड होल्डर्स आइडैंटीफाई किए गए हैं, उनमें से 10 लाख

के करीब पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के हैं। इन्दौरा जी, माननीय साथी हैं परन्तु इनको मालूम होना चाहिए और जैसा कि दिलूराम जी कह रहे थे कि अगर सबसे ज्यादा कोई दलित विरोधी है तो वह इनका नेता है, जो हमेशा यहां से भाग जाते हैं और आते नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि दुलीना में गरीब हरिजन और बाल्मीकि बच्चों की हत्याएं किसने करवाई। हरसौला गांव में हमारे हरिजन बाल्मिकों को उजाड़ने का काम किसने किया। किसने अनेकों ऐसी वारदातें करवाई। इसलिए कम से कम इनको तो दलित वर्ग की दुहाई नहीं देनी चाहिए। हमारा तो यह प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब भाइयों को फायदा दिया जाए।

श्री बलवंत सिंह सढौरा, (अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी जो बार-बार सफाई दे रहे हैं कि हमने जो बी०पी०एल० कार्ड बनाए हैं वे सही हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि क्या जरूरत आन पड़ी कि उसकी डेट एक्सटैंड करनी पड़ी ! (शोर एवं व्यवधान) हमारे सम्मानित साथी दिलूराम जी जो यह बात बड़े जोर से कह रहे हैं कि शिडयुल्ड कास्ट्स के बी०पी०एल० के कार्ड हमने नहीं बनाए, आज वही शिडयूल्ड कास्ट सड़कों पर आए हैं। सदन के नेता को फ्लोर आफ दि हाउस कहना पड़ा कि हम इनको और टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं कमी रह गई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जब इस बारे में बयान दिया था उस समय आप यहां नहीं थे लेकिन आपके बाकी साथी यहां बैठे हुए थे।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कहीं कमी रह गई थी तभी इसकी डेट एक्सटैंड करनी पड़ी। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह कमी की बात नहीं है बल्कि यह सरकार की नीयत की बात है। कोई भी बड़ा काम होता है। उसमें कहीं कोई शिकायत मिलती है तो हमारा फर्ज बनता है कि उस शिकायत को हम दूर करें। सर्वे में आपकी भी कुछ जिम्मेवारी थी क्योंकि आपको लोगों ने चुनकर यहां भेजा है लेकिन जब सर्वे हो रहा था तो किसी भी एम०एल०ए० ने रूचि नहीं दिखाई। आप इस सर्वे में अपने को शामिल करते लेकिन एक भी आदमी ने यह बात नहीं उठाई। (शोर एवं व्यवधान) मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इनके समय में कितने बी०पी०एल० कार्ड धारक थे। गांवों में इनके समय में 6 लाख 38 हजार बी०पी०एल० कार्ड धारक थे और आज 8 लाख 58 हजार हैं, शहरों में इनके समय में दो लाख 34 हजार बी०पी०एल० कार्ड धारक थे और आज 4 लाख 38 हजार हैं। मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे कि पहले इतने कम बी०पी०एल० कार्ड धारक थे और अब इतने ज्यादा हो गए, इसका मतलब क्या गरीबी बढ़ गई। मैंने कहा कि गरीबी नहीं बढ़ी बल्कि पिछली जो सरकार थी वह गरीबों के खिलाफ थी । उन्होंने बहुत अन्याय किया कि जो बी०पी०एल० परिवार में आने चाहिएं थे उनको इससे वंचित रखा गया जबकि हमने उनको उनका हक दिया है।

श्री रामकुमार गौतम (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी की बात कोई मीनिंग नहीं रखती इसलिए इनकी कोई खास बात हो तो सुन लें और फिर मुझे एक दो बातें कहने का मौका दें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बी०पी०एल० के बारे में बात की और इन्होंने कहा कि हम दलित विरोधी हैं। मैं फ्लोर आफ दि हाउस कह रहा हूं, सरकार ने घोषणा भी की है कि अनुसूचित जाति के लोगों को 100-100 गज के प्लाट देंगे। 100-100 गज के प्लाट उन गरीब लोगों को अभी मिले नहीं हैं और एक और घोषणा कर दी गई है कि बी०सी०(ए) कैटेगरी वालों को भी प्लाट देंगे और यह कहकर एक और लड़ाई शुरू कर दी है। सरकार ने तो कोई न कोई लड़ाई शुरू करनी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इनकी इस बात से ही झलकता है कि ये गरीब विरोधी हैं। बी०सी०(ए) गरीब आदमी हैं, शिडयूल्ड कास्ट गरीब आदमी हैं। हमने शिडयूल्ड कास्ट के लोगों को प्लाट देने का फैसला लिया है। हम सबको 100-100 गज के प्लाट देने के लिए वचनबद्ध हैं। बी०सी०(ए) कैटेगरी को भी प्लाट देंगे, इसमें इनको क्या एतराज है। (शोर एवं व्यवधान) बी०सी०(ए) कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो लैंडलैस हैं। बी०सी०बी० में जो लोग आते हैं उनको नौकरियों में बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन दी जाती है। प्लाट्स केवल एस०सी० और बी०सी०(ए) कैटेगरी के लोगों को दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनको समाज के बारे में जानकारी ही नहीं है कि कौन गरीब है और कौन लैंडलैस आदमी है। इनके समय में बहुत से लोगों के नाम बी०पी०एल० की सूची में डालने से वंचित रह गये, यह रिकार्ड की बात है। अध्यक्ष महोदय, हमने जो बी०पी०एल० के लिए समय अवधि बढ़ाई है यह इसलिए बढ़ाई है कि मुझे शिकायत मिली थी कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं यह सरकार की जिम्मेवारी है कि उन कमियों को दूर किया जाये। जब मैं कुरुक्षेत्र गया वहां कुछ गांवों के लोग मुझे मिले थे जिन्होंने बताया कि बी०पी०एल० की सूची में कुछ ऐसे आदमियों के नाम डाल दिए गए जो नहीं डलने चाहिएं थे और कुछ ऐसे परिवार रह गये जिनके नाम बी०पी०एल० की सूची में डलने चाहिएं थे। यही कारण है कि हमने 30 दिसम्बर तक का समय शिकायत दायर करने का दिया है। अब जिन परिवारों का नाम बी०पी०एल० की सूची में आना चाहिए था उन्हीं का नाम आयेगा और जिन परिवारों का नाम इस सूची में नहीं आना चाहिए, उनका नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं फ्लोर ऑफ दी हाउस यह बात कह रहा हूं और सभी अधिकारी भी यह बात सुन लें कि बी०पी०एल० की सूची में जो भी अधिकारी गलत नाम डालेगा उसको बख्शा नहीं जायेगा। (इस समय मेजें थप-थपाई गई।)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि गलत नाम डालने वाले को बख्शा नहीं जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हरिजन भाईयों के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस समय एस०सी०ए० और एस०सी०-बी कैटेगरी का नौकरियों में अलग-अलग किया जा रहा था उस समय दिल्लु राम बाजीगर जी कहां गये थे। जबकि पहले काम सुचारू रूप से चल रहा था। मैंने उस समय आवाज उठाई थी कि इनका सामंजस्य बना हुआ है इसको आप अलग न करो। उस समय सरकार ने क्यों नहीं कहा कि हम हरिजनों के साथ न्याय करेंगे?

एक आवाज : अध्यक्ष महोदय, यह सब तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्ज के मुताबिक हुआ था।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, आप दलित वर्ग के भाईयों से पूछो कि बुढ़ापा पैंशन का सबसे ज्यादा फायदा किस को मिल रहा है। इस सरकार को बने हुए साढ़े तीन साल हो गये लेकिन इन्होंने एक पैसा भी बुढ़ापा पैंशन का नहीं बढ़ाया । बुढ़ापा पैंशन 100 रुपये प्रति महीने के हिसाब से स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने शुरू की थी। उसके बाद 200 रुपये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए और फिर 300 रुपये भी बुढ़ापा पैंशन के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ही किए थे। इस सरकार को बने हुए साढ़े तीन साल हो गये लेकिन इन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चुनाव से पहले एक भी किस्त 300 रुपये के हिसाब से बुढ़ापा पैंशन की नहीं दी। हमारी सरकार आने के बाद 300 रुपये के हिसाब से हमने बुढ़ापा पैंशन देनी शुरू की थी। इसका सारा रिकार्ड हमारे पास है। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने एक भी किस्त 300 रुपये की नहीं दी और ये आज बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि ये देना ही चाहते थे तो इनकी सरकार करीब छः साल तक रही थी ये पहले ही बढ़ा देते। इन्होंने बुढ़ापा पैंशन को पहले क्यों नहीं बढ़ाया? अध्यक्ष महोदय, इनको शर्म आनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आपको भी याद होगा कि सोनीपत में चौधरी देवी लाल जी की जयंती मनाई जा रही थी तो वहां यह कहा गया था कि हर साल चौधरी देवी लाल जी की जयंती पर 100 रुपये बुढ़ापा पैंशन के बढ़ाये जायेंगे। डाक्टर इंदौरा जी आपको यह बात याद है या नहीं ।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, आप तो चौधरी देवी लाल जी के भगत रहे हो।

श्री अध्यक्ष : ये अच्छे आदमी थे इसलिए हम उनके भगत रहे हैं। उसके बाद तो कुछ भी सौदा नहीं रहा। उसके बाद तो उसके नीरा मौलिया खान का माल पैदा हो गया।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार चौधरी देवी लाल जी के नाम से 100 रुपये बुढ़ापा पैंशन के बढ़ा दे, हम उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इनको शायद इस बात का ईल्म नहीं है कि ये आपको कह रहे हैं कि आप चौधरी देवी लाल के भगत रहे हो चौधरी देवी लाल और ओम प्रकाश चौटाला दोनों कांग्रेस पार्टी के भगत रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय ये कांग्रेस पार्टी के भगत थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा बनने के बाद भी वे कांग्रेस पार्टी के भगत थे। (शोर एवं व्यवधान)

संसदीय सचिव (राव दान सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि इंदौरा जी सदन के सामने कई बार विरोधाभासी स्टेटमैंट दे चुके हैं। एक तरफ तो ये अपने आपको किसान और गरीब हितैषी कहते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों के और गरीबों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल क्यों माफ किए। स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने 2800 करोड़ रुपये के किसानों के कर्ज माफ करके वाह-वाही लूटी तो ठीक और हम 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करें तो गलत हो गये। यदि बी०पी०एल०के सर्वे कि अवधि नहीं बढ़ाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि अवधि नहीं बढ़ाई और अब बी०पी०एल० के सर्वे की अवधि सही व्यक्ति को सही लाभ देने के लिए बढ़ा दी है तो भी ये शोर मचा रहे हैं कि अवधि क्यों बढ़ा दी गई। इसके अतिरिक्त यदि हम बी०सी०-ए कैटेगरी के परिवारों को प्लाट देना चाहते हैं तो कहते हैं कि उनको प्लाट क्यों दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी हालत तो उस आदमी की तरह है कि एक बार एक आदमी को जंगल में जाना था। उस आदमी का दोस्त उसको कहता है कि यदि तुझे जंगल में शेर मिल गया तो तू क्या करेगा। वह आदमी कहता है कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। उसका दोस्त कहता है कि यदि शेर भी पेड़ पर चढ़ गया तो फिर तू क्या करेगा ? उसके बाद यह आदमी कहता है कि मैं दौड़ लूंगा, उसका दोस्त उसके कहता है कि यदि शेर भी तेरे पीछे दौड़ा तो तू क्या करेगा ? उसके बाद वह आदमी कहता है कि मैं कूएं में बड़ जाऊंगा। उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि यदि शेर भी कूए में बड़ गया तो तू क्या करेगा ? वह आदमी अपने दोस्त को कहता है कि दोस्त पहले तू यह बता कि तू मेरी तरफ है या शेर की तरफ है। अध्यक्ष महोदय, ये लोग भी उस दोस्त की तरह डिसाईड करें कि ये गरीबों की तरफ हैं या नहीं है। ये सदन में जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उससे तो नहीं लगता कि ये गरीबों की तरफ हैं।

Mr. Speaker : Dr. Indora Please come to the point.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, कांग्रेस ने कृषि प्रधान प्रदेश के लोगों के कर्जे माफ किए जो कि टोटल 70 हज़ार करोड़ रुपये में हमारा भी हिस्सा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि केन्द्रीय पूल में सबसे ज्यादा अनाज हरियाणा और पंजाब द्वारा दिया जाता है। मेरी जानकारी के मुताबिक केन्द्रीय पूल में अकेले हरियाणा का हिस्सा 81 प्रतिशत होता है। इसके मुकाबले हमारा कर्जा बहुत कम माफ हुआ। एक तरफ तो हमारा किसान मेहनत करके केन्द्रीय पूल में सबसे ज्यादा अनाज दे रहा है और दूसरी तरफ केन्द्र सरकार द्वारा जब 70 हज़ार करोड़ रुपये का जो कर्जा माफ किया जाता है उस पर भी शर्तें लगाई जाती हैं। हमारे नेता चौधरी देवी लाल जी ने अपने समय में बिना किसी शर्त के 10-10 हज़ार रुपये के कर्जे माफ कर दिये थे। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, इनकी कोई किसी तरह की मर्यादा नहीं है। चौधरी देवी लाल ने तो यहां तक कह दिया था कि श्री ओम प्रकाश चौटाला तो मेरा लड़का ही नहीं है। उस समय हिन्दुस्तान की तमाम प्रेस में यह बात आई थी।

श्री राम कुमार गौतम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर सर, पॉलिटिकल आदमी की कई बार इतनी मजबूरी होती है कि बेचारे को एम०एल०ए०/एम०पी० बनने के लिए ये ही ख्याल नहीं रहता कि वह कहां जा रहा है। कई भाईयों की मजबूरी होती है। उनके लिए तो यह बहुत शर्म की बात है जिस तबके के मेरे ये भाई हैं उस तबके का बीज मारने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। जब मण्डल कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस समय सारे प्रदेश की बसों के डिपुओं को जला दिया गया था। तब उस व्यक्ति ने पूरे हरियाणा में आग लगवा दी थी। इतना ही नहीं मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू न हो इसलिए गुरनाम सिंह कमीशन बनाया गया था। (शोर एवं व्यवधान) वह आदमी एस०सी० की नौकरियों का बैकलॉग छोड़कर चला गया। एस०सी० और बी०सी० के कल्याण के लिए जो निगम था उसके लिए बजट में एक पैसा भी नहीं था। उसके समय में गरीब लोगों का जितना सामाजिक बहिष्कार किया गया, जितना उनका नुकसान किया गया, जितना उनकी नौकरियों में डिस्क्रिमिनेशन हुआ उतना किसी अन्य के समय में नहीं हुआ। अगर कोई असली आदमी होता तो वह उसकी पार्टी की तरफ देखता भी नहीं। एक बार ओमप्रकाश चौटाला मुझे कहने लगा कि दादा एक बार आशीर्वाद दे दे। मैंने सारे हरियाणा में नजर दौड़ा कर देख ली पर ब्राह्मणों का आप जैसा नेता मुझे नजर नहीं आता। जिस समय जीन्द में सम्मेलन था उस समय कहने लगे कि आप एक बार घोषणा कर दो हम आपको बहुत सम्मान देंगे। मैंने उनको कहा कि अरे भले आदमी तेरी पार्टी ज्वाइन करने से पहले भगवान हमें उठा ले। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : आप दोबारा जीत कर नहीं आ सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, डॉ० सीता राम जी को तो धुपचाय बैठ जाना चाहिए। He was the father of corruption. यह आदमी जो यह टारगेट करते थे कि फलां जगह फलां आदमी ने मकान बनाया है। वे कहते थे कि पंडितों का भी मझा पंडित और सबसे बड़ा पंडित तो मैं हूँ, मुझे जिमाओ। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा लुटेरा था वह और उसकी फेवर में ये इनैलो के भाई बोलते हैं। छाज तो बोलै छालनी भी के बोलै। ये हर बार इंटरप्शन करते हैं। कोई भला काम करो तो उसमें भी इंटरप्शन-और फिर इनका नेता भी ऐसा है कि एक भी आदमी आज उसके फेवर का नहीं है। एक भी आदमी उनको नेता नहीं मानता। वे जाति-पाति का नाच नचाते थे, लूटपाट करते थे। उसका काम

भोलेभाले लोगों को बहकाना था। आज उसका खेल खत्म हो चुका है। जब से भूपेन्द्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने हैं उसका तो बीज नष्ट हो गया है। जाट तो आधे से ज्यादा इनकी तरफ चले गये अब वो किसकी वोट लेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : आप ही लोगों को बहलाकर जीतते आये हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्यूनिटी डिवैल्पमैंट की डिमांड पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० इन्दौरा, आप डिमांड पर बोलिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 17 पर बोल रहा हूं। इस कृषि प्रधान प्रदेश की खुशहाली के लिए सरकार कार्य कर सके तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा और लोग ज्यादा काम कर सकेंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि डेंगू कि तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। न ही तो फौगिंग करवाई और न ही सलाइडिंग बनवाई गई ताकि वे केस डिटैक्ट हो जाये। टोहाना में इतने सारे लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और फिर भी कहते हैं कि हरियाणा नम्बर वन है। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने हरियाणा सरकार का कलैंडर देखा है उसमें तीन फोटो ऊपर और तीन फोटो नीचे हैं। उस कलैंडर में जो फोटो होती हैं वे सरकार की प्लान की झलक दिखलाती हैं कि हम यह काम करेंगे। उसमें थर्मल पॉवर प्लांट की फोटो है, नहर की फोटो है और रोड की फोटो है जो इस बात का द्योतक हैं कि सरकार की मंशा हरियाणा प्रदेश की नहर बनाकर पूरा पानी दें तथा थर्मल पॉवर प्लांट लगा कर पर्याप्त मात्रा में बिजली दें। सरकार की मन्शा यह होती है कि जो सड़कें नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज की हैं उनको हम अच्छा करें लेकिन आज सरकार क्या कर रही है। स्पीकर सर, प्रदेश में कहीं भी जा कर देखें नहरों की हालत क्या है। नहरों में पानी नहीं है। नहरों में जो पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए वह नहीं है। एस०वाई०एल० का पानी तो ये लोग लाने वाले नहीं है और ये लोग कहते हैं कि हम समान पानी का बंटवारा करेंगे। स्पीकर सर, ये और पानी लाएं फिर समान बंटवारा करें इससे प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। चाहे सरकार नये-नये पावर प्लांट लगाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, थर्मल पावर प्लांट लगाएं, हमें ऐतराज नहीं है। प्रदेश के लोगों को बिजली चाहिए, कहीं से ला कर दीजिए। बिजली चाहे पैदा कर के दो या मांग कर दो, या खरीद कर दो लोगों को तो बिजली चाहिए। इसमें कोई ऐतराज नहीं है सरकार से लोग बिजली चाहते हैं। (विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब से केवल एक बात पूछ लीजिए कि हांसी-बुटाना के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। पीछे सैशन में इनके नेता से पूछा था तो उन्होंने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया था और ये दौड़ गए थे। इन्दौरा साहब यह बताएं कि क्या ये हांसी-बुटाना नहर के हक में हैं या उसके खिलाफ हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये इस मामले को घुमाएं नहीं सीधे 'हां' या 'ना' में जवाब दें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनके नेता तो इस मामले पर दौड़ गये थे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। ये स्वयं बता दें कि इसके हक में हैं या इसके खिलाफ हैं (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनकी पोल यहां पर खुल जाएंगी, ये 'हां' या 'ना' में जवाब दें। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा है कि हम 'हां' या 'ना' में बताएं। (विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। हमारे माननीय सम्मानित साथी काफी देर से बोल रहे हैं और हाउस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इनकी बातों को सुना। अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब हमारे सम्मानित साथी विधायक हैं और विधान सभा के सदस्य हैं। मैं इनसे एक ही बात जानना चाहता हूं कि जब चौधरी बंसी लाल जी ने एस०वाई०एल० नहर बनाई थी तो क्या चौधरी देवी लाल जी ने उसका विरोध किया था या नहीं किया था। आज हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी हांसी-बुटाना नहर बनाने जा रहे हैं जबकि इन्दौरा साहब हाउस को गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनसे यह बात पूछ ली जाए कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह जी ने जो हांसी बुटाना नहर बनाई है ये उसका विरोध करते हैं या उसका समर्थन करते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। इन पगड़ी बदल भाई ओम प्रकाश चौटाला और प्रकाश सिंह बादल जी ने एस०वाई०एल० नहर नहीं चलने दी। चौधरी देवी लाल और ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया। (शोर एवं व्यवधान) इन लोगों ने आज तक एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा प्रदेश में नहीं आने दिया। पगड़ी बदल भाई ओम प्रकाश चौटाला ने प्रकाश सिंह बादल के लिए हरियाणा के अन्दर पानी नहीं आने दिया। (विघ्न)

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई डा० सीता राम जी को शायद यह पता नहीं है कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने कस्सी का पहला टाक मारा था वह कपूरी में मारा था जो कि पंजाब में है। इनकी पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया था। (विघ्न एवं शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ तीन ऐतिहासिक तथ्य हैं। डा० सीता राम जी की उम्र कम है शायद इनको मालूम नहीं होगा। जैसे मुलाना साहब ने कहा है कि नहर की खुदाई पंजाब में शुरू हुई थी जब श्रीमती इन्दिरा गांधी अवार्ड आया था। जिसकी वजह से एस०वाई०एल० का पानी जो पहली बार हरियाणा के हिस्से का दिया गया था वह भी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में दिया गया था। इन्दिरा गांधी द्वारा दिये गये अवार्ड को चैलेंज करने वाले चौधरी देवी लाल की सरकार थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अन्दर मुकदमा किया, दोबारा फिर ट्राईपरटाईट समझौता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के शासनकाल में हुआ था और तीनों प्रान्तों के मुख्य मन्त्रियों के उस पर दस्तखत हुए थे, वह कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में हुए ही थे। फिर राजीव-लौंगोवाल समझौता कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में श्री राजीव गांधी ने किया था। उस समय इराडी कमीशन का गठन हुआ था। जब वह कमीशन हरियाणा में आया था जिसके लिए हरियाणा की कांग्रेस की सरकार ने लड़ाई लड़ी थी तो इन्होंने इराडी ट्रिब्यूनल को साईमन कमीशन की संज्ञा दी थी। राजीव लौंगोवाल एकार्ड रिजैक्ट किया था और उसके खिलाफ काले झण्डे चौटाला जी ने लगाए थे। मगर आप उस समय राजनीति में नहीं थे तो यह हमारा कसूर नहीं है। अच्छा है आप अभी भी पाला बदल दें।

श्री नरेश कुमार प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय इन्दौरा जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप हक में है कि नहीं है। इसका तो जवाब आपके नेता ने भी नहीं दिया है आप भी नहीं देंगे। लेकिन जो सुप्रीमकोर्ट में बादल ने याचिका डाली हुई है कि हरियाणा की सीमा में से रास्ता निकालकर पानी ले जाना चाहते हैं। अगर आपकी पार्टी हरियाणा के पानी के हक में हैं और किसी भी इलाके में पानी पहुंचाना चाहते हैं तो आपके नेता एक स्टेटमैंट जारी करें कि बादल ने यह याचिका गलत डाली हुई है। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : एस०वाई०एल० और हांसी बुटाना के समान बंटवारे के बारे में सदन में चर्चा आई कि हम इसके हक में हैं कि नहीं हैं। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, सदन में एक ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। इन्दौरा जी ने इस विषय को छूकर सदन में बात की है। मैं आपके माध्यम से इन्दौरा जी से और सदन के सभी माननीय साथियों से और विशेषकर आपसे और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पानी के बंटवारे पर जितने भी अब तक फैसले हुए हैं चाहे वह राजीव लौंगोवाल एकार्ड था, चाहे वह इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट थी चाहे उससे पहले जो भी अवार्ड था और इन्दौरा जी और इनके साथी, ओम प्रकाश चौटाला जी जो आज सदन में नहीं हैं और हरियाणा के लोगों को इस पानी के बंटवारे पर गुमराह करते आ रहे हैं, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने अभी कहा है, वह शत् प्रतिशत सही है। एस०वाई०एल० के निर्माण और उस पानी को हरियाणा में लाने का सबसे ज्यादा विरोध जो किया है वह स्वर्गीय श्री देवी लाल जी ने और ओम प्रकाश चौटाला जी ने, उनके विधायक साथियों ने और उनके कार्यकर्त्ताओं ने किया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जिस राजीव लौंगोवाल एकार्ड का इन्होंने विरोध किया, न्याय युद्ध चलाया, झूठे आश्वासनों पर हरियाणा में सरकार बनाई उसी एकार्ड को इन्होंने और ओम प्रकाश चौटाला जी ने उस विषय के बारे में सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की। अध्यक्ष महोदय, इस हरियाणा के लोगों को जेलों में सड़ाकर के उनका जीवन बर्बाद करके तब तो ये पानी रोकने की बात करते थे और फिर उसी एकार्ड को इन लोगों ने अपनी सरकार के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से डाला और कहा कि यह एकार्ड सही है। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए और इनकी रिपोर्ट बनाकर इस सदन की मार्फत हरियाणा के तमाम लोगों को बतानी चाहिए कि ये लोग कौन हैं जो राजनीति के माध्यम से हरियाणा के लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दलाल साहब की एक बात करैक्ट करना चाहता हूं कि जब राजीव लौंगोवाल एकार्ड आया था उसके बाद सरकार बदल गई थी। पांच साल इनकी हरियाणा में सरकार रही, इनके नेता मुख्यमंत्री रहे, इनके नेता के पिता उप-प्रधानमंत्री रहे, दिल्ली में इनकी सरकार थी और पंजाब में इनका लगाया हुआ गवर्नर था । इन्होंने उसकी एक्वीजिशन के लिए, उसको लागू करने के लिए मुकद्दमा तक दायर नहीं किया। दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने उसको लागू करवाने के लिए मुकद्दमा दायर किया और उस मुकद्दमें का फैसला हरियाणा के हित में हुआ। इन्होंने वह मुकद्दमा इसलिए नहीं किया था कि कहीं बादल साहब का नुकसान न हो जाए। ये तो इस प्रकार के हरियाणा के हितैषी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री एस०एस० सुरजेवाला : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं काफी समय से इस चर्चा को सुन रहा हूं लेकिन एक हिस्टोरिकल बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं जिसके बारे में अभी तक शायद चर्चा नहीं हुई है। रिकार्ड में भी नहीं आई है। मैं यह बताना चाहता था कि इन्दिरा गांधी जी के वक्त में 1965-66 में पंजाब और हरियाणा के पानी के बंटवारे का जो एक्ट था उसमें यह प्रोवाईडीड था कि गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया पानी एलोकेट करेगी। इसलिए उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 3.5 एम०ए०एफ० पानी का शेयर हरियाणा और पंजाब को दिया, उसको इन्दिरा अवार्ड कहते हैं। 1977 में जब चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त मैं भी कांग्रेस पार्टी का हाउस का मैम्बर था। उन्होंने एक कार्ड छपवाया था। वह कार्ड अभी भी मेरे पास कहीं रिकार्ड में होगा। वह कार्ड हरियाणा सरकार की तरफ से वैसे ही छपा था जैसा आज आपने डिनर का छपवाया है। उस कार्ड में यह कहा गया था कि फलां तारीख को चौधरी देवीलाल उस फंक्शन को प्रिजाइड करेंगे और प्रकाश सिंह

[श्री एस०एस०सुरजेवाला]

बादल उसका उद्घाटन करेंगे और नहर की खुदाई का काम वे पंजाब में शुरू करेंगे। आप सारे आमंत्रित हैं। अध्यक्ष महोदय, उसकी जो तारीख थी उससे पहले ही उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के दबाव में वह प्रोग्राम कैंसिल कर दिया इसलिए फिर कभी दोबारा से नहर का उदघाटन या उसकी खुदाई को शुरू करने का सवाल ही नहीं था। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी अवार्ड में यह था कि इस तरह से पंजाब सरकार नहर बनवाएगी। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 1981 में मैं फिर मौजूद था उस वक्त इंदिरा जी प्रधान मंत्री थीं तो उनकी इंटरवैंशन से दोबारा से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों स्टेट्स के बीच में एक ऐग्रीमैंट था। उस दौरान एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पंजाब ने भी और राजस्थान ने भी किया हुआ था। उस समय चीफ मिनिस्टर्ज की मौजूदगी में यह फैसला हुआ कि वह मुकदमा तो वापस कर लेंगे और पानी दोबारा एलोकेट कर देंगे। पंजाब को पानी 3.5 एम०ए०एफ० के बजाए 4.5 एम०ए०एफ ऐलोकेट कर दिया। उस समय एक शर्त यह भी थी कि एक साल के अंदर पंजाब अपने यहां पर नहर खुदवाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के उस समझौते पर दस्तखत थे लेकिन पंजाब ने वह बात कभी नहीं मानी। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 1982 में हरियाणा में जब इलैक्शन के बाद सरकार बनी तो उस वक्त इंदिरा जी ने कपूरी में अम्बाला बोर्डर के पास इस नहर की खुदाई का एक फंक्शन रखवाया था। मैं भी वहां पर मौजूदा था और हो सकता है कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और बिरेन्द्र सिंह जी भी वहां मौजूद हों। वहां पर उन्होंने बटन दबाकर क्रैन चलाकर नहर की खुदाई शुरू की। 1984 में जब इंदिरा जी का स्वर्गवास हो गया तो फिर राजीव जी ने जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, एक एकोर्ड किया जिसको हम सभी राजीव लौंगोवाल एकोर्ड के नाम से जानते हैं। 1982 के बाद इस नहर की खुदाई शुरू की गयी । उस समय इस बारे में कोई झगड़ा नहीं था, कोई रूकावट नहीं थी। राजीव लौंगोवाल एकोर्ड के तहत पानी फिर दोबारा से एलोकेट हुआ। उस समय इराडी ट्रिब्यूनल बनाया गया। उसमें तीन जज थे। मैं उस समय इरीगेशन मिनिस्टर था। हमने उनको गुड़गांव में जहां पर एक बहुत बड़े हाल में बड़े-बड़े माडल हरियाणा की नहरों के बने हुए थे उनको वे दिखाए । उसके बाद हम उनको मेवात में ले गए, महेन्द्रगढ़ में ले गए, रिवाड़ी में ले गए यानी हम उनको उस सारे इलाकों में ले गए जहां-जहां पर नहर की खुदाई हुई थी। उन्होंने वह सारी जगह देख ली थीं वहां नहर खुदी हुई तो थी, लिफ्ट पम्प लगे हुए तो थे लेकिन उसमें पानी नहीं था। फिर हमने उनको हिसार होते दूसरा एरिया दिखाया और अगले दिन अम्बाला में पंजाब बोर्डर तक ले गए और उनको सारी चीजें दिखायीं। हमने उनको बताया कि हमारे इलाके में तो 90 किलोमीटर नहर बनी हुई है लेकिन पंजाब में जो नहर बननी है उसकी उन्होंने खुदाई नहीं करवायी है। अध्यक्ष महोदय, उसके 9 महीने, दस महीने बाद इस केस की सुनवाई की गयी। मैंने उस केस में पैरवी की और हम वह केस जीते । उस समय अकाली दो बातें कहते थे कि पंजाब के दरियाओं के पानी में हरियाणा का कोई हिस्सा नहीं है और दूसरी बात अकाली यह भी कहते थे कि इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाया जाए। राजीव जी ने उनकी दोनों बातें मानते हुए एक कमीशन का गठन किया और उस कमीशन में यही दो तीन इशूज रखे गए। उस कमीशन ने फैसला किया कि पंजाब के दरियाओं के पानी में हरियाणा का हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा को 3.83 एम०ए०एफ० पानी मिलेगा और पंजाब को और बढ़ाकर पानी मिलेगा। उस समय यह भी हुआ कि एक साल में पंजाब नहर बनवाएगा। अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि 1982 से 1987 के बीच में यहां कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मैं उस नहर पर नहीं जाता था। जिस दिन आपरेशन ब्लयू स्टार था, पूरे पंजाब में कर्फ्यू था उस दिन भी मैं उस नहर के ऊपर था और उस समय आर्मी मेरे साथ गयी थी। उस समय हमने उस नहर का 85

परसैंट काम पूरा करवा दिया था। केवल दो चीजें बाकी रह गई थी एक तो राजपुरा के पास आउटफाल बनना था और एक सिरसा में ऐक्वाडैक्ट बनना बाकी थी। जब वर्ष 1987 में कांग्रेस की सरकार चली गई तब मुकदमा भी जीत लिया गया और नहर भी तब तक 85 प्रतिशत बन गई। उसके बाद इन्होंने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में नहर की एक ईंट भी नहीं रखी । बजाय इसके अकाली शेट करते थे और नहर को मिट्टी से भरते थे। ये साथी हमेशा उसके समर्थक रहे। अभी भी जब सैशन में आते हैं तो प्रकाश सिंह बादल के रैस्ट हाउस में रहते हैं उन्हीं के मेहमान रहते हैं। हालांकि इनकी अपनी कोठियां हैं और सरकार ने फ्लैट भी दिये हुए हैं। इनकी पार्टी कभी अकाली दल से बाहर नहीं जा सकती। इन्होंने हमेशा हरियाणा के हित कुर्बान किए, वोटों की राजनीति की । पंजाब विधान सभा ने कानून निरस्त कर दिया था उसके बावजूद भी ओम प्रकाश औटाला जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था लेकिन ये कतई तौर पर नहीं गए। जब कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आई तो उसके लिए ऐजीटेशन किया, सब कुछ किया। मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रपति महोदय से मिलकर कार्यवाही की और अब केस सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है। आज तक पानी की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है।

सिंचाई मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सुरजेवाला साहब ने इस बारे में सारा कुछ बता दिया है। मैं सिर्फ एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं कि यह काम 1990 में बंद हुआ, जब 90-95 परसैंट काम पूरा हो गया था। उस वक्त लोकदल की सरकार थी। उस वक्त इन लोगों के इशारे पर काम बंद हुआ। उसके बाद हमने कांग्रेस राज के दौरान इस बारे में सूट फाइल किया।

डॉ० सीता राम : आप यमुना ऐकोर्ड के समय चौधरी भजन लाल जी की कैबिनेट में मंत्री थे, आप भी दोषी हैं। आप तो मंत्री बनने के लायक भी नहीं थे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : कैबिनेट के फैसले ऐसे नहीं होते मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह : जो एस०वाई०एल० का मुद्दा है वह हरियाणा प्रदेश के हर आदमी से जुड़ा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Sahib, you have started to speak on demands at 2.41 PM and now it is 3.45 PM. You have spoken for one hour and four minutes.

डॉ० सीता राम : जो कैबिनेट का फैसला है वह कलैक्टिव फैसला होता है। कल को तो आप हुड्डा साहब के बारे में भी कह देंगे कि मेरे से गलती हो गई कि मैं उनके साथ था। उस समय आपको नजर नहीं आया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से वाद विवाद चलना ठीक नहीं है। हम एक दूसरे का परस्पर सम्मान नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, डॉ० सीता राम कह रहे हैं कि मैं भजन लाल की कैबिनेट में मंत्री था। उस मुद्दे पर आपने एक सब-कमेटी बना रखी है जिसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं। ये साथी उस मीटिंग में आकर बोलते नहीं है और यहां आकर ये मुद्दे उठाते हैं। उस समय कैबिनेट ने हमारे सामने वह बातें रखी ही नहीं। वह तथ्य उस समय भजन लाल जी ने हमारे समक्ष नहीं रखे थे।

डॉ० सीता राम : उससे बाद भी आप उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे, तब आपने इसका विरोध नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : जब उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस वक्त आप इस मुद्दे पर बोलना। (शोर एवं व्यवधान) डाक्टर इन्दौरा साहब, आपने दो बजकर 41 मिनट पर बोलना शुरू किया था और अब तीन बजकर 46 मिनट हो गये हैं आपको बोलते हुए एक घण्टा 5 मिनट हो गये हैं। आप बोलिए।

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, काफी देर से चर्चा चल रही है। ये दोनों अहम मुद्दे हैं और हरियाणा के हित के मुद्दे हैं। चाहे वह एस०वाई०एल० का मुद्दा हो चाहे यमुना के पानी का मामला हो ये दोनों एक किस्म से हरियाणा की जीवन रेखा हैं। यह बात मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कह रहा हूं कि एस०वाई०एल० बनने में जो विलम्ब हुआ उसके लिए पूर्ण रूप से जो हमारे सामने भाई बैठे हैं विपक्ष के, वे जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ वह हरियाणा के हक में हुआ था जिसकी चौधरी शमशेर सुरजेवाला जी ने चर्चा की उसका आधार इन्दिरा एवार्ड और राजीव-लौंगोवाल समझौता है। राजीव-लौंगोवाल समझौते का विरोध किसने किया ? मैं यह बात इसलिए नहीं कहता कि चौधरी देवीलाल ने चाहे मेरे खिलाफ तीन बार चुनाव लड़ा लेकिन यह तथ्य है कि राजीव-लौंगोवाल समझौते का विरोध चौधरी देवीलाल जी ने किया। उन्होंने चण्डीगढ़ में लोगों को ट्रैक्टरों द्वारा इकट्ठा किया और लोगों के सिर फुड़वाये। लोगों को गोली से मरवाया अगर उस समय राजीव-लौंगोवाल समझौते का विरोध नहीं किया होता तो एस०वाई०एल० नहर कभी की बन जाती और हमारे हिस्से का पानी हमें मिल जाता। दूसरी बात यमुना के पानी की है। जहां तक हरियाणा के हक का सवाल है, हरियाणा सरकार ने अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और सुप्रीमकोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया और उस केस की अरली हियरिंग के लिए हमने एप्लीकेशन दे रखी है, रैफरेंश दे रखा है, उस समय हम विपक्ष में थे जब यह फैसला हुआ। चौधरी सुरजेवाला जी हमारे साथ नहीं थे लेकिन हमने कई बार आग्रह किया इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जायें लेकिन उस समय की सरकार ने इस बारे में कोई रूचि नहीं ली। इसी प्रकार से यमुना एकार्ड की बात है। यह ठीक है कि उस समय कांग्रेस सरकार थी। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है और वह कमेटी इस बारे में इंक्वायरी कर रही है। जहां तक मुझे तथ्य मालूम हैं। इस समझौते में हरियाणा के हिस्से का पानी घटा है। उसके लिए भी उसके बाद और भी मुख्यमंत्री रहे हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला छः साल तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की हरियाणा के साथ क्या अहित हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेवार है। इसलिए उनकी भी जिम्मेवारी है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही यह बात उठाई थी कि हरियाणा के साथ अहित हुआ है। उसके लिए एक कमेटी गठित की गई और अध्यक्ष महोदय उस कमेटी के चेयरमैन हैं मगर उस कमेटी की मीटिंग में विपक्ष के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है दिल में कमजोरी है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी ने तो उसका विरोध किया हुआ है।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय सदस्या के पति की डैथ हो गई थी इसलिए वे उस मीटिंग में नहीं आ सकी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० के बनने में विलम्ब होना और यमुना समझौते के खिलाफ बात उठाने के लिए इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी श्री ओमप्रकाश चौटाला की है।

(विघ्न)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस पार्टी की नीयत सही होती तो एस०वाई०एल० नहर कभी की बन सकती थी । उस समय कोई विवाद ही नहीं था इन्होंने नहर को टेल एण्ड से बनाना शुरू किया था। *****

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इनको यह मालूम ही नहीं है कि एस०वाई०एल० की खुदाई के लिए यह कहा गया था कि हरियाणा अपने हिस्से की और पंजाब अपने हिस्से की खुदाई करेगा। राजीव गांधी जी ने उसको नेशनल प्रोजैक्ट डिक्लेयर किया था और उसके लिए 700 करोड़ रुपये कांग्रेस को दिए थे।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगेराम गुप्ता) : अध्यक्ष जी, हमारी सरकार से पहले हरियाणा में चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार थी और पंजाब में पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार सरदार अमरेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो हरियाणा का दावा एस०वाई०एल० के बारे में था वह फैसला हरियाणा के हक में हुआ था। उसके बाद पंजाब विधान सभा में एक रेजोलूशन लाया गया और उस रेजोलूशन को सर्वसम्मति से पास किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो लेकिन पंजाब जो है वह एस०वाई०एल० के पानी की एक बूंद भी हरियाणा को नहीं देगा। उसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं था क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अकाली दल तथा सभी पार्टियों ने उस रेजोलूशन को सर्वसम्मति से पास किया था। उस समय हमारी हरियाणा की विधानसभा का भी सैशन चल रहा था। अध्यक्ष महोदय, आप भी उस समय मौजूद थे, हुड्डा साहब भी मौजूद थे, हम भी उस समय विधायक थे। इनमें से भी विपक्ष के हमारे एक-दो साथी उस समय मौजूद थे। ओम प्रकाश चौटाला जी ने हाउस में उसके खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके सामने एक बात रखी थी कि 30 सालों से एस०वाई०एल० के पानी के लिए बहुत राजनीति हो चुकी है। लेकिन हम किसी मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। हमें पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि पानी पंजाब से आना है और पंजाब एक बूंद भी पानी नहीं दे रहा। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में ही जाने का रास्ता बचा है जो सबसे सीनियर कोर्ट है। अध्यक्ष महोदय, हमने उनको यह भी कहा था कि इस तरह के निन्दा के प्रस्ताव कितने ही पास कर लें उनका पंजाब सरकार पर कोई असर नहीं होगा। अगर सही मायनों में हम हरियाणा के हित में हैं और हम त्याग और कुर्बानी देना चाहते हैं तो हम सभी कांग्रेसी विधायकों को, रूलिंग पार्टी के विधायकों को, मैम्बर पार्लियामैंट चाहे राज्यसभा के हों या लोक सभा के हों, सबको इस्तीफा लेकर देश के प्रधानमंत्री के सामने, देश के राष्ट्रपति के सामने जाकर कहना चाहिए कि हरियाणा की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। हम हरियाणा की जनता के चुने हुए मैम्बर पार्लियामैंट और विधायक हैं, अगर केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं करवा सकती तो हम हरियाणा में किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सीताराम जी आप भी उस समय थे, बलवंत सिंह जी आप भी थे, क्या आपके मुख्यमंत्री ने यह बात स्वीकार की। क्यों नहीं इस्तीफा देने के लिए तैयार हुए ? अगर आप सही मायनों में हरियाणा के हितैषी थे तो क्यों इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हुए। (शोर एवं व्यवधान) आप बैक आउट कर गए। आप इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हुए। आप सूखी राजनीति करते हैं। सिवाय राजनीति करने के कोई मकसद हरियाणा के हित का आपके पास नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आप आंसू बहाने की बात करते हैं लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : डा०, इन्दौरा जी, आप कंटीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान) आपके डिप्टी लीडर अभी बोलने के लिए खड़े हैं इसलिए आप सभी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो प्रैजीडैंशियल रैफरैंस है वह भी यूपीए की गवर्नमैंट ने किया है। हमने ओम प्रकाश चौटाला के समय में उनसे रिक्वैस्ट की कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब हमने इस्तीफा देने की बात की और सोनिया गांधी के कहने पर प्रैजीडैंशियल रैफरैंस दिया जिसकी हियरिंग 5-3-08 को थी और अगली हियरिंग 3 अप्रैल 2008 को थी। इस केस को हम परश्यू कर रहे हैं। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल स्लोगन की ये बात करते हैं और लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० कैनाल का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि 'बीति को बिसारी दे, आगे की सुधि ले' यानि पीछे जो बीत गया, क्या हुआ क्या नहीं उसको छोड़ो और आगे की बात देखो। (शोर एवं व्यवधान) इस देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और मैं समझता हूं कि अगर सोनिया गांधी जी चाहें तो एस०वाई०एल० का पानी हमारे यहां आ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं बल्कि यह हकीकत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये हरियाणा के लोगों से पहले माफी मांगें क्योंकि इन्होंने हरियाणा के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ये एस०वाई०एल० कैनाल के लिए कोई भी कदम उठाएं, ये हमसे कोई भी सहयोग चाहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी ने दो बातें उठाई। पहली तो यह कि जब प्रैजीडैंशियल रैफरैंस आया तो इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं गए, हम भी यहां बैठे थे। ये इनकी गलती है और इस गलती को इनको मानना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) बादल की कोठी में आपके नेता रहते हैं तो क्या फैसला और कहां आवाज़ आप उठाएंगे। जो 9 सैक्टर में बादल की कोठी ले रखी है पहले आप उसका त्याग करो। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपके नेता को हरियाणा निवास देता हूं, वे वहां रहें। अरे जो आदमी यह कह रहा हो कि मैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं जाने दूंगा उसके घर में आपका नेता रहता है और आप हरियाणा के हितों की बात करते हो। (शोर एवं व्यवधान) इंदौरा जी आप अपनी स्पीच कंटीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये यह कह रहे हैं कि बादल का घर यू०टी० में है वहां इनके नेता रह सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बात और है कि जिस आदमी को ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा विधान सभा से राज्य सभा का मैंबर बनाया था वह आदमी आज बादल साहब की मीटिंग में बैठकर हरियाणा की हर बात का विरोध करता है। जिसका नाम सरदार तिरलोचन सिंह है। ये लोग इस प्रकार के काम करते हैं इससे हमारे प्रदेश का क्या भला होगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इंदौरा जी, आप दौषिक पर आयें। आप डिमांड संख्या 17 पर बोल रहे थे। आप अपनी स्पीच कन्टीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान) आपने 2 बजकर 41 मिनट पर बोलना शुरू किया था और अब 3 बजकर 58 मिनट हो गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक घंटे से तो प्वायंट ऑफ आर्डर पर ही उलझा हुआ हूं ये प्वायंट ऑफ आर्डर क्या हैं, मेरी समझ से तो बाहर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि प्रकाश सिंह बादल हमारी नहर नहीं बनने दे रहा। हम प्रोटैस्ट के लिए पंजाब में जायेंगे क्या इनके नेता नहर बनवाने के लिए हमारे साथ जायेंगे ?

श्री बलबंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र के लॉ मिनिस्टर हंसराज भारद्वाज ने अखबारों में ब्यान दिया था कि हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० के पानी की बात चल रही है और ये दूसरी तरफ डिस्कशन को ले जा रहे हैं। ये हमारी किसी बात का तो जवाब दे दें। माननीय सदस्य ने इनसे एक प्रश्न किया है उसका तो ये जवाब दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सढौरा जी, आप पानी पर बोलें क्यों बिना बात से कोर्ट कचहरियों में पड़ रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) इंदौरा जी, आप डिमांड संख्या 17 पर बोलें।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी आज इस दुनियां में नहीं हैं। वे लम्बे समय तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और विधान सभा के सदस्य भी रहे। यह ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस की बात है कि उन्होंने इस सदन में माना था कि एस०वाई०एल० का सबसे ज्यादा काम चौधरी देवी लाल जी के टाईम में हुआ । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ये रिकार्ड निकालकर देख लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है जिससे इनकी बात का दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। यह बात पहले भी कई बार यहां हो चुकी है। यह रिकार्ड की बात है कि एस०वाई०एल० का 85 प्रतिशत कार्य कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ है न कि चौधरी देवी लाल जी के कार्यकाल में हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनकी तो झूठ की दुकान है जो कई बार इन्होंने चला ली लेकिन अब इनकी झूठ नहीं चलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सढौरा जी, आप यह बतायें कि आपके कौन से कार्यकाल में कितना-कितना काम एस०वाई०एल० का हुआ था ?

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप चौधरी बंसी लाल जी के समय की विधान सभा की कार्यवाही निकलवाकर देख लें, उसमें सबकुछ पता चल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सढौरा जी, 1987 में चीफ इंजीनीयर मिस्टर शिकरी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद एस०वाई०एल० का काम ठप हो गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन बातें कहना चाहता हूं उनका जवाब ये अपने नेता और अपनी पार्टी के दूसरे सदस्यों से भी सलाह मश्विरा करके दे दें। अध्यक्ष महोदय, क्या चौधरी देवी लाल जी और चौटाला जी ने इंदिरा गांधी के समय में जो ट्राईपरटाईट समझौता हुआ था उसका विरोध नहीं किया ? उसके बाद क्या इन्होंने राजीव-लौंगोवाल समझौते का विरोध नहीं किया ? क्या इन्होंने इंराडी ट्रीब्यूनल का विरोध नहीं किया ? ये लोग हांसी बुटाना लिंक नहर के पक्षधर हैं या नहीं

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

हैं क्या एस०वाई०एल० के मुद्दे को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाईल करने से इनकार नहीं किया ? ये इन सभी बातों का साफ-साफ जवाब दे दें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, छाज तो बोले-बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद। (शोर एवं व्यवधान)

16.00 बजे **कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) :** स्पीकर सर, ऐसा है कि डेढ़ घंटे से इन देख रहे हैं कि जब एक आदमी बोलता है तो यह टीम की टीम खड़ी हो जाती है। वैसे तो यह पूरी टीम न होकर आधी टीम ही है। जब एक आदमी बोलने लगता है तो यह आधी टीम खड़ी हो जाती है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, कहते हैं कि संसार में (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं प्रार्थना कर रहा था (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सभी उपस्थित सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष : मेरे साथ वह नहीं हुआ जो आपके नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला के साथ कैथल में हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनेलो के सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, वे कृपा सुनने का कष्ट करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 'फटीचर' शब्द अलोकतांत्रिक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय डा० सीता राम हाऊस की वैल में आ गये।)

डॉ० सुशील इन्दौरा : *****

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री अध्यक्ष : यह मेरी रूलिंग है कि फटीचर शब्द अलोकतांत्रिक नहीं है।

डॉ० सीता राम : *****

श्री बलवन्त सिंह : *******

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, मेरा एक सुझाव है कि आप इनसे यह पूछ ही लीजिए कि 'फटीचर' का लिटरल मीनिंग क्या होता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : *****

श्री बलवन्त सिंह : *******

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. आप सभी बहुत अच्छे हैं लेकिन जिसके लिए 'फटीचर' शब्द का प्रयोग किया गया है वह तो यहां है ही नहीं । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस 'फटीचर' शब्द को हाऊस की कार्यवाही से निकलवा दिया जाये।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Dr. Indora, I allow you to continue your speech. (interruptions)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रकार से हाउस को नहीं चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपने डिप्टी लीडर से बात करें।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत है। हम हाउस नहीं चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि यह सदन लोकतांत्रिक परम्पराओं का निर्वाह करता है। माननीय मंत्री जी के मुंह से इस प्रकार के शब्द शोभा नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, मंत्री जी ने यह शब्द नहीं कहा। आपको पता ही नहीं है और किसी ने कहा होगा।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने कहा है।

कृषि मन्त्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इनकी प्रशंसा करने के लिए खड़ा हुआ था। स्पीकर सर, संसार में एक मिसाल बनी हुई है कि किसी का नमक खा कर हराम नहीं करना चाहिए। जो किसी का नमक खा ले वो हमेशा उसका साथ देता है। मेरे घर के साथ बादल साहब का घर था। उस घर में बादल साहब नहीं रहते थे वे अपने घर में रहते थे और वहाँ पर चौटाला साहब आ कर रहा करते थे, डेरा जमाया करते थे। मैं कोई अनपार्लियामैंट्री बात नहीं कहूंगा। यह मेरे वक्त की बात है और वहां पर चौटाला साहब महीने में एक मीटिंग सारे सूबे के कार्यकर्ताओं की जरूर बुलाया करते थे। उन सारे कार्यकर्ताओं का नमक (खाना) नाडा साहब के गुरूद्वारे से आता था। उनकी दाल और रोटियां नाडा साहब के गुरूद्वारे से आती थी। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि गुरूद्वारे की रोटी खाकर चौटाला जी बादल की मुखालफत कैसे कर सकते हैं।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, चट्ठा साहब इतने सीनियर सदस्य हैं, वजीर हैं नमक तो सबसे पहले खा कर इन्होंने हलाल नहीं किया। चौधरी देवी लाल ने नग्गल हल्के से इनको आजाद उम्मीदवार के रूप जिताया और अगले दिन ये स्पीकर बन गये। स्पीकर सर, यह बात हम नहीं कर रहे बल्कि इतिहास इस बात का गवाह है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Indora, please continue your speech. No interruptions please. (interruptions) आपके अपने मैम्बर आपकी बात नहीं मानते। You are unecessarily wasting the time of the House. आप अपनी डिमांड पर बोलिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि किसानों से संबंधित मेरे दो मुख्य इश्यू रहते हैं। मुख्य मंत्री जी, बड़े समझदार हैं। मैं चाहूंगा कि पानी के मुद्दे पर ये जो 8-9 महीने केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है इस दौरान में मिलजुल कर इस समस्या को सुलझा लें और इस प्रदेश के लोगों को पानी ला कर दें। दूसरा मुद्दा कृषि से जुड़ा हुआ है। आज खेती की जोत कम हो गई है और किसान का बेटा अपने स्वाभिमान के लिए और कहीं काम करने के लिए नहीं जायेगा। वह किसी ढाबे पर काम नहीं कर सकता। अगर किसान के बेटे को सरकार सरकारी नौकरी दे दे तो उससे किसान के बेटे के लिए बड़ा ही सम्मानजनक जीवन हो जाएगा लेकिन बड़े अफसोस और शर्म की बात है *** *** ****

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब इनेशा से हाउस को गुमराह करने की बात करते हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि इसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने रैफरैंस किया है और उन सारे कुकृत्यों की जांच करने के लिए जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के द्वारा किया गया था, माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ को यह मामला दिया गया है। (विघ्न एवं शोर)

डॉ०सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, *** *** ***

श्री अध्यक्ष : जो ये कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न एवं शोर)

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Speaker Sir, he is taking a wrong side. यह बड़ी गलत बात है। (विघ्न एवं शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार की बात कैसे कह सकते हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, आपने दो बज कर इक्तालीस मिनट पर बोलना शुरू किया था और आपको बोलते हुए डेढ़ घण्टा हो गया है, अब आप अपनी सीट पर बैठें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ बातें रह गई हैं इसलिए मुझे थोड़ा समय और देने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जो किसान रहता है वह चाहता है कि हर नागरिक खुशहाल हो, वह चाहता है कि प्रदेश की सुख शांति अच्छी हो ताकि उसके द्वारा पैदा किया हुआ अन्न सुख-शान्ति से गरीब आदमी और आम आदमी लेकर खा सके। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, on a point of order. मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्दौरा साहब ने यह कहा है कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को सस्पैंड कर दिया गया है वह सरकार के द्वारा बदनीयती से किया गया है। यह राष्ट्रपति जी का रैफरैंस है। महामहिम राष्ट्रपति जी के सम्मानित ऑफिस और उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार से शब्द जाल के अन्दर घसीटना न केवल इस हाउस को गुमराह करना है बल्कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना है। It is a breach of privilege of this House. He cannot mislead the House in this fashion. He must apologise. He is trying to derogate the Office of the President of India as also the Hon'ble Supreme Court of India. Speaker Sir, Mr. Indora ji is casting aspersions on the Office of the President of India, who has taken conscious decision in the matter exercising her presidential powers under the Constitution. Speaker Sir, I will have to concentrate to bring privilege motion against him.

श्री अध्यक्ष : यह पोर्शन प्रोसीडिंग्ज से निकाल दिया जाए। (विघ्न) इन्दौरा साहब, आप अपनी बात जारी रखें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नम्बर 17 पर बोलते हुए यह कह रहा था कि किसान द्वारा पैदा किया हुआ अन्न सुख शांति से गरीब आदमी खा सके और सुख-शांति से रह सके इसके लिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसा माहौल बनाए कि जिसमें हर नागरिक सुख की सांस ले सके लेकिन *** *** **** (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब ने एक बात फिर गलत बात कही है। इन्होंने कहा कि डी०जी०पी० के द्वारा बलात्कार किया गया है इनको अपने ये शब्द वापिस लेने चाहिएं (विघ्न) स्पीकर सर, आप रिकार्ड निकलवा कर दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष : शायद गलती से इनके मुंह से निकल गया होगा। ये शब्द प्रोसीडिंग्ज से निकाल दिये जाएं। (विघ्न) डा० साहब, आप बहुत ही जिम्मेदार आदमी हैं पता नहीं आप इधर-उधर की बातें क्यों कर रहे हैं और दूसरे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, इन पिछले करीब एक घण्टे से देख रहे हैं कि माननीय सदस्य न तो तथ्यों पर बात कर रहे हैं और न ही किसी मांग पर बोल रहे हैं। जो भी ये बोल रहे हैं सारी बातें झूठ बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे बड़ा ऑब्जैक्शन यह है कि चौधरी बंसी लाल जी ने किसी स्टेज पर कहीं भी यह बात नहीं मानी कि चौधरी देवी लाल जी ने 85% एस०वाई०एल० बनाई थी। वे हमेशा यह बात कहते थे कि चौधरी देवी लाल हरियाणा के इंट्रस्ट में सबसे बड़ी ऑब्सटैक्ल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह कहता हूं कि ये इस बात का सबूत दें कि किस स्टेज पर उन्होंने यह बयान दिया था। जो भी बात यह कह रहे हैं वह तथ्यों पर सही नहीं है यह बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चौधरी बंसी लाल जी ने यह जरूर कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो चौधरी देवी लाल की सभी मूर्तियां उखड़वा दूंगा इसलिए अब ये सदन में ऐसी बातें कह रहे हैं।

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Finance Minister will give the reply. (Interruptions) No interruption please. (Interruptions) I request all the Hon'ble Members not to interrupt the proceedings of the House.

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, आप हमें तो बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : आप कल एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मुझे क्लैरीफाई तो करने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी साहब आप शुरू करें। (शोर एवं व्यवधान) नहीं नहीं। बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Finance Minister will give the reply.

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, सदन में जिन माननीय सदस्यों ने सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स 2008-09 की जो पहली खेप है, किस्त है पर बोलते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी का जवाब देने की आवश्यकता है। स्पीकर सर, किसी ने 17 नम्बर का नाम लेते हुए पता नहीं क्या क्या बातें कहीं और किसी ने पता नहीं क्या कहा। इन्दौरा जी ने बोलते हुए पौने दो घंटे हाउस के खराब कर दिए जबकि इनकी बातों का किसी भी डिमान्ड से ताल्लुक ही नहीं था। स्पीकर सर, मुझे इस बात का भी दुख है कि आपने इनको बोलने का इतना समय क्यों दिया। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, 2008-09 का सदन में जो बजट रखा गया था, सदन में सभी माननीय सदस्यों

ने उसको पास किया था। उसके बाद कुछ खर्चे आए और जिनको सदन में लाना अनिवार्य था उसमें 339.51 करोड़ रुपए कालतू हमने विभिन्न विभागों को दिए हैं। इसके बारे में विवरण हमने सदन की पटल पर रखा है। हमने यह पैसा अर्बन डवैल्पमैंट डिपार्टमैंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट, कम्यूनिटी डिपार्टमैंट और कोआप्रेशन डिपार्टमैंट को दिया है और कुछ लोन्ज़ दिए हैं। इन सबके लिए हमने 339.51 करोड़ रुपये सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स के तौर पर पेश किए हैं। इसमें से 255 करोड़ रुपये रैवेन्यू एक्सपैंडिचर पर और 83.89 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपैंडिचर पर खर्च हुए हैं। इसके जो नॉन-प्लान एक्सपैंडिचर हैं उसमें 241.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और 97.85 करोड़ रुपये का एक्सपैंडिचर हमने स्टेट प्लान में प्लान किया है। स्पीकर सर, आपने आज हाउस में डिमान्ड्ज पर बोलने का समय दिया और लगभग-लगभग सभी साथियों ने इस पर बोला और सबसे लम्बा समय इन्दौरा जी ने लिया। इनका समय और सभी माननीय साथियों का समय मिलाएं तो उनका समय इन्दौरा जी के समय से आधा भी नहीं है। स्पीकर सर, सुरजेवाला जी ने बोलते हुए कहा कि जो व्हीट है उसको तैयार करने में खर्चा कम आता है और पैडी की फसल पर ज्यादा खर्चा आता है और कहा कि इसका जो न्यूनतम मूल्य 850 रुपये क्विंटल का है इसको बढ़ाकर 1000 रुपये क्विंटल किये जाने की जरूरत है, इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने पहले ही सदन को बता दिया है कि उन्होंने कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री को एम.एस.पी. के लिए हरियाणा के स्टैंड के बारे में अवगत करवा दिया है। बाकी सदस्य जैसे राधे श्याम शर्मा जी ने निजामपुर में पी.एच.सी. बनाने के बारे में कहा। उन्होंने नारनौल में नेता जी के नाम से जो वहां पर स्टेडियम है उसको रैनोवेट करने के बारे में भी कहा। स्पीकर साहब, इस तरह की कोई भी बात किसी भी डिमांड का हिस्सा नहीं बनती लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कहा है तो हम उनको कंसर्ड डिपार्टमैंट के पास भिजवा देंगे। इसी तरह से जौनपुरिया जी जो हमारे माननीय सदस्य हैं उन्होंने भी सड़कों के बारे में बात की और कहा कि वहां पर दो तरफ से सड़क बननी तो शुरू हो गयी है लेकिन उनके इल्के में उस सड़क की फोरलैनिंग का काम पहुंचा नहीं है। कैप्टन अजय सिंह यादव इस विभाग के मंत्री हैं उन्होंने इनको बताया है कि इनके चुनाव क्षेत्र से वह सड़क जब जाएगी तो वहां भी जरूर बनेगी। इसके साथ-साथ देवेन्द्र कुमार बंसल जी ने कुछ बातें अम्बाला कैंट के बारे में कहीं हैं लेकिन उसमें कोई नयी बात नहीं है। इन्होंने तो हरियाणा सरकार का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि सैकड़ों सालों से, 150 साल पहले से जो जमीन हरियाणा सरकार को ट्रांसफर नहीं हुई थी वह हो गयी है। इसके बाद अब ये यह चाहते हैं कि उनमें जो बसे हुए लोग हैं उनको उस जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए। साहिदा खान जी ने भी बहुत सी बातें अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कही हैं। खास तौर से उन्होंने जो कीड़े मारने वाली दवाईयां हैं उनके बारे में कहा है। उन्होंने बाजरे की खरीद के बारे में भी कहा है। नरेश यादव जी ने भी कुछ बातें उठायी हैं। मक्कड़ साहब ने भी सड़कों के बारे में कहा है और डाक्टर इंदौरा की बात तो सारा सदन सुन रहा था। स्पीकर साहब, मैं यह नहीं कहता कि कौन मैम्बर क्या बोले क्योंकि ये उसके अपने विचार हैं। विचारों को अभिव्यक्त करना हर मैम्बर का अपना अधिकार है और आपसे हर मैम्बर यह चाहता है कि जो उसके बोलने की स्वतंत्रता है उसको आप प्रौटक्ट करें लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो विधायक के तौर पर हमें सीखनी चाहिएं। यदि हम उनको नहीं सीखते तो सदन का जो बहुमूल्य समय है वह खराब होगा। जितना पैसा इस सदन की कार्यवाही चलाने में खर्च होता है उसका फिर कोई लाभ नहीं होता। हरियाणा की जनता की जो भावनाएं हैं उनको हम किस तरीके से पेश कर सकते हैं यह देखने वाली बात है। कल और आज भी मैं सारी बातें सुन रहा था। पीले कार्ड के बारे में भी यहां पर चर्चा हुई लेकिन यदि कोई मैम्बर

इस बात को समझता है तो उसको रुल्ज ऑफ बिजनैस पढ़ने चाहिएं क्योंकि उनमें इसके लिए अलग से प्रोविजन है। अगर कोई मैम्बर यह समझता है कि यह गंभीर मामला है तो उसको शॉर्ट डयूरेशन डिसकशन के लिए आपको लिखना चाहिए। इसके बाद उसको इस मामले पर बोलने का पूरा टाईम मिल सकता है। जो डिमांड्ज हैं यदि उन पर ऑफ ट्रैक होकर कोई मैम्बर दूसरी तरह की बातें करता है तो इससे सदन का समय खराब होता है। साढ़े तीन साल गुजरने के बाद मैं समझता था कि अब नये सदस्य हाउस की प्रोसीडिंग्ज को ठीक तरह से कंटीन्यू करेंगे लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है। इंदौरा जी से तो मैं कभी नहीं चाहता कि वे ऐसी बातें करें लेकिन अब यह इनकी सोच का हिस्सा बन गया है और यह बहुत ही अनफोरचुनेट है कि अपने नेता को किस प्रकार से खुश करें ताकि सारे दिन की कार्यवाही को जब उनको बताया जाए तो वे यह कहें कि अगर इंदौरा नहीं होता तो मेरे को कोई डिफेंड नहीं कर सकता था।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, हम यहां गाना सुनने के लिए तो आए नहीं है। हम अपनी बात कहने के लिए सदन में आए हैं।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विल मंत्री जी का दिल से बहुत सम्मान करता हूं वे बहुत सम्मानित आदमी हैं। सदन में बहुत अच्छी बात वे कहते हैं लेकिन कभी कभी वे भावनाओं में बहकर इस तरह की बातें कहने लग जाते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि सारी डिमांड्ज के बजाए हरियाणा प्रदेश के लोगों की डिमांड के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपके पास और बहुत से वैपन्ज हैं। आप शार्ट डयूरेशन नोटिस दे सकते हैं।

डॉ० सुशील इंदौरा : मैंने दो दो मोशन दिये थे। एक की भी चर्चा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप रूल्ज के हिसाब से दें।

Shri. Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, this is not a point of order.

श्री अध्यक्ष : हमें सदन का समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। 90 आदमी आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। Please take your seat.

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैंने यह बात इसलिए कही है कि आईदा के लिए आप अपने में सुधार कर लें तो आपकी परफौरमैंस भी हाउस में अच्छी हो सकती है, आपका भी बहुत सम्मान बढ़ सकता है। अगर चौटाला जी का फोबिया आपके दिमाग से निकल जाए तो।

डॉ० सुशील इंदौरा : इस सदन के सदस्यों को चौटाला साहब से पता नहीं क्या डर है।

श्री अध्यक्ष : आपका ध्येय किसी को डराना है क्या ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमने कई नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। स्टेट में काम करवाने की रफ्तार को बढ़ाने के लिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है। मैं बड़े मोटे शब्दों में यह बात कह रहा हूं कि जिस तरह से हमारे हरियाणा प्रदेश में विकास के काम चल रहे हैं, हर क्षेत्र में हर विभाग में काम चल रहे हैं। हमारे सभी विभागों में प्रोजैक्ट्स मन्जूर हैं लेकिन उन कार्यों को करने के लिए हमारे को कंट्रैक्टर्स भी नहीं मिल रहे हैं जबकि सरकार के पास पैसा है। इससे साफ झलकता है कि हमने अपने काम करने की रफ्तार को तेज किया है। हम जब सत्ता में आए थे तो हमने हरियाणा की जनता से वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो विकास को मुद्दा बनाकर हरियाणा की जनता के सामने पेश करेंगे। हरियाणा अगर विकास की दर में किसी क्षेत्र में पीछे रहेगा तो हम यह समझेंगे कि हमारे अंदर कमी थी। बजट सैशन में हमारे केन्द्र के वित्त मंत्री ने यह बात कही थी कि मैंने

जो 8-9 प्रतिशत की इकोनोमिक ग्रोथ की है वह अगर बनी रहे तो मैं देश के अंदर से गरीबी नाम के शब्द को खत्म कर दूंगा। जबकि हमारी विकास दर 11 प्रतिशत के आसपास रही है। आप सब मैम्बर्स का सहयोग हमारी सरकार के साथ रहेगा तो जहां केन्द्र के वित्त मंत्री का दावा 10-12 साल में गरीबी खत्म करने का है तो हम हरियाणा के अंदर से 6 साल के अंदर गरीबी नाम के शब्द को खत्म कर सकते हैं। हमने अपने विभागों को कहा हुआ है कि कैपिटल ऐक्सपैंडीचर के लिये जितना भी पैसा चाहिए, वह ले लें। कल भी इस बारे में बात आई थी जब हमारे खिलाड़ियों को सम्मानित करने का प्रस्ताव आया। हमने हर डिपार्टमैंट को कहा है कि अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए और अपने महकमों को ऐफीशिएंसी देने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। 3-4 महीने में 339 करोड़ रुपये की डिमांड सदन के सामने रखी है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि इसको एकमत से पास करें।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 33,28,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 11-Urban Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 10,38,16,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 17-Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,11,95,50,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 21- Community Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 5,89,35,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 22-Co-operation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 78,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come

in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 25–Loans & Advances by State Government.

The motion was carried.

विधान कार्य-

पण्डित भगवत दयाल शर्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साईंसिज रोहतक (अमैंडमैंट बिल), 2008

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Health Minister will introduce Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health and Sciences, Rohtak (Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration

Health Minister (Bahin Kartar Devi) : Hon'ble Speaker Sir, I beg to introduce Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health and Sciences, Rohtak (Amendment) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health and Sciences, Rohtak (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health and Sciences, Rohtak (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

डॉ० सुशील इंदौरा (ऐलनाबाद, अनुसूचित जाति) : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो बिल पण्डित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक की भूमि तथा भवनों का स्वामित्व मंत्री जी के द्वारा अपने पास रखने के लिए सदन में लाया गया है, इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा हैल्थ और स्वास्थ्य संस्थान प्रदेश में एक ही है और वह पी.जी.आई. की संस्था है। प्रदेश की सरकार की और प्रदेश के लोगों की आस्था इस संस्थान पर टिकी है। इसका जो स्टेटस हम बना रहे हैं उसके लिए सुपर स्पेस्लिस्ट की जरूरत है मगर वह इस संस्थान में आ नहीं पाते हैं। हो सकता है इसके लिए कहीं न कहीं कोई कारण रहा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखते हैं कि हर तरह से और हर लिहाज से सुख सुविधाएं ज्यादा मिले। इसके इलावा हम इस संस्थान के भवन निर्माण और भूमि पर भी ध्यान दें, यह अच्छी बात है। लेकिन जिस भावना से जिस परपज के लिए यह संस्थान बना है, पण्डित भगवत दयाल जी एक महान आदमी थे जिनके नाम से यह संस्थान बना है, उसी प्रकार की मशीनरी अच्छी होनी चाहिए और उनका यूटीलाईजेशन हो और डाक्टर आयें जो सुपर स्पेस्लिस्ट हों और जो मन लगाकर काम करें इसके लिए उनको अनेक सुविधाएं दी जाएं। अक्सर ये सुनने में आता है कि डाक्टर थोड़े दिन काम करके चले जाते हैं। इसके लिए डायरेक्टर और वायस चॉसलर अच्छे लगाये जायें। जो पण्डित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हमने स्थापित किया है यह सरकार के लिए और पूरे प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है। लेकिन इसके स्टेटस को बरकरार रखने के लिए और हमारे प्रदेश की जो भावना है उसको पूरा करने का काम हम करें और इसके लिए ऐसे कदम उठायें। चाहे इसके लिए कोई कमेटी बनायें जो यह देखे कि अच्छी चीजों को कैसे बढ़ावा मिल सकता है। इसके साथ ही साथ मेरे सुनने में आया है कि हमारे अम्बाला में एक मैडीकल कालेज है जिसको एक रुपये पर चौधरी देवीलाल जी ने दिया था उस कालेज को सरकार प्राईवेट हाथों में देने जा रही है।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप बिल पर बोलें। आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें आप 90 में से अकेले ही मैम्बर हैं क्या ? आपकी एथोरिटी है कि आप खुद ही बोलते रहें ? Do not go this way or that way. Please come to the point.

Dr. Sushil Indora : I am sorry, Sir, अगर आपने कुछ महसूस किया है तो मेरी मंशा यह नहीं थी। मैं एक बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय के लिए मैं एक अनुरोध करूंगा। (विघ्न)

Mr. Speaker : Question is—

That Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health and Sciences, Rohtak (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause 2 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Health Minister will move that the Bill be passed.

Health Minister (Bahin Kartar Devi) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि इण्डियन स्टाम्प (हरियाणा अमैण्डमैंट) बिल, 2008

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Revenue will introduce the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2008 प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं —

कि भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बिल में दर्शाया गया है कि पिछले दिनों स्टेट में एक ऑर्डीनैंस जारी करके लोगों को राहत दी गई। मैं मुख्यमंत्री महोदय को इस बात के लिए मुबारिकबाद देता हूं। लोगों के हितों से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वे समय-समय पर लोगों को राहत प्रदान करते हैं। इस बिल में जो अमैंडमैंट दर्शाई गई है यकीनन इससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इससे जुड़े हुए दो-तीन महत्वपूर्ण तथ्य है जिनकी वजह से हरियाणा के लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है उसमें भी अमैंडमैंट की जरूरत है। जिस तरीके से हरियाणा एनसैसट्रल प्रोपर्टी 15 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रिलीज हो जाती है। सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रोपर्टी यानि जो अपने जीवनकाल में अपने खून पसीने की कमाई से जायदाद खरीदता है, वह भी इसी तरीके से ट्रांसफर हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, the Bill is under discussion and the Hon'ble Member, Shri Karan Singh Dalal is talking about the policy issue and for that he should give separate notice. He can speak on the amendments which have been brought in the House. He cannot speak on the policy issue. It is as true for Dr. Indora Ji as true for Shri Karan Singh Dalal Ji.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल की सराहना की है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि इस बिल की गजट नोटिफिकेशन हो चुकी है। इससे जुड़े मुद्दे पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं क्योंकि इस बिल पर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। मंत्री जी अगर चाहते हैं कि इस पर यहां चर्चा न की जाए तो हम लिख कर भेज देते हैं, यह हरियाणा के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इंडियन स्टाम्प विधेयक में एक अमैंडमैंट लाई गई है, इससे जुड़ी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे देशों में कर्जा लेने पर कोई फीस नहीं लगती। अगर हमारे यहां भी ऐसा प्रोवीजन हो जाए तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये दोनों वैल्यूबल सजैशंज हैं चूंकि ये नीतिगत बात है इसलिए ये लिखकर दे दें, मंत्री जी इस पर जरूर विचार कर लेंगी।

डॉ० सीता राम (डबवाली, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया जो यह बिल लेकर आई हैं जिसके तहत अब कंवेंस डीड और सेल डीड के रेट 6 प्रतिशत से कम होकर 5 प्रतिशत किए जा रहे हैं। इस बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि लेडीज को जहां पहले से ही एक प्रतिशत की छूट है क्या अब रेट एक प्रतिशत कम करने के बाद भी लेडीज को एक प्रतिशत की अलग से छूट रहेगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार के आने के बाद सर्कल रेट बहुत बढ़े हैं जिसके कारण आम आदमी जो छोटा मोटा प्लाट लेता है तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी बहुत देनी पड़ती है। इसलिए सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और गरीब लोगों को राहत देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त पहले शपथ पत्र के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम होती थी। यदि कोई आदमी शपथ पत्र देता था तो वह तीन रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दे देता था लेकिन अब दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना पड़ता है इसलिए इस तरफ भी सरकार ध्यान दे। इसी तरीके से पहले रजिस्ट्रेशन फी 502 रुपये होती थी।

Shri Randeep Singh Surjewala : This does not relate to the amendment which the Minister has brought in the House. It is again a suggestion on policy issue. In this regard, he should give it in writing and we will consider it.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं लिखकर भी दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में भी स्टाम्प ड्यूटी को 12 प्रतिशत से कम करके 6 प्रतिशत किया गया था अब इसको और कम किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is—

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause - 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Revenue will move that the Bill be passed.

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं —

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि इण्डियन रैगूलेशन ऑफ प्रोपर्टी डीलर्ज एण्ड कन्सलटैण्ट्स बिल, 2008

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Revenue will introduce the Haryana Regulation of Property Dealers and Consultants Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सम्पत्ति व्यवहारी तथा परामर्शदाता विनियमन विधेयक, 2008 प्रस्तुत करती हूं —

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं —

कि हरियाणा सम्पत्ति व्यवहारी तथा परामर्शदाता विनियमन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Regulation of Property Dealers and Consultants Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, यह दि हरियाणा रेगूलेशन ऑफ प्रोपर्टी डीलर्ज एंड कंसलटैंट्स बिल, 2008 बहुत अच्छा बिल है चूंकि मंत्री महोदया लेकर आई हैं। आज हरियाणा में जमीनों के भाव बहुत बढ रहे हैं। इसके कारण ये हैं कि एक तो आज हरियाणा को नम्बर एक प्रदेश बनाने की कवायद चालू है और हरियाणा दिल्ली को तीन तरफ से टच करता है। इसके अतिरिक्त हरियाणा

सरकार ने भूमि अधिग्रहण के जो दाम बढ़ाये हैं उसकी वजह से भी हरियाणा में जमीनों के भाव बहुत ज्यादा बढ़े हैं और यही कारण है कि प्रदेश में ज्यादातर लोग प्रोपर्टी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह विडम्बना की बात है कि सरकार की कारगुजारी से जहां जमीनों की कीमतें बढ़ी हैं उसके कारण चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई दुकानदार है या कोई और धंधा करने वाला है, ज्यादातर लोक प्रोपर्टी का व्यवसाय भी साथ-साथ करते हैं। इससे जहां एक तरफ फायदा होता है वहीं दूसरी तरफ यह बहुत बड़ी रूकावट भी पैदा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अनरेगूलेटिड ग्रोथ हरियाणा के शहरों में न हो सके इसके लिए जो हुड्डा एक्ट में प्रॉविजन थे वे नाकाफी थे और इसी प्रकार से ये प्रॉपर्टी डीलरज कानूनों को धत्ता बताकर और कानूनों को ताक पर रखकर जो शहरों के साथ लगती हुई जमीनें हैं उनका सौदा करके फिर छोटे-छोटे प्लॉट काटकर बेचते हैं। उनमें न सीवरेज की व्यवस्था होती है, न बिजली होती है और न ही कोई अन्य सुविधा होती है। इस प्रकार से वे ऐसा करके नये-नये शहरों का स्वरूप बिगाड़ने पर उतारू हो जाते हैं। इस कानून की गैर-मौजूदगी में तमाम शहर बड़े-बड़े गांवों जैसे दिखाई देने लगे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि ये जो बिल लेकर आये हैं यह इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है लेकिन इसके साथ ही मैं इनको यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि जहां इन्होंने सब-रूल 2 के पार्ट ए में इन्होंने कलैक्टर का जिक्र किया है। In clause 2(a), it is mentioned —

> "Collector" means the Collector of the District or any officer specially appointed or empowered by the State Government under this Act.

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया जी से निवेदन करूंगा कि ये कलैक्टर की जगह ऑफिसर रखें, हालांकि इन्होंने इसका प्रॉविजन किया है। लेकिन यह अकेला ऑफिसर नहीं है, यहां पर ऑफिसरज होना चाहिए। इसमें जो लाईसैंस ग्रांट करने का अधिकार इन्होंने डिप्टी कमिश्नर को दिया है, इस बारे में मेरा सुझाव है कि प्रॉपर्टी डीलर कौन होंगे, प्रॉपर्टी कंसलटैंट कौन होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी इस बात को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए था। हालांकि इन्होंने रूल में कहा है कि इसके लिए रूल बनेंगे। लेकिन यह लाईसैंस देने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर के पास नहीं होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर के पास जिले के अन्दर पहले ही बहुत ज्यादा काम है। अब लोग प्रॉपर्टी डीलर का लाईसैंस लेने के लिए सिफारिश लेकर आयेंगे और लाईन लगायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूं कि यह लाईसैंस देने का अधिकार एस.डी.एम. के पास होना चाहिए और अगर कोई लाईसैंस गलत दिया जाता है या लाईसैंस ठीक नहीं है तो उसको रद्द करने का, उसकी समीक्षा करने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर के पास होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त इसमें जो इन्होंने बातें कही हैं उसमें रूल 10 में इन्होंने कहा है कि —

> "If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provision or give such direction not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty."

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में कोई डिस्क्रिशन अगर इन अधिकारियों को देंगे तो उसका मिसयूज हो सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय पार्लियामैंट्री अफेयर मिनिस्टर जी से निवेदन करूंगा कि जो कि इस बिल को शायद पहली बार पढ़ रहे हैं इसमें वे विचार करें और इसमें इस बात का प्रावधान करें कि ये डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए। इसके अन्दर बाकायदा सरकार की तरफ से कानून होना चाहिए कि किन-किन हालातों में किस तरीके की कार्यवाही होगी। इसी प्रकार से जो रूल 14 है इसमें फिर इन्होंने कलैक्टर

के लिए कहा है। यह सारी बातें इनको बांटकर रखनी चाहिएं। रूल 17 में इन्होंने जो वॉयलेशन का जिक्र किया है। वॉयलेशन में इन्होंने कहा है कि 10 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा। यह पहले इन्सटांस में जितनी सजा होगी वह कम है। दूसरे इन्सटांस में कितनी सजा होगी ? अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मुद्दा है और इस गम्भीर मुद्दे के प्रति जो बिल लाने में इन्होंने जो सजगता दिखाई है वह सराहनीय है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें जुर्माने की राशि को बढ़ाने की जरूरत है। प्रॉपर्टी डीलर जो लाखों रुपये हर रोज कमाते हैं 5 हजार या 10 हजार के जुर्माने से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें जुर्माने की राशि को बाकायदा बढ़ाना चाहिए। यहां ये यह भी कर सकते हैं कि जो इलाके एन.सी.आर. में पड़ते हैं उनमें अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी कंसलटैंट कोई वॉयलेशन करेंगे तो उनकी जुर्माने की राशि ज्यादा होगी। मुकद्दमें दर्ज होने के बाद जो उनकी सजा होगी उस टर्म को भी बढ़ाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त जो इन्होंने अन्य एक्ट्स का जिक्र किया है, इसमें जो जुर्माना है, इस बारे में मेरा सुझाव है कि जो कमीशन लिया जायेगा उसमें उसका दस गुणा जुर्माना तय किया जाये। इसी तरीके से जो हुड्डा एक्ट में प्रॉविजन है उसका भी ये इसके अन्दर जिक्र करें, क्योंकि हुड्डा एक्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति मात्र एक एग्रीमैंट कराकर थोड़े से पैसे देकर किसी किसान की जमीन खरीदकर उसको टुकड़ों में बांटता है तो उसके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज होता है। प्रॉपर्टी डीलर अधिकारियों के साथ मिलकर कानूनों को धत्ता बताकर उस प्रॉविजन से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए अगर मंत्री जी ठीक समझें तो इसमें इस बात का इंतजाम करना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मैं एक सुझाव यह भी माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा कि हरियाणा में यह कानून बना दिया जाना चाहिए कि किसी जमीन के ऊपर सैक्शन 4 लग जाने के बाद उस जमीन की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकेगी। उसके ऊपर बैन लग जाना चाहिए। उस जमीन की खरीद फरोख्त नहीं की जानी चाहिए क्योंकि जहां पर भी सैक्शन 4 का नोटिस होता है तो शहरों के चारों तरफ इस प्रकार की जमीन पर ये प्रोपर्टी डीलर सबसे ज्यादा मार करते हैं और वहीं पर ये अपना जाल फैलाते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार करें और इसको और सख्त बनाया जाये जिससे हरियाणा की खूबसूरती को आगे बढ़ाया जा सके।

श्री एस.एस. सुरजेवाला (कैथल) : स्पीकर सर, मैं यह समझता हूं कि इस एक्ट का यह जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है यह बहुत जल्दी में तैयार किया गया है और बहुत अच्छी तरह से इसको नहीं देखा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल जमीनों की कीमतें करोड़ों रुपये में और अरबों रुपये में है। इसलिए इसमें कई क्लॉज हैं जिनको चैक करने की जरूरत है। मैंने तो इस बिल को यहीं पर देखा है। इसलिए इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दलाल साहब ने जो बात कही है कि एस.डी.एम. को अख्तियार होना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आजकल तो छोटे-छोटे गाँवों में भी प्रोपर्टी डीलर बैठे हुए हैं वे कहां जिले के चक्कर लगाते रहेंगे। एस.डी.एम. उसके लिए बाअख्तियार अधिकारी हैं और उसके खिलाफ लोग डिप्टी कमिश्नर के पास भी जा सकते हैं ताकि इसमें ज्यादा लीटीगेशन न हो, ज्यादा खर्च न हो। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात इन्होंने जो जुर्माने की चर्चा की है, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें क्लॉज 17 में लिखा है कि अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसकी 6 महीने की सजा होगी। अध्यक्ष महोदय, आजकल प्रोपर्टी के बहुत सारे केसिज हैं, प्रोपर्टी के लेनदेन के बहुत केसिज हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में भी होगा कि ये लोगों से एडवांस में पैसा ले लेते हैं कि इतने पैसे दे दो आपकी प्रोपर्टी बिकवा देंगे और उनके पैसे वापिस नहीं करते। यह तो 409 का केस बनता है और 409 में उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। 6 महीने की सजा कुछ भी नहीं है, यह एक मजाक है। मंत्री जी को इस पर दोबारा से विचार करना चाहिए। इसकी सजा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आजकल ये प्रोपर्टी डीलर डबल डीलिंग करते हैं।

दो आदमियों को एक ही प्लाट बेच देते हैं या खुद खरीद लेते हैं। हालांकि इसमें एक क्लॉज में लिखा है कि वे खरीद नहीं सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, आजकल फैब्रिकेटिंग ऑफ डॉक्यूमैंट के बहुत केसिज हो रहे हैं जिसमें 10-10 साल की सजा हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसमें 6 महीने की सजा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। इस एक्ट की क्लॉज 17 की सब-क्लॉज (2) में यह लिखा है कि —

> "Any person or company or society found indulging in the property dealing or property consulting business, without having a valid license under this Act, ..."

इसमें सिर्फ जुर्माना है, फिर तो लोग जुर्माना दे देंगे और यह काम करते रहेंगे। उनको लाईसैंस लेने की क्या जरूरत है और लाईसैंस नहीं लेंगे तो उनके ऊपर बाकी कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, इसको ज्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है। एक एक्जिक्यूटिव का ट्रेंड है कि एक्ट लेकर आयेंगे और उसमें लिख देंगे कि सिविल कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन बार्ड है। यह बिल्कुल उचित बात नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है कि नायब तहसीलदार या तहसीलदार से कोई तकसीम का या नम्बरदारी का रेवैन्यू केस शुरू होता है और फाईनान्सियल कमिशनर तक जाता है। इसमें ही दो साल या तीन साल लग जायेंगे। फिर उनमें से कोई एक पार्टी सब-जज के पास मुकदमा शुरू कर देगी तो फिर वहां से मुकदमा शुरू होगा और ऊपर तक जायेगा। सो यह सिविल कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन बार्ड करने की टैंडैन्सी बिल्कुल गलत है और उसका अल्टीमेटली नतीजा यह होता है कि फिर सीधे ही लोग हाई कोर्ट में जाते हैं। इसलिए इसको और सख्त करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट पर दोबारा से ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री शादी लाल बतरा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल तो बहुत अच्छा है और इसमें लाईसैंस ग्रान्ट करने की सारी प्रोविजन्ज दी गई हैं लेकिन लाईसैंस ग्रान्ट होने के बाद उस डीलर की ड्यूटीज क्या होंगी वे ड्यूटीज इसमें नहीं दी गई हैं। कोई भी कंवेन्स डीड हो या लीज़ डीड हो अगर वह लिखी जाती है तो वह प्रोपर्टी डीलर उस पर साईन करेगा और उस पर अपना नम्बर भी देगा. उससे यह हो जाएगा कि अनऐथोराईज्ड कॉलोनीज बनाने के लिए जो अनऐथोराईज्ड सेल कर रहे हैं और आम भोले-भाले इन्सानों को ला कर उसे बेच देते हैं उसमें प्रोपर्टी डीलर की जिम्मेदारी नहीं होती लेकिन अगर डीलर उस पर साईन करेगा तो प्रोपर्टी डीलर की यह जिम्मेदारी होगी कि यह सेल होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। इससे अनऐथोराईज्ड सेल रूक जाएगी। यह एक बात है। दूसरी बात, प्रोपर्टी डीलर का कमीशन क्या होगा? अगर इसमें स्टेचुऐटरी प्रोविजन्ज नहीं रखा जाएगा तो पता नहीं वह किससे क्या ले लेगा। स्पीकर सर, आज जमीनों के भाव बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं और अगर वह परसैंटेज रखेगा तो परसैंटेज इतनी चली जाएगी कि एक डील में डीलर बहुत ज्यादा कमा लेगा और उससे आम आदमी को प्लीज़ या चीट करेगी। स्पीकर सर, ये दोनों प्रोविजन्ज इसमें आने चाहिए। अगर इस प्वायंट पर इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाए तो सारी चीज क्लीयर हो जाएगी और उस डीलर की रिस्पोंसिब्लिटी भी फिक्स हो जाएगी। धन्यवाद।

श्री नरेश यादव (अटेली) : स्पीकर सर, यह जो हरियाणा रैगुलेशन ऑफ प्रोपर्टी डीलर्ज एण्ड कन्सलटैंटस बिल, 2008 आया है यह बिल असलियत में उस वक्त आया है जब प्रोपर्टी डीलर्ज का टाईम खत्म हो गया है। (विघ्न) वर्ष 2005 से 2008 के बीच में कई अनऐथोराईज्ड कालोनीज काटी गई हैं। जैसे भाई कर्ण सिंह दलाल जी बता रहे थे कि किसानों की जमीन का प्रोपर्टी डीलर्ज ने एग्रीमैंट कर लिया और

कोई फौजी आ गया या कोई भोला-भाला आदमी आ गया उनको उस जमीन में फंसा कर छोड़ दिया। स्पीकर सर, जो भी ऐसे डीलर्ज हैं जिन्होंने अनएथोराईज्ड कॉलोनीज़ काटी हुई हैं, जिस-जिस ने जो-जो कॉलोनी काटी है और वे कालोनीज अनएथोराईज्ड हैं तो वे प्रोपर्टी डीलर्ज जो उसे छोड़ कर भाग गए हैं, असल में ऐसे डीलर्ज पर शिकंजा कसने की जरूरत है। यह एक्ट आने के बाद सबसे पहले तो उनकी छंटनी हो जिन्होंने पहले ही धांधली की हुई है और लोगों को फंसा कर उन्होंने छोड़ दिया है।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सुरजेवाला जी की बात से सहमत हूं क्योंकि इस एक्ट में अभी कई प्रावधान होने बाकी हैं। जब तक रूल्ज न बने तब तक डीलर लाईसैंस ले सकता है। कन्सलटैंट कौन होगा, उसकी क्वालिफिकेशन्ज क्या होंगी इसका प्रोविजन होना चाहिए क्योंकि प्रोपर्टी डीलर तकरीबन कंसलटैंसी के लिए क्वालीफाईड नहीं होते। जो रैवेन्यू एक्सपर्ट कंसलटैंट हैं वही लोगों को सही सलाह दे सकता है। सैक्शन 18 में जो इस तरह के रूल्ज बनाने का प्रावधान किया गया है जब तक ऐसे रूल्ज न बन जाएं इस बिल को पास करने का लाभ नहीं होगा। अगर रूल्ज भी साथ हों और बाकी सारी चीजें भी क्लीयर हों उसके बाद ही इस एक्ट को पास किया जाए और इतनी जल्दी में इसे पास नहीं किया जाना चाहिए।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरेजवाला) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने इस बिल पर बहुत सारे सुझाव दिये हैं। Many of these suggestions are quite relevant. Sir, I only want to point out with the kind permission of this House. अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का विधेयक पूरे हिन्दुस्तान में अभी तक किसी भी प्रान्त में नहीं है। ये सारी समस्याएं जिनकी चर्चा दलाल साहब, सुरजेवाला जी, मलिक साहब, बतरा साहब और यादव साहब ने की उन समस्याओं के बारे में आज तक किसी भी विधान सभा में चर्चा नहीं हुई है। कोई भी सरकार आज तक इस तरह का कानून ले कर नहीं आई है। समय-समय पर इस पर कई माननीय सदस्य बोले हैं और उन्होंने जो चिन्ताएं जाहिर की हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। स्पीकर सर, बहुत सारे प्रोपर्टी डीलर्ज जिनकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की है, वे कई प्रकार के कागजों के अन्दर इन्डलज करते हैं जिससे आम आदमी को नुकसान होता है इसीलिए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने निर्देश दिये थे कि हम उस पूरे मामले की जांच करवाएं और देखें जो कानून इसमें लागू हैं। उसके अलावा किस प्रकार से प्रोपर्टी डीलर्ज को रैगुलेट किया जा सकता है, यही सोच कर पूरी दुनियां के देशों में भी इस प्रकार के जो कानून हैं उनको देखा है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का कानून है जो प्रोपर्टी डीलर्ज के लिये हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the Sense of the House that the time of the sitting of the House be extended by half an hour.

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended for half an hour.

दि हरियाणा रैगूलेशन ऑफ प्रोपर्टी डीलर्ज एण्ड कन्सलटैण्टस बिल, 2008 (पुनरारम्भ)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, उन सब बातों को देख कर फिर हमने इस कानून का गठन किया है। पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी प्रान्त में इस प्रकार का कोई कानून हमें नहीं मिला

परन्तु दुनियां के दूसरे देशों में इस प्रकार के जो रैगुलेटरी कानून हैं उनको देख कर और हमारे अपने तजुर्बे से और जो सुझाव यहां पर समय-समय पर सदन में आए थे उनके आधार पर हमने यह कानून बनाया है। 17.00 बजे इसमें भाई कर्ण सिंह दलाल ने कुछ ऐतराज और सुझाव दिए हैं कि इसमें डिप्टी कमीशनर की बजाए एस.डी.एम. को लाईसैंस देने का अख्तियार होना चाहिए। जब हमने यह विधेयक बनाया था तो इस बारे में बकायदा चर्चा हुई थी। अध्यक्ष महोदय, डिप्टी कमीशनर का नाम इसलिए रखा है कि एक सीनियर आफिसर जो जिले का कलैक्टर है, जब वह इसको देखेगा, जब किसी को किसी प्रकार की प्रापर्टी की डीलिंग के लाईसैंस का परमिट देगा तब He will be responsible and accountable. He may be a Tehsildar, he can also do it. Even Patwari can give license. They are all responsible persons. It is a question of what the Government felt fit in the given situation. हमें यह लगा क्योंकि डिप्टी कमीशनर पूरे जिले का कलैक्टर है तो कम से कम उस लैवल के आफिसर को यह अख्तियार दिया जाए कि वो प्रापर्टी डीलर को लाईसैंस का परमिट दे या न दे। दूसरा सुझाव योग्यता को लेकर दिया गया। यह सुझाव सुरजेवाला जी ने और बत्रा साहब ने भी दिया। अध्यक्ष महोदय, प्रापर्टी डीलिंग इस प्रकार का पेशा नहीं है जिसमें योग्यता के आधार पर लाईसैंस दिया जाए। इसके लिए एम.ए. की डिग्री का होना मिनिमम योग्यता नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति प्रापर्टी का बिजनैस करना चाहता है, चाहे उसकी शिक्षा पी.एच.डी. हो या 10वीं पास हो वह यह बिजनैस कर सकता है। हमें नहीं लगा कि इसके लिए योग्यता का निर्धारण करना जरूरी है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, क्लॉज 10 के बारे में उन्होंने कहा कि इससे सारे अख्तियार अधिकारियों को मिल जाएंगे। दलाल साहब को काफी तजुर्बा है कि इस प्रकार के सारे इनेबलिंग क्लाजिज, लाजिसलेशन के अन्दर होते हैं। आप कोई भी लाजिसलेशन उठा लें। In this legislation it is an enabling clause to remove any unforeseen difficulty that may arise in future. Speaker Sir, that is why all the legislations all over the world have such enabling clauses. The idea is not to empower the bureaucracy. We want to remove the doubts which may arise in future. The idea is not to have excessive control over the bureaucracy. It is only to take care any unforeseen contingency that may arise in future. क्लॉज 17 के बारे में आदरणीय सुरजेवाला जी ने और दलाल साहब ने भी प्वायंट आऊट किया है । एक तो क्लॉज 17(1) के अन्दर उन्होंने कहा है कि यह जो फाईन है, यह कम है। आपके सुझाव को हम मानते हैं और अध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज (1) के अन्दर फर्स्ट टाईम फाईन 10 हजार रुपये है उस बारे में मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी जाए और जो सैकेंड ऑफैंस की राशि 25 से 50 हजार रुपये की है उसको बढ़ाकर 1 लाख से 1.50 लाख रुपये कर दिया जाए। इसी तरह से क्लॉज 17(2) के बारे में सुरजेवाला जी ने बताया कि कम्पनी और सोसाइटी जो है उन पर केवल पनैल्टी का प्रावधान है, उसमें सजा का प्रावधान नहीं है। यदि एक व्यक्ति सजा का पात्र है तो कम्पनी के मैनेजिंग डायरैक्टर या सोसाईटी के इन्चार्ज भी सजा के पात्र होने चाहिए। इसलिये क्लॉज 17(2) के अन्दर भी यह संशोधन है उसके बारे में मैं मंत्री जी से कहूंगा कि एक लाईन नीचे जोड़ दी जाए that a provision of Clause-1 will apply *mutatis mutandis* to the officer of a Company or society responsible for the offence like in Clause -1. हम यह ऐड कर देंगे। हमें यह सुझाव स्वीकार है। (विघ्न) स्पीकर सर, मुझे शादी लाल बतरा जी ने बोलते हुए यह कहा कि यहां पर प्रापर्टी डीलर हैं उनके दस्तखत और स्टैम्प जरूर होनी चाहिए। इनकी यह बात वाजिब है। सर, हर ट्रांजैक्शन प्रापर्टी डीलर के थ्रू होगी यह अनिवार्य नहीं है। उनके दस्तखत और स्टैम्प भी जरूरी हैं, आप रूल्ज की क्लॉज देखें तो क्लॉज 18 के अन्दर नसैसरी रूल्ज आएंगे और आप यह पाएंगे कि यह जो आपके मन में शंका उभरी है, We will be

taking care of that when we will be framing the rules. अध्यक्ष महोदय, सुरजेवाला जी ने इसके साथ-साथ क्लाज 17(2) में यह कहा कि यह जो सजा निर्धारित की गयी है वह कम है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जो प्रोपर्टी डीलर किसी ट्रांजक्शन के अंदर जिम्मेवार होगा तो उसके लिये यह सजा है। इंडियन पीनल कोड में जो उसकी सजा है चाहे वह धारा 409 में हो, चाहे वह धारा 420 में हो, चाहे वह धारा 467 में हो, चाहे वह धारा 471 में हो और चाहे वह धारा 468 में हो, वह रहेगी और उसके लिए वह रिसपोंसिबल रहेगा। इसमें जो सात साल, आठ साल या दस साल सजा है वह उस व्यक्ति के लिए जरूर रहेगी जो ब्रोकर है या सैलर है, प्रोपर्टी डीलर है जिसने किसी के साथ धोखा किया है, डयूप किया है (विघ्न) स्पीकर साहब, जो देश के दूसरे कानून हैं उनकी चर्चा यहां पर नहीं हो सकती है। माननीय दलाल साहब को मैं यहां पर कानून की शिक्षा नहीं दे सकता उसके लिये तो उनकी अलग से क्लास लगानी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दूसरी तरह की भी शंका जाहिर की गयी और हुडा एक्ट की या दूसरे कानून की इन्होंने चर्चा की कि कहीं यह कानून उनको ढीला तो नहीं छोड़ देगा। इनकी शंका वाजिब है, इन्होंने जो प्वायंट उठाया है वह बिल्कुल वैलेड और सही है। अगर कोई गैर-कानूनी कॉलोनी काटता है तो उसके लिए हुडा एक्ट के तहत प्रावधान है वहां क्रिमनल प्रोसीक्यूशन चलेगी। This Act does not kill this legislation. This makes it even more vigorous to not to dupe anybody not to defraud any body or not to play mischieves with anybody. अगर कोई प्रोपर्टी डीलर के तौर पर साईन करेगा तो और सारे कानूनी शिकंजे जो उस पर कसे जा सकते हैं वह तो कसे जाएंगे ही लेकिन उसके साथ-साथ वह इस कानून के तहत भी जिम्मेवार होगा। मेरा निवेदन है कि जो शंकाएं जाहिर की गयी हैं तो इन अमैंडमैंट के साथ इस कानून को पारित किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरा आपकी मार्फत एक सुजैशन है। Sir, I want to draw the kind attention of the Hon'ble Minister through you. इन्होंने बाकायदा क्लॉज 19 में उन ऐक्टस का जिक्र किया गया है जो इस बिल के आने के बाद उनके क्लोजिज अफैक्ट होंगे। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज सबसे बड़ी स्टेट के अन्दर लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम बनी हुई है। एक जमीन का करार पहले एक आदमी के साथ होता है और फिर दो घंटे बाद उसी जमीन का ऐग्रीमैंट लालच दिखाकर, डर दिखाकर दोबारा से दूसरे आदमी के साथ हो जाता है और इसके बाद वे तमाम के तमाम लोग पुलिस में जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत मंत्री जी से निवेदन है कि कंट्रैक्ट एक्ट का भी इसमें प्रोविजन किया जाए। कंट्रैक्ट में जो लॉ और स्पैसिफिक परफोरमैंस निरस्त होता जा रहा है उसके बारे में भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति बिल्कुल सही हालात में अपनी धरती बेचकर पैसे के लालच में बेईमान होते हैं और फिर विधायक, पुलिस और प्रशासन को तंग करते हैं तो उनके बारे में भी इस बिल में कोई न कोई क्लॉज जरूर डालनी चाहिए।

श्री शादी लाल बतरा : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हर प्रोपर्टी की डील प्रोपर्टी डीलर के थ्रू नहीं हो सकती लेकिन जहां हम लाईसैंस दे रहे हैं वहां गांवों के भोले-भाले किसान को चीटिंग से, फ्राड से बचाने के लिये यह जरूर होगा कि वह ऐसे आदमी के थ्रू प्रोपर्टी ले और यह सोचे के जो प्रोपर्टी वह परचेज कर रहा है वह इललीगल तो नहीं है, नहीं तो इंसान कह देता है कि मुझे पता नहीं है मैंने गलती कर दी और मेरे साथ चीटिंग हो गयी। इसलिए इसके लिये ही मैंने प्रार्थना की थी कि अगर उसका कमीशन नोमीनल होगा और यदि उसको मैनडेटरी कर दिया जाएगा तो जब भी कोई सेल डील लिखी जाएगी तो उसके साईन हो जाएंगे इसलिए वे प्रोपर्टी डीलर ही उस प्रोपर्टी के ट्रांसफर के लिए रिसपोंसिबल होंगे।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी) : स्पीकर साहब, आम तौर पर यह देखा गया है कि प्रोपर्टी डीलर तो परदे के पीछे रहते हैं। वे बयाना ले लेते हैं और फिर उस जमीन को टुकड़ों में बांटकर बेच देते हैं। वे कभी भी पिक्चर में नहीं आते इसलिए ऐसा कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिए ताकि जो असली प्रोपर्टी डीलर्ज हैं वह पिक्चर में आएं। छोटे शहरों में तो आम तौर पर यह देखा गया है कि लाईसैंसधारी प्रोपर्टी डीलर है ही नहीं। बिना लाईसैंसधारी जो प्रोपर्टी डीलर परदे के पीछे रहते हैं वहीं सारा बिजनैस करते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में दो सुझाव आए हैं। उनमें से एक पर मैं माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल जी का क्लॉज 19 पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस बारे में आखिर में लिखा है कि —

"or any other law for the time being"

कोई भी जो कानून होगा, जैसे कंट्रैक्ट एक्ट है, स्पैसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें अगर कोई प्रोपर्टी दो बार बेच दे तो कोई प्रोपर्टी डीलर एक्ट उसको रोक नहीं सकता। जो कानून है वह उसके ऊपर लागू होगा और जिसके जो अधिकार हैं वह भी लागू होंगे। आप कानून पास करके यह प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि कोई व्यक्ति किसी के साथ फ्रौड नहीं करेगा। हमारा यह सतत् प्रयास है और आपने ही यह डिमांड उठाई थी जिस पर मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि जो प्रोपर्टी डीलर्ज हैं उनको रैगुलेट किया जाए। आदरणीय बतरा साहब की भावनाओं के साथ मैं अपने आपको जोड़ता हूँ। इससे बहुत सारी चीजें रूल्ज में आ जाएंगी।

श्री अध्यक्ष : ये चीजें रूल्ज में आ जाएंगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डॉ० शिवशंकर भारद्वाज जी ने जो बात कही है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई यदि पर्दे के पीछे से एक्ट करेगा तो उसके लिए देश का क्रिमिनल कानून जो है, वह लागू है।

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Regulation of Property Dealers and Consultants bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause 3 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause 3 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 19

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 19 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Revenue will move that the Bill be passed.

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) :

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि —

यह विधेयक पास किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : वह सुझाव आप लिखकर भिजवा देना, वह रूल्ज में आ जाएगा। जो भी अमैंडमैंट है, सुझाव हैं, वे सभी रूल्ज में आ जाएंगे। वह आप लिखकर भिजवा देना।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा सेलरीज एण्ड अलांउसिज ऑफ मिनिस्टर्ज (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2008

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Second Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Second Amendment) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री आनंद सिंह दांगी (महम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल के बारे में कुछ कहना है। यह बिल एम०एल०एज० के भत्ते बढ़वाने के बारे में है या मंत्रियों के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, क्या आपने इस बिल को पढ़ा है ? पहले आप बिल को पढ़ तो लें। बिल पढ़ने के बाद आपको इस बिल के बारे में पता लग जाएगा।

श्री राम किशन फौजी (अनुसूचित जाति, बवानी खेड़ा) : सर, मेरा इस बिल के बारे में सुझाव है। यह जो विधेयक 2008 संख्या 27 एच०एल०ए० है इसमें वेतन और मंत्रियों को दूसरी एक नयी और अच्छी कार देनी है। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश को नम्बर एक प्रदेश बनाना चाहते हैं और मंत्रियों को भी नम्बर एक बनाना चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि मंत्रियों को तो आप दूसरी कार देने जा रहे हो, यह अच्छी बात है लेकिन क्या विधायक मंत्रियों से कम काम करते हैं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि सभी विधायकों को भी सरकारी गाड़ी मिलनी चाहिए क्योंकि पंजाब के विधायकों को भी पंजाब सरकार ने कार दे रखी है।

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब, बहुत से एम.एल.एज. से मेरी बात हुई है और उन्होंने यही बात कही है कि जो टी.ए. और एलाऊंसिज और जर्नी के लिए जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से माईलेज मिलता है, वह सही है। That suits us and the vehicle does not suit us. आप बिल पर बोलिये।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप कहां बिल पर बोल रहे हैं।

श्री राम किशन फौजी : सर, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। यह जो कार आप मिनिस्टर्ज को देने जा रहे हैं इसी प्रकार से विधायकों के लिए भी इस बिल में इसका प्रावधान एड कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप इस बारे में लिखकर भिजवा दें।

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर सर, हर छः महीने में विधायक की गाड़ी टूट जाती है इतना पैसा कहां से लेकर आयेंगे। सरकारी काम हम भी कर रहे हैं। हम भी तो जनता के हित के लिए काम कर रहे

हैं। हमारे साथी भी बैठे हैं उधर विपक्ष के साथी भी बैठे हैं इसलिए इन सभी विधायकों को भी कार मिलनी चाहिए।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, कार के अलावा दूसरे एलाउंसिज की भी बात है। अब खाली इसमें मिनिस्टर का तो आ गया और एम.एल.एज.का कहीं नाम नहीं। मिनिस्टर्ज भी तो एम.एल.एज. से ही बनते हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप जो चाहते हैं वह लिखकर भिजवा देना ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, अगर सदन में इस बारे में डिस्कशन हो जाये तो क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप इस बारे में लिखकर भिजवा देना । आप जो चाहते हैं वह सरकार को भिजवा देंगे।

श्री आनन्द सिंह दांगी : इसका पता तो लगे कि इस पर कुछ होगा कि नहीं होगा। (विघ्न) एक मिनिस्टर को दो गाड़ियों की क्या नैसेसिटी है ?

सदस्य का नाम लेना

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, ***

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में लिखकर भिजवा देना। फौजी साहब, अब बिल पर बोलिये It is not concerning with the debate. Please take your seat. Sit Down, I warn you. Nothing is to be recorded.

Shri Ram Kishan Fauji : Speaker Sir, *****

Mr. Speaker : Please take your seat otherwise. I will name you.

Shri Ram Kishan Fauji : Speaker Sir, ****

Mr. Speaker : Mr. Fauji, I warn you.

Shri Ram Kishan Fauji : Speaker Sir, ****

Mr. Speaker : I warn you, Mr. Fauji. Please take your seat.

Shri Ram Kishan Fauji : Speaker Sir, ****

Mr. Speaker : I name Shri Ram Kishan Fauji. He may please leave the House.

(At this stage, Shri Ram Kishan Fauji withdrew from the House.)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

दि हरियाणा सेलरीज एण्ड अलांउसिज ऑफ मिनिस्टर्ज (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2008 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause -2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That title be Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा अंडरग्राउंड पाईपलाइन (इक्वीजिशन ऑफ राइट ऑफ यूजर इन लैण्ड) बिल, 2008

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Minister of Revenue will introduce the Haryana underground pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा भूमिगत पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) विधेयक, 2008 प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं —

कि हरियाणा भूमिगत पाइपलाईंज (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

The Haryana underground pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Bill be taken into consideration at once.

डा० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल की जो क्लाज 8 है वह भूमि के उपयोग से सम्बन्धित है। इस बिल के तहत पानी तथा गैस को ले जाने के लिये भूमिगत पाइप लाइन डालने के लिए किसान की भूमि एक्वायर होनी है। अध्यक्ष महोदय, स्पोज करो कि मैं कहता हूं कि पाइप लाइन किसान के खेत के बीच से जा रही है और उसके खेत में आधा खारा पानी है और आधा मीठा पानी है। खारे पानी वाली जगह पर उसने ट्यूबवैल लगा रखा है और बाद में खुदा न खास्ता उसको जरूरत पड़ जाए कि उसे मीठे पानी वाली जगह पर ट्यूबवैल लगाना पड़े तो इस बिल में डायवर्शन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के तहत किसानों को जो भूमि की मार्किट वैल्यू का 10 परसैंट कम्पनसेशन मिलना था उसको हम 10 परसैंट की बजाय 20 परसैंट करने के लिए बिल में अमैंडमैंट ला रहे हैं।

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker sir, the Bill envisages the grant of compensation equivalent to 10% of value of land. Although none of the Members have suggested that there should be any increase but Hon'ble Chief Minister has obliged to introduce an amendment on that because it is the opinion of the Chief Minister that it should be further increased.

Mr. Speaker : Question is—

The Haryana underground Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill

The motion was carried.

Clause 2 to 8

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 9

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from the Parliamentary Affairs Minister in Sub-Clause 2 of Clause 9. He may please move his amendment.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to Move—

That in Sub-clause 2 of clause 9, for the words "Ten percent", the words "Twenty percent" be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in Sub-clause 2 of clause 9, for the words "Ten percent", the words "Twenty percent" be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That in Sub-clause 2 of clause 9, for the words "Ten percent", the words "Twenty percent" be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 9, as amended, stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 10 to 18

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 10 to 18 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the bill, as amended, be passed.

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं —

कि बिल, यथा संशोधित, पास किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

श्री एस.एस. सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह जो भूमिगत पाइप लाइन डालने के लिए बिल लाया गया है। इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आज के माडर्न युग में यह बहुत जरूरी है। ट्यूबवैल्ज के लिए और दूसरे पानी के सोर्सिज के लिए बहुत से वाटर कोर्सिज हैं। किसान को वाटर कोर्सिज के द्वारा दूसरे किसान के खेतों से पानी ले जाना होता है लेकिन ये देखने में आता है कि दूसरे खेत का मालिक अपने खेतों से पानी ले जाने के लिए परमिट नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ इस बिल में ओयल तथा वाटर की इंडिस्ट्रियल पाइप लाइंस ले जाने के लिए चर्चा की गई है। ये कई ऐसी चीजें हैं जिनको पूरा करने के लिए सरकार यह बिल लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी यह जो बिल है इसके तहत किसानों के खेत में यदि जरूरत पड़ेगी तो डेढ़ मीटर नीचे पाईप लाईनें डाली जायेंगी। इसमें किसानों को जो दिक्कत आयेगी उनसे मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि जहां से ये पाईप लाईनें जायेंगी वहां पर किसान न मकान बना सकता है, न वृक्ष लगा सकता है, न बाग लगा सकता है और न मछली पालन के लिए तालाब बना सकता है। इसलिए इस प्रकार से कई बातें हैं जिनमें किसान खेतों से पाईप लाईन जाने के बाद नहीं कर सकता। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने मुआवजा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया है, यह इनके उदार हृदय का सबूत है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस रेट को थोड़ा और बढ़ाया जाये और यह रेट मार्किट रेट का यानि कम से कम 25 प्रतिशत किया जाये ताकि किसानों को उचित कीमत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक और बहुत जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो पाईप लाईनें डाली जायें वे किला काट कर न डाली जायें बल्कि किले की लाईन के साथ-साथ डाली जायें।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, तीन-चार फिट तो कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं बदला जा सकता।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से इतनी दरख्वास्त तो जरूर करूंगा कि इसकी कीमत और बढाई जाये।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो सदन का समय 15 मिनट के लिए बढा दिया जाये ?

आवाजें : ठीक हैं, जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय 15 मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

दि हरियाणा अन्डरग्राउन्ड पाइपलाइन्ज (इक्विजीशन ऑफ राइट ऑफ यूजर लैण्ड) बिल, 2008 (पुनरारम्भ)

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा बिल है इससे किसानों को भी बहुत राहत मिलेगी। मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि मान लीजिए पाइप लाइन डाल दी जाती है और 5-10 साल बाद कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है इस बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए क्योंकि इस जमीन तो उतनी ही एक्वायर करेंगे जितनी में पाइप लाइन डलेगी। इसलिए कभी कोई बड़ी घटना न घट जाये उसके बारे में भी सरकार विचार करे।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

विशेषाधिकार समिति का विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. Chairperson, Committee of Privileges will present special Report of the Committee of Privileges in the matter of contempt of the Committee arising out of disorderly and disrespectful conduct of Shri Om Prakash Chautala, M.L.A. while appearing before the Committee for tendering the evidence in the meeting of the Committee held on 2-7-2008 in respect of notice of breach of privilege given by Shri Randeep Singh Surjewala, Parliamentary Affairs Minister and will also move that special Report of the Committee of Privileges in the matter of contempt of the Committee arising out of disorderly and disrespectful conduct of Shri Om Prakash Chautala, M.L.A. while appearing before the Committee for tendering the evidence in the meeting of the Committee held on 2-7-2008 in respect of notice of breach of privilege given by Shri Randeep Singh Surjewala, Parliamentary Affairs Minister, be taken into consideration.

Chairperson, Committee of Privileges (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to present special Report of the Committee of Privileges in the matter of contempt of the Committee arising out of disorderly and disrespectful conduct of Shri Om Prakash

Chautala, M.L.A. while appearing before the Committee for tendering the evidence in the meeting of the Committee held on 2-7-2008 in respect of notice of breach of privilege given by Shri Randeep Singh Surjewala, Parliamentary Affairs Minister.

Sir, I also beg to move—

That special Report of the Committee of Privileges in the matter of contempt of the Committee arising out of disorderly and disrespectful conduct of Shri Om Prakash Chautala, M.L.A. while appearing before the Committee for tendering the evidence in the meeting of the Committee held on 2-7-2008 in respect of notice of breach of privilege given by Shri Randeep Singh Surjewala, Parliamentary Affairs Minister, be taken into consideration.

Mr. Speaker : Motion moved—

That special Report of the Committee of Privileges in the matter of contempt of the Committee arising out of disorderly and disrespectful conduct of Shri Om Prakash Chautala, M.L.A. while appearing before the Committee for tendering the evidence in the meeting of the Committee held on 2-7-2008 in respect of notice of breach of privilege given by Shri Randeep Singh Surjewala, Parliamentary Affairs Minister, be taken into consideration.

Mr. Speaker : Question is —

That special Report of the Committee of Privileges in the matter of contempt of the Committee arising out of disorderly and disrespectful conduct of Shri Om Prakash Chautala, M.L.A. while appearing before the Committee for tendering the evidence in the meeting of the Committee held on 2-7-2008 in respect of notice of breach of privilege given by Shri Randeep Singh Surjewala, Parliamentary Affairs Minister, be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. Chairperson, Committee of Privileges will move that this House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

Chairperson, Committee of Privileges (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to move—

That this House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य हाऊस की वैल में आकर शोर-शराबा करने लगे।)

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हो ?

डॉ०सीता राम : * * * * * *

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * * * *

श्री बलवन्त सिंह : * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ० इन्दौरा, मैं आपको अलाऊ करता हूं। आप अपनी सीट पर जाकर बोलें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, इनको यहां पर भरकर भेजा गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ० इन्दौरा प्रिविलेज कमेटी में आपकी पार्टी के श्री ज्ञान चन्द ओढ़ भी मैम्बर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सदस्य वैल में खड़े हो कर नारेबाजी करने लगे)

Mr. Speaker : Please take your seats. (Interruptions) Nothing is to be recorded.

सदस्यों का नाम लेना

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ *****

Mr. Speaker : I warn you, Mr. Ram Phal Chirana, (Interruptions)

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : I again warn you, Mr. Ram Phal Chirana. (Interruptions)

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : I name Shri Ram Phal Chirana. He may please leave the House. (Interruptions).

(At this stage, Shri Ram Phal Chirana, M.L.A. withdrew from the House)

(इस समय भी इंडियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सदस्य वैल में खड़े हो कर नारेबाजी करने लगे।)

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : I warn you, Mr. Ishwar Singh Palaka. (Interruptions)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : I again warn you, Mr. Ishwar Singh Palaka. (Interruptions)

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : I name Shri Ishwar Singh Palaka. He may please leave the House. (Interruptions)

(At this stage, Shri Ishwar Singh Palaka, M.L.A. withdrew from the House)

Mr. Speaker : Please take your seats. (Interruptions)

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ *****

Mr. Speaker : I warn you, Mr. Balwant Singh Sadhaura. (Interruptions)

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : I again warn you, Mr. Balwant Singh Sadhaura. (Interruptions)

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : I name Shri Balwant Singh Sadhaura. He may please leave the House. (Interruptions).

(At this stage, Shri Balwant Singh Sadhaura, M.L.A. Withdrew from the House)

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Mr. Sahida Khan, I warn you. (Interruptions)

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : I again warn you Mr. Sahida Khan. (Interruptions)

श्री साहिदा खान : स्पीकर सर, * * * * * *

Mr. Speaker : I name Shri Sahida Khan. He may please leave the House. (Interruptions)

(At this stage, Shri Sahida Khan, M.L.A. withdrew from the House.)

श्री ज्ञान चन्द ओढ़ : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Mr. Gian Chand Oadh. I warn you (Interruptions)

श्री ज्ञान चन्द ओढ़ : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : I again warn you Mr. Gian Chand Oadh. (Interruptions)

श्री ज्ञान चन्द ओढ़ : स्पीकर सर, * * * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : I name Shri Gian Chand Gadh. He may please leave the House (Interruptions)

(At this stage, Shri Gian Chand Gadh, M.L.A. withdrew from the House.)

वाक-आऊट

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे इसलिए हम विरोधस्वरूप सदन से वाक-आऊट करते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय इन्दौरा साहब प्रजातन्त्र की सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं (विघ्न)

Mr. Speaker : Dr. Indoraji, this is not the way. Please take your seat.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब इतने वरिष्ठ साथी हैं कि हम इनसे इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद नहीं करते हैं। ये वाक-आऊट करने के बाद भी यहीं पर खड़े हुए हैं। इन्होंने 15 मिनट पहले वाकआउट किया था परन्तु यह न तो हाउस से जाते हैं और न ही यहां पर बैठ कर हाउस की कार्यवाही में पार्टिसिपेट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, पन्द्रह मिनट हो गए हैं आपने वाकआउट किया था लेकिन आप अभी तक यहां हाउस में खड़े हो कर हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आपने सदन से वाकआउट कर दिया है तो आपको वाकआउट करके हाउस से बाहर जाना चाहिए लेकिन फिर भी आप यहीं पर खड़े हुये हैं। (विघ्न)

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए)

सदस्य का नाम लेने के लिए निर्णय को रद्द करना

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे एक माननीय साथी श्री राम किशन फौजी को कुछ देर पहले नेम किया गया था। मेरा निवेदन है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए उनको हाउस में वापिस बुलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो श्री राम किशन फौजी को सदन में वापिस बुला लिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशन फौजी को सदन में बुला लिया जाए।

विशेषाधिकार समिति का विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना (पुनरारम्भ)

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, शराफत से तो इनके नेता भी नहीं मानते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज जो रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है मैं उसके बारे में इस सदन की मार्फत श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की निन्दा करता हूं और उनको उलाहना देता हूँ। स्पीकर सर, यह सदन किसी की बापौती नहीं है। हरियाणा के लोग हमें यहां पर इसलिए चुन कर भेजते हैं कि हम मर्यादाओं को मानते हुए उनकी खुशहाली के लिए यहां पर काम करें। आप जानते हैं कि जब हम सदन के अन्दर

दाखिल होते हैं तो हमें संविधान के मुताबिक हल्फनामा लेना पड़ता है। हमें ईश्वर का नाम लेकर शपथ लेनी पड़ती है कि हम संविधान और कानून की मर्यादाओं की पालना करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा व्यक्ति जो बदकिस्मती से इस प्रदेश का मुख्यमन्त्री रहा और जिस पाप को करने में मैं खुद भी शुमार रहा। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ सबक सीखने की बजाए ऐसा व्यवहार कर रहा है जिस व्यक्ति को उसके सगे बाप ने लताड़ दी हो और उन्हें अपना बेटा कहने से गुरेज किया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रदेश के लोगों ने नफरत की हो फिर भी वह कुछ समझने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, संविधान के मुताबिक ही उसको इतना बड़ा पद मिला कि वह इस सदन में बैठकर हरियाणा प्रदेश का मुख्य मन्त्री बन कर हरियाणा के भविष्य को बनाने के लिए सरकार का मुखिया बना लेकिन इतनी बद-दिमागी से पेश आए। माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं मैंने ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति फटीचर शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं अब भी इस बात को दोहराता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी को यहां पर होना चाहिए था। उनकी फटीचर सोच के बारे में मैंने इसीलिए कहा क्योंकि उनके दिमाग में कोई अच्छी बात कभी नहीं आती। कानून की मर्यादाएं और सम्मान के लिए उनके मन में कहीं दूर-दूर तक कोई भावना नहीं है। आप देख रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी जब भी हाउस में आते हैं अपने मनमाने तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं इसके लिए आपने भी उनको कई बार टोका। आज भी वे ऐसा आचरण करते हैं जैसे कि वे कोई आम विधायक न हो कर हरियाणा के मुख्य मन्त्री हैं। उनके दिमाग के अन्दर खराबी घुसी हुई है। अध्यक्ष महोदय, वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधी बात से काबू में नहीं आ सकते हैं। आपने 20 मार्च को श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के मोशन को प्रिविलेज कमेटी को रैफर किया था। अध्यक्ष महोदय, नियमों को मानते हुये हमने ओम प्रकाश चौटाला जी को कमेटी में बुलाने के लिये बार-बार कोशिश की। जब कमेटी इस बात पर सहमत हो चुकी थी तब कमेटी के समक्ष श्री सुरजेवाला जी स्वयं आए और जो विषय हमें दिया गया था उन बातों को उन्होंने कमेटी के सामने दोहराया। अध्यक्ष महोदय, आप कितनी मर्यादाओं के साथ सदन की सदारत कर रहे हैं लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी आपके प्रति भी अनाप-शनाप बातें कहने लगते हैं। क्या ओम प्रकाश चौटाला जी कानून से ऊपर हैं ? अगर चौटाला साहब का यह हाल है कि वे फटेहाल हैं तो उसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। वहीं फटेहाल चौटाला जी इस बात का बदला वे व्यवस्था और परम्पराओं को तोड़ कर लेगा चाहें तो कानून उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देगा। अगर हमने भी उन बातों का ख्याल नहीं किया और कानून की उन धाराओं को उन पर लागू नहीं किया तो हमारे पार्ट पर भी यह बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended for another 15 minutes ?

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting of the House is extended for another 15 minutes.

विशेषाधिकार समिति का विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना (पुनरारम्भ)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, रणदीप सिंह सुरजेवाला कमेटी में अपनी बात कह कर गए तो कमेटी को उनकी कही हुई बातें जो चौटाला जी ने आपके बारे में अपशब्द कहे थे, कमेटी ने उन पर

विचार किया। हमने उसके बाद कहा कि अब चौटाला जी को बुलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, प्रिवलेज कमेटी के जो नियम हैं हमने उनका निर्वहन करते हुए ओम प्रकाश चौटाला जी को नोटिस भेजा। अब अध्यक्ष महोदय, देखिए कितने अफसोस की बात है कि एक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हुए व्यक्ति को कमेटी का नोटिस रजिस्ट्री द्वारा जाता था तो वे उस पर जानबूझकर लिखवा देते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला नाम का कोई आदमी यहां पर नहीं रहता है। इसके बाद हमने अपने अधिकारियों को कहा कि वह जब विधान सभा सत्र को अटैण्ड करने के लिए आएं तो तब उनको यह नोटिस की कापी देना और कहना कि आप फलां दिन प्रिवलेज कमेटी में बुलाए गए हो। अध्यक्ष महोदय, वह हमारे विधान सभा के अधिकारियों को आंख दिखाने की बात करता है और कहता है कि मैं कोई नोटिस नहीं लेता। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हमने सिरसा के डिप्टी कमीशनर को यह कहा कि अगर यह नोटिस नहीं लेता है तो आप सिविल प्रोसीजर के मुताबिक ओम प्रकाश चौटाला के घरों पर यह नोटिस चस्पा कर दीजिए और यह बता दीजिए कि फलां दिन आपकी तारीख है। अध्यक्ष महोदय, जब यह नोटिस ओम प्रकाश चौटाला के घर पर चस्पा होने के लिए जाता है तो उनके वकील की खबर आती है कि ओम प्रकाश चौटाला कमेटी में आना चाहता है। हमने कहा आईए हम आपकी बात सुनेंगे। हमारे मन में आपके लिए कोई दुर्भावना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज इस हरियाणा में जहां चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी जैसे मुख्यमंत्री जो कानून की मर्यादाओं का पालन करते हुए किसी भी विरोधी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हैं और न ही किसी और व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं। इनके नेतृत्व में एक नई सरकार का चलन हरियाणा में शुरू हुआ है। हम चाहते हैं कि प्रजातन्त्र की जो हमारी संस्थाएं हैं वे मजबूत हों और हम यह भी चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से उन पर कार्यवाही हो। हमने ओम प्रकाश चौटाला जी को आदर के साथ बुलाया और वे आए। जब वे कमेटी में आए तो हमने उनसे पूछा कि चौटाला जी बताएं आप क्या पीना चाहेंगे, चाय पीएंगे या लस्सी पीएंगे। अध्यक्ष महोदय, उनकी नफरत तो देखिए कि अन्दर आते ही कहने लगे कि मैं तो यह सोचकर आया था कि आप तो हमें डांट पिलाएंगे। हमने फिर आदर के साथ कहा कि नहीं चौटाला जी ऐसी बात नहीं है हम यहां पर आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन लगता है कि सत्ता से बाहर होकर के ये आदमी अपनी मानसिकता खो चुका है और वहां पर कमेटी में ऐसे आ रहा था कि जैसे वह कोई जज या मजिस्ट्रेट है और हम उसके मुलाजिम हैं। वह फिर कहता है कि ठीक है जब भी आप बुलाएंगे मैं आऊंगा। तो हमने कहा कि जो भी तारीख आपको अच्छी लगती है, आप और आपके सीनियर एडवोकेट बैठे हुए हैं, आप अपनी तारीख बताएं हम आपको आपकी सहूलियत के अनुसार उसी दिन बुलाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जो तारीख उन्होंने हमें दी हमने विनम्रता से उनकी उस तारीख को सहमति दी और उस दिन हम सारे सदस्य मीटिंग में आकर के उनका इन्तजार करने लगे तो उनका वकील आया और कहने लगा कि चौटाला जी को क्योंकि विदेश जाना पड़ रहा है इसलिए वे आज आपकी कमेटी के समक्ष हाजिर नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, कितनी विडम्बना है कि तो ओम प्रकाश चौटाला कोई देश की सेवाओं के लिए विदेश की यात्रा करता हो तो हम मान सकते हैं कि जरूर इनको छुट्टी दी जाए। लेकिन ऐसा आदमी जिसने तमाम हरियाणा के खून पसीने की कमाई को दोनों हाथों से लूटा हो, उस धन की देखभाल के लिए हरियाणा सरकार और विधान सभा के नियमों को ताक पर रख करके विदेश में सैर और सपाटे के लिए जाना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, क्या कमेटी पंगू बनकर के उसकी तरफ देखती रहे कि वह आए या न आए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। हमने उनके वकील को फिर भी सद्भावना दिखाते हुए कहा कि हम आपको आज का फिर मौका देते हैं। उनका वकील बाहर गया और उनसे बात कही और फिर उसने कमेटी को कहा कि ठीक है वे कल आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भई हम कल फिर मीटिंग कर लेते हैं। हमने उनके साथ एक मानवीय तरीके से व्यवहार किया। अध्यक्ष महोदय, अगले दिन आकर के वे कमेटी के सामने ऐसे बोलने

लगे जैसे वे कमेटी के मुखिया हैं और कमेटी के चेयरमैन और दूसरे मैम्बर्ज उनके मुलाजिम हैं। हमने उनको फिर प्यार से कहा कि "Mr. Om Parkash Chautala, you cannot dictate your terms to the Committee" आप यहां एक एक्यूज्ड की हैसियत से आए हैं, आपके खिलाफ जो इल्जाम हैं वे पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने शपथ लेकर कमेटी में पेश किए हैं, आप इनका जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो कागज़ात हम उनको पहले ही दे चुके थे, वे फिर से मामले को लम्बा करने के लिए उन कागज़ात को मांगने के लिए दरख्वास्त लगाने लग गए कि मुझे तो कागज़ात दीजिए। मैंने कहा कि नियमों के मुताबिक जो डाक्यूमैंटस आपको मिलने चाहिए थे वे हम आपको दे चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, वे बीच में ही बिना इजाजत लिए वकीलों के बैठे हुए, हम सबके बैठे हुए खड़े होकर से ऐसे बोलने लगे जैसे वे कोई राजा महाराजा हों, उसे किसी कानून की जरूरत ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल ओम प्रकाश चौटाला का नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि अगर ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, ऐसे लोगों को नियमों के मुताबिक सजा नहीं दी जाएगी तो विधान सभा के कीमती समय को जिस तरह से ये बे-लगाम लोग खराब करते हैं, आगे भी करते रहेंगे जिस तरह से ये विधान सभा के अन्दर तमाशा बनाते रहते हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। जो मन में आता है बोलते हैं। किसी तथ्य की जरूरत नहीं, किसी शपथ की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी ये लोग इस बात का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, अखबारों में तमाशा बनाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बात थी तो ओम प्रकाश चौटाला को हम फिर से यह कहते हैं कि आप विधान सभा में खड़े होकर स्पष्ट करें कि उनके खिलाफ कौन सी बात ऐसी कही गयी है जो उनको यह लगती है कि यह गलत है और जिसके खिलाफ उनके विधायक नारे लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार का क्या लेना-देना है। इनके विधायकों को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह का आचरण वह इस सदन में खड़े होकर कर रहे हैं, किस तरह की बेहूदगी और बदतमीजी आपके साथ, सरकार और सदस्यों के प्रति करते हैं। तो क्या यह सिस्टम पंगु बनकर इनके तमाशे को देखने के लिए विवश है ? अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसों का इलाज नहीं किया गया तो आने वाले समय में इनकी बदतमीजियां बढ़ती रहेंगी और हरियाणा के उन लोगों की आशाओं को लेकर जो कानून हम बनाने के लिये, जो बातें कहने के लिये यहां पर आते हैं उन बातों पर अमल नहीं हो सकेगा। इसलिए इस प्रस्ताव पर कुछ भी कहने से पहले मेरा आपसे और सदन के सभी साथियों से निवेदन है कि यह रिपोर्ट आपके समक्ष रख दी गयी है। स्पीकर साहब, रूल्ज ऑफ प्रौसीजर एण्ड कण्डैक्ट आफ बिजनैस इन हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली में जो रूल 277 या दूसरी धाराएं एवं उप धाराएं हैं उनके मुताबिक ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरह से कमेटी में व्यवहार किया और कमेटी की अवमानना की और मनमाने तरीके से उन्होंने आचरण किया तो उसके लिए उनको रैपरीमैंड करना चाहिए और उनको इस बात का अहसास दिलाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रूल्ज में इस बारे में स्पष्ट है। रूल्ज यह कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को असैम्बली के बाहर खड़ा करके फिर सदन के लोग उसको बताएं कि उसने किस तरह का आचरण यहां पर किया है। अध्यक्ष महोदय, अब श्रीमान जी दो दिन से यहां पर डर के मारे नहीं आ रहे हैं। इनको कोई काम नहीं है और न ही उन्हें कोई शर्म है। न ही उनको इस बात का लिहाज है कि वह किस प्रकार की गुस्ताखी, बदतमीजी हरियाणा के लोगों के साथ कर रहे हैं। अब वे बेखौफ अपने घर में बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों का सही इलाज होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक ओम प्रकाश चौटाला खुद यहां पर न आएं तब तक यहां इस पर बहस जारी रहनी चाहिए। हम पीठ पर वार नहीं किया करते, हम पीछे से उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने सदन में जो गुस्ताखियां की हैं, जो बदतमीजियां की हैं, उनके लिए हम यहां पर बैठकर उसके सामने उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे ताकि हरियाणा की जनता उन तमाम बातों को देखे और उनके बारे में अपना फैसला दे कि वाकई में ओम प्रकाश चौटाला किस तरह से अपना व्यवहार

ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम नियमों को मानना चाहते हैं लेकिन हम यह भी नहीं करना चाहते कि उस नियम को मरोड़कर ऐसे लोगों की हिमाकत और बढ़ायी जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक ओम प्रकाश चौटाला को इस सदन में बुलाकर और उसको खड़े करके प्रताड़ित न किया जाए, उसको उलाहने न दिए जाएं जिससे यह बाज आ सके। अभी हमारी कमेटी की कार्यवाही बाकी है। जो आपके प्रति कहें हुए शब्द हैं वह अभी वापस नहीं हुए है। हमने कल ही उसके लिए आपसे समय मांगा है इसलिए अगर आपने यह नहीं किया तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम उसे जब फिर नोटिस इशु करेंगे तो वह उस नोटिस को लेगा। इससे तो उसका हौंसला और बढ़ेगा और वह नोटिस भी नहीं लेगा तथा वह कमेटी के सामने भी नहीं आएगा। इसलिए यह सवाल ओम प्रकाश चौटाला का नहीं है सवाल तो आने वाले समय का भी है। कल को इस बात का फायदा उठाकर इस हरियाणा विधान सभा में कोई भी विधायक मनमाने तरीके से सदन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे मुलजिम को दंडित किया जाना चाहिए, प्रताड़ना दी जानी चाहिए, शर्मिन्दा किया जाना चाहिए जिससे हरियाणा के लोगों को दिखे कि वे किस तरह का व्यवहार यहां हरियाणा की विधान सभा में हरियाणा के लोगों के साथ कर रहे हैं। धन्यवाद सर।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : स्पीकर साहब, लगभग इस सरकार को बने हुए साढ़े तीन साल के करीब होने जा रहे हैं। लोगों का इस सरकार से और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से जब वे चीफ मीनिस्टर बने थे, बड़ी आशाएं थी कि वह चौटाला के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे और जो कानून के मुताबिक उनको सजा दी जा सकती है, वह देंगे। स्पीकर साहब, जितनी अरबों-खरबों की प्रोपर्टी उसने हरियाणा की जनता से लूटी है और हरियाणा की जनता पर जितने उसने जुल्म किए हैं, जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन उस समय बनाया गया, जिस तरह से उस समय नौकरियां दी गयीं, जिस तरह से अनपढ़ लोगों को गजटेड आफिसर बनाया गया, उनके बारे में सबको पता ही है। जिसने कुकर्म कोई भी घटिया आदमी कर सकता है वह सारे ओम प्रकाश चौटाला ने किए। सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीद थी लेकिन पता नहीं भगवान जाने भूपेन्द्र सिंह हुड्डा क्यों इतने शरीफ आदमी हैं। इतना शरीफ होना भी मैं अच्छा नहीं समझता। इस तरह से तो हुड्डा साहब यह इस्टैब्लिश हो जाएगा कि कोई भी बदमाश डाकू आकर कोई भी गिरोह बनाकर के डाकाजनी करके हरियाणा में लूटपाट करके मौज उड़ाकर और जातपात का नारा लगाकर चला जाएगा। आज कल वह जिस तरीके से ऐजीटेशन कर रहा है, व्यापारी सम्मेलन कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, आप रिपोर्ट पर ही बोलें।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं रिपोर्ट पर ही बोल रहा हूं। यह रिपोर्ट का आधार है। This is basis on the report, ये तो छोटे कुकर्म का जिक्र कर रहे हैं मैं तो उसके बड़े कुकर्मों का जिक्र कर रहा हूं और चाहता हूं कि उसको ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए। कई भाई हमारे पास आकर वकालत करते हैं कि साहब चौटाला साहब, के पास बहुत पर्चियां हैं उनके साथ समझौता करो, यह करो, वह करो।

श्री अध्यक्ष : वो तो आपके घर घुसने को हो रहे हैं।

श्री राम कुमार गौतम : घर में भी घुस सकता है स्पीकर सर। इसके लिए भी हुड्डा साहब ही जिम्मेदार होंगे। इतना बड़ा डाकू अब तक सलाखों के पीछे नहीं है। उसको अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था और उसने जितनी नाजायज प्रापर्टी लूटी है वह कुर्क होनी चाहिए थी। उसके बच्चे आज घूम रहे हैं, उसके रिश्तेदार बेखौफ घूम रहे हैं और भोले भाले जाट भाइयों को बहका रहे हैं। जाट कौम जो नम्बर एक की कौम है, सबसे शक्तिशाली कौम है उनको बेवकूफ बना रहा है कि दौबारा मैं यौं आया, मेरी

आडवाणी जी से बात हो ली है, बादल साहब की बात हो ली है, ऐसा रोजाना बहका रहा है। अगर उसका इलाज कर दिया जाता तो आज यह सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। अभी भी समय है संभल जाओ हुड्डा साहब। अभी भी लोग सोच रहे हैं कि हुड्डा साहब कुछ न कुछ करेंगे लेकिन हालात ऐसे हैं कि बस दहिया साहब वाली बात हो रही है इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं ?

श्री राधेश्याम शर्मा अमर (नारनौल) : अध्यक्ष महोदय, आपने विशेषाधिकार समिति गठित की और उस कमेटी ने बहुत ही शालीन तरीके से हमारे माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश चौटाला को बुलाने का प्रयास किया। पहले तो वे बहुत समय तक आए ही नहीं। दिनांक 20-3-2007 को उन्होंने जो अपशब्द हमारे सदन के लिए कहे, हमारे हितों के कस्टोडियन माननीय अध्यक्ष महोदय को जो उन्होंने अपशब्द कहे, प्रजातंत्र की जो परम्परा है उस पर कुठाराघात करने वाले शब्द उन्होंने कहे, वह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण हैं। फिर जब वे कमेटी के समक्ष दिनांक 2 जुलाई, 08 को एक बार पेश हुए तो उन्होंने जो दर्खास्त लगाई और उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे 19 मार्च और 20 मार्च की कैसेट दी जाए और के.एस. दलाल की स्पीचेज की कापी दी जाए। के.एस. दलाल की बजट भाषण की कापी दी जाए। आनन्द सिंह डांगी ने जो जनरल बजट पर डिस्कशन में बोला है उसकी कापी दी जाए तो उस पर हमने कहा कि यह तो तीन चीजें हैं ये हमारे परिव्यू से बाहर की बातें हैं। उन पर आपको कहने का अधिकार नहीं है। जो पहला मैटर है जो आप कैसेट मांग रहे है। हमने आपको इस बारे में सब कुछ लिखकर दे दिया है। यह जो लिखकर दिया है इसको आप पढ़ो और जो आपने बोला है उसको सुनो। अगर हमने गलत लिखा है तो हम गुनाहगार हैं और आप साहूकार हैं। यदि आप कहते हो कि यह गलत है तो हम इसकी कैसेट आपको सुनाएंगे। यह बात बडी जायज थी कि जो चीज लिखकर दी है उसको आदमी पढ़कर बताए तो सही कि यह चीज गलत दी है जिसकी हम कैसेट दें और सुनाएं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको यह गुनाह मानना चाहिए। इसके बाद वे कहने लगे कि चलो मैं जाता हूं आपको जो फैसला करना हो कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, ऐसा अपमान कमेटी का, हाऊस का, आपका और सदन के नेता का कर गए। अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमियों का इलाज करना बहुत जरूरी है। अभी तो मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। यदि आप दोबारा समय देंगे तो कुछ और ऐसी ऐसी बातें भी आपको बताएंगे कि जिनसे इंसानियत का सिर शर्म से झुक जाता है कि ऐसा आदमी प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा।

श्री के.एल. शर्मा (शाहबाद) : स्पीकर सर, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि थोड़े समय तक मैं भी इस कमेटी का मैम्बर रहा हूं। जो बाते मेरे साथी श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने कहीं वह बिल्कुल ठीक हैं। दो बार मेरे सामने उनको बुलाया गया। पहली बार उनको बुलाया गया तो इनके साथ उनके वकील और शेर सिंह बड़सामी जी आए थे। जिस प्रकार से उन्होंने रिऐक्ट किया। दलाल साहब ने मेरे सामने उनसे यह बात कही कि इसके लिए आप जो भी समय चाहते हैं, वह हम देने के लिये तैयार हैं।

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 11.00 A.M. on Wednesday, the 3rd September, 2008.

*18.00 hrs (The Sabha then *adjourned till 11.00 A.M. on Wednesday, the 3rd September, 2008.

45133–H.V.S.–H.G.P., Chd.